


DEPOSIT MOBILISATION BY REGIONAL RURAL BANKS

(क्षेत्रीय ज.ग.भा.ण बैंकों द्वारा निक्षेप प्रकटाकरण)



A
THESIS
Submitted for the Degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY
in
COMMERCE

by
SHYAM KRISHNA PANDEY
M Com

Under the Supervision of
Dr. SARFARAZ AHMAD ANSARI
Reader

DEPARTMENT OF COMMERCE AND BUSINESS
ADMINISTRATION
UNIVERSITY OF ALLAHABAD
ALLAHABAD
1998

प्राक्कथन

प्रत्येक आर्थिक क्रिया का वित्त से अविभाज्य सम्बन्ध होता है क्योंकि वित्तीय आधार प्रत्येक आर्थिक क्रिया की एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास में वित्त की अद्वितीय भूमिका होती है। एक स्वस्थ शरीर के लिए जो कार्य धमनी और शिराओं का होता है वही कार्य वित्त का एक अर्थव्यवस्था के विकास में होता है। यह तथ्य कृषि के लिए भी समान रूप से लागू होता है। कृषकों को उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र एवं कीटनाशक दवाइयों खरीदने, मजदूरी और लगान का भुगतान करने, भूमि में आधारीक सुधार करने, विभिन्न उपभोग वस्तुओं की प्राप्ति एवं पुराने ऋणों के परिशोधनार्थ वित्त की आवश्यकता होती है। नियोजन के पूर्व कृषि का स्वरूप मूलतः परम्परागत रहा। फलतः कृषि साधन की आवश्यकता कम थी और उसकी आपूर्ति मुख्यतः निजी स्रोतों से हो जाती थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् यह देखा गया कि सदियों के आर्थिक शोषण ने देश के अधिसंख्य नागरिकों को विपन्न कर दिया है। अतः उनके विकास के लिए वित्त की आवश्यकता को प्रमुखता से महसूस किया गया। एक विशाल देश के दूर-दराज क्षेत्रों तक वित्तीय ससाधनों का प्रबंध करना संभव नहीं था। इन स्थितियों में काम करते हुए यह पाया गया है कि वित्त की मांग की पूर्ति दकों की

सहायता से काफी हद तक पूरी हो सकती है अतः इस दिशा में शासन ने कदम बढ़ाए और बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण व राष्ट्रीयकरण आदि के द्वारा वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की गयी लेकिन इतना हो जाने के बावजूद व्यापकता की समस्या गभीर बनी हुई थी।

पूर्व स्थापित व्यावसायिक बैंको की स्थापना लागत अधिक थी अतः देश के दूर-दराज के अंचलो में इनकी शाखाओ का खोला जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया और यही कारण था कि गरीब तबके तक अधिकोषीय सुविधा प्रदान करना शासन के लिए दुश्कर हो गया। इन दो समस्याओ को देखते हुए शासन ने क्षेत्रीय ग्रामीण अधिकोषो की स्थापना की। क्षेत्रीय ग्रामीण अधिकोषो की स्थापना से स्थापना लागत पर नियन्त्रण एवं व्यापक स्तर पर शाखा विस्तार संभव हो सका।

आजादी के बाद के दशको में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक परिवर्तन यह आया कि लोग अपनी ऋण जरूरतों के लिए अब बैंको की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अतः ग्रामीण ऋण के मामले में इतने व्यापक सस्थागत सजाल की वजह से अनौपचारिक सस्थाओ तथा व्यक्तियों की भूमिका काफी सीमित हो गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओ को पूरा करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भी काफी बड़ी भूमिका है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का उद्देश्य न केवल किसानों वरन् छोटे एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीन, श्रमिकों, लघु उद्यमकर्ताओं तथा छोटे कारीगरों को भी ऋण व अन्य सुविधाएँ दिलाना है, जिससे ग्रामीण इलाकों में न केवल कृषि वरन् उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि का भी विकास हो और ग्रामीण विकास तीव्र हो सके।

कालान्तर में यह देखा गया कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में "निक्षेप एकत्रीकरण" की सम्भावना है क्योंकि बैंकिंग शाखाओं के अभाव में यह धन लोगों के पास निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता था जिसका न तो जनहित और न तो राष्ट्रहित में ही उपयोग किया जा सकता था। इस प्रकार संग्रहण की प्रबल सम्भावना को देखते हुए ग्रामीण बैंको को यह कार्य भी करने की छूट प्रदान की गयी, जिसका बैंकिंग उद्योग पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि निष्क्रिय पूँजी इन बैंको के माध्यम से सरकार तक पहुँच सकी और इस पूँजी का उपयोग जन-कल्याण के कार्यों हेतु किया जाने लगा।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को निम्नलिखित महत्वपूर्ण अध्यायों में विभाजित किया गया है -

- १ परिचय
- २ भारत में बैंकिंग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ।
- ३ भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना से जून १९९७ तक ।

- ४ इलाहाबाद जनपद आर्थिक, सामाजिक एव सास्कृतिक समीक्षा ।
- ५ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण (इलाहाबाद जनपद के विशेष सदर्थ मे)
- ६ निष्कर्ष एव परामर्श।

शोध प्रबन्ध के प्रथम अध्याय मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का सक्षिप्त परिचय, शोध विषय की परिकल्पना, अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन की विधि तथा सीमाओ का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

द्वितीय अध्याय के अर्न्तगत भारत की सम्पूर्ण बैकिग प्रणाली का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंको का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तृतीय अध्याय के अर्न्तगत भारत मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, उद्देश्य तथा कार्य, जमाओ तथा अग्रिमो का वृहत अवलोकन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय मे इलाहाबाद जनपद की सामाजिक आर्थिक तथा सास्कृतिक समीक्षा मनोरम ढग से प्रस्तुत की गयी है। इसके अर्न्तगत जनपद की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था, जनसख्या, शिक्षा, रोजगार तथा सिचाई आदि के आँकडों को दर्शाया गया है।

दी। वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रो० जगदीश प्रकाश के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने शोध कार्य करने का सुअवसर तथा सनय-समय पर मुझे शोध कार्य को पूरा करने में उत्साह प्रदान किया। मैं अपने गुरुजन बृन्द प्रो० जे०के० जैन, डॉ० प्रदीप जैन तथा डॉ० जे०एन० मिश्र का भी आभारी हूँ जिन्होंने मेरे शोध कार्य के प्रत्येक स्तर पर मुझे बहुमूल्य सुझाव प्रदान की।

मैं श्री राजमणि पाण्डेय (शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ जिनसे "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" से सम्बन्धित इस विषय पर शोध करने की प्रेरणा प्राप्त हुई तथा जिन्होंने कार्य-भार से अति व्यस्त होते हुए भी समय-समय पर अनेक प्रकार से सहायता प्रदान की। वाणिज्य विभाग के मेरे सहपाठी शोध छात्रगण जिन्मे श्री घनश्याम उपाध्याय, राजबिहारी लाल श्रीवास्तव, जीतेन्द्र नाथ द्विवेदी, आनन्द सिंह, सोमदेव मिश्र, अजय शर्मा, डॉ० कौशलेन्द्र सिंह एव मार्गदर्शक गुरुभाई डॉ० मो० सलमान असारी (वरिष्ठ प्रवक्ता, शिवली नेशनल कालेज आजमगढ) का भी मैं आभारी हूँ जिनके अनन्य सहयोग से शोध कार्य द्रुति गति से पूर्ण हो सका।

अपने मित्रगण डॉ० अजय शुक्ला (प्रवक्ता जय नारायण डिग्री कालेज), श्री विजय कुमार शुक्ला (सहायक विकास अधिकारी), राजेश कुमार पाण्डेय और रवीन्द्र नाथ

त्रिपाठी (प्रवक्ता) के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने शोध कार्य के सन्दर्भ मे मेरी हर तरह से सहायता की। विषय सामग्री को अधिक अद्यतन और बोधगम्य बनाने के लिए जिन विभिन्न प्रतिवेदनो, पत्रिकाओं और सन्दर्भ ग्रन्थों का प्रयोग किया गया है, उनके प्रणेताओ और प्रकाशको के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं अपनी पूजनीया माता स्व० श्रीमती गुलाब पत्ती देवी के श्री चरणो में अपना कोटिश प्रणाम आर्पित करता हूँ जिनकी शुभाशसा या आशीर्वचन से ही मैं यह कार्य पूर्ण कर सका। उन्हीं पुण्यात्मा की स्मृति मे यह शोधप्रबन्ध समर्पित करते हुए मैं स्वय को धन्य समझ रहा हूँ। मेरे शोध कार्य में सहयोग के लिए मैं अपने आदरणीय पिता श्री कमला प्रसाद पाण्डेय के प्रति भी विशेष रूप से आभारी हूँ।

अन्त मैं अपने इस शोध प्रबन्ध को इतने सुन्दर ढग से व समय पर मुद्रित करने के लिए 'जय दुर्गा मा कम्प्यूटर प्वाइन्ट' मनमोहन पार्क, कटरा, इलाहाबाद के रतन खरे, मोहम्मद इस्तियाक तथा कु० प्रीती यादव को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके सहयोग से ही मैं इसे समय पर प्रस्तुत कर सका।

वाणिज्य एवं व्यवसाय पशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 17/9/98

श्याम कृष्ण पाण्डेय
(श्याम कृष्ण पाण्डेय)

अनुक्रमणिका

अध्याय क्रम		पृष्ठ सख्या
	प्राक्कथन	i—vii
अध्याय 1	परिचय	1—15
अध्याय 2	भारत में बैंकिंग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	16—57
अध्याय 3	भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना से जून, 1997 तक	58—106
अध्याय 4	इलाहाबाद जनपद आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समीक्षा	107—140
अध्याय 5	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निक्षेप एकीकरण (इलाहाबाद जनपद के विशेष संदर्भ में)	141—184
अध्याय 6	निष्कर्ष एवं परामर्श	185—205
	परिशिष्ट	
	(i) सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	1—10
	(ii) तालिकायें	1—15

अध्याय : 1

परिचय

भारत में स्वतंत्रता के बाद से बैंकिंग के विकास का इतिहास पाश्चात्य ढंग से प्रारंभ हुआ। वाणिज्य बैंकों को बढ़ती आवश्यकताओं और विकास की जटिलताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक ढाले जाने का उल्लेखनीय उदाहरण है। स्वतंत्रता के बाद के चालीस वर्षों के दौरान आर्थिक विकास में बैंकिंग ने जो भूमिका निभायी है, उसे समझने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में स्वतंत्रता से पहले विद्यमान बैंकिंग स्थिति का संक्षिप्त वर्णन उचित रहेगा। 1935 में भारत में बैंक कार्यालयों की संख्या 946 थी, जिनमें से 160 शाखाएं इम्पीरियल बैंक की तथा शेष अन्य बैंकों की थी। इससे लगभग प्रति तीन लाख की जनसंख्या के लिए एक बैंक कार्यालय था। वस्तुतः अधिकांश जनसंख्या के लिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। देशी बैंकरो और महाजनो को अपने कार्यों के लिए बहुत गुंजाइश थी। यह आम विश्वास था कि मुद्रा बाजार का असंगठित क्षेत्र, जिसमें देशी बैंकरो और महाजनो के नाम से मुख्यतः दो स्थूल श्रेणियां थीं, उतना ही बड़ा था, जितना संगठित क्षेत्र/देशी बैंकर जमाराशिया प्राप्त करते थे, संयुक्त पूंजी वाले बैंकों के साथ सामान्यतया हुडियों को भुनाने के रूप में ऋण व्यवस्था रखते थे और मुख्यतः व्यापार और उद्योग के लिए वित्त प्रदान करते थे वे प्रेषणों के क्रय और विक्रय के माध्यम से सामान्य बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान करते थे। देशी बैंकरो के अग्रिम अधिकतर जमानतों के आधार पर होते थे, उनकी

ऋण पर दरे (भुनाई दरे) वाणिज्य बैंको द्वारा लगायी जानेवाली दरो से उच्चतर होती थी दूसरी ओर महाजन आम तौर पर जमाराशिया प्राप्त नहीं करते थे, सगठित बैंकिंग क्षेत्र से बहुत कम उधार लेते थे, और मुख्य रूप से अनुत्पादक व्यय के लिए वित्त प्रदान करते थे। सामान्यतया बैंकिंग सेवाएँ देश के किसी भी भाग में पर्याप्त नहीं थीं। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद की शुरु की अवधि में बैंक शाखाओं का महानगरो और शहरी केन्द्रों तथा अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों तक ही सीमित रहने का कारण रूढ़िवाद और बैंकिंग की सही सभावनाओं की समझ का अभाव था। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में बना, जो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के बाद इस प्रकार की संस्था की स्थापना के लिए बहुत-से प्रयासों का फल था। हिल्टन यंग आयोग ने सिफारिश की थी कि मुद्रा और ऋण के नियंत्रण के लिए कार्यों का द्विभागीकरण और उत्तर-दायित्व का विभाजन समाप्त होना चाहिए।¹ रिजर्व बैंक ने चौथे दशक के अंतिम वर्षों में जो मुख्य कार्य हाथ में लिये, उनमें से एक था उत्कृष्ट और पर्याप्त बैंकिंग एवं ऋण विन्यास को आधुनिक ढंग से निर्मित करना। इस प्रयोजन से बैंको के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण हेतु बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम 1949 (1965 में जिसका नामान्तरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम के रूप में हुआ) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को व्यापक अधिकार सौंपे गये। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान बैंको द्वारा न्यूनतम साविधिक चल निधि और न्यूनतम नकद प्रारक्षित निधि रखने, बैंकिंग कंपनियों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण तथा अंतिम लेखा प्रस्तुत करने से संबंधित हैं। इस अधिनियम में 1949 और 1965 के बीच किये गये मुख्य संशोधन समापन प्रक्रिया

भारतीय बैंको के कार्यालय विदेशो मे खोलने तथा नीति सबधी मामलो के बारे मे बैंको के निर्देश जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक को देने से सबधित है। जो गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक न्यूनतम् पूँजी अपेक्षाओ से सबधित मानदंडो के अनुरूप खरे नहीं उतरे अथवा जो बैंकिंग कारोबार को गैर बैंकिंग कारोबार से मिलाने पर निषेध का पालन नहीं कर सके, ऐसे बहुत से बैंको को रिजर्वबैंक ने बंद करवा दिया। अन्य अनेक बैंक मिला दिये गये। पुनर्गठन और समेकन की इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बैंको की कुल सख्या दिसबर 1947 की 640 से घटकर दिसबर 1957 मे 389 रह गयी।²

किसी देश के आर्थिक विकास के लिए पूँजी की बहुत आवश्यकता होती है। बैंक छोटी-छोटी धनराशि एकत्रित करते है तथा बचत को बढ़ावा देते है। इस एकत्रित धनराशि को उन क्षेत्रो मे विनियोजित करते है जहाँ उनकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार बैंक दूसरो का धन एकत्रित करके उसे उपभोग, व्यापार, उद्योग तथा सेवा को प्रदान करते है। इस प्रकार बैंक देश मे पूँजी की आवश्यकताओ की बडी मात्रा मे पूर्ति करके देश के आर्थिक विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है।

कृषि वित्त की समस्या वाणिज्य और उद्योग के लिए वित्त की समस्या से भिन्न है। वाणिज्य और उद्योग अपेक्षाकृत संगठित व्यवसाय है और इनकी वित्त की माग उत्पादक कार्यों के लिए ही होती है। यही कारण है कि इनकी वित्त की माग को पूरा करने के लिए बहुत पहले ही विभिन्न देशो मे बैंको और औद्योगिक वित्त की विशिष्ट सस्थाओ का विकास हुआ है। कृषि अपेक्षाकृत असंगठित व्यवसाय है। इसकी

सफलता या असफलता बहुत कुछ मौसम पर निर्भर होती हैं। इसके अलावा किसानों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों में स्पष्ट रूप से उत्पादक और अनुत्पादक में भेद करना आसान नहीं होता। इसलिए बैंकों ने खेती के लिए या उससे सम्बन्धित दूसरे कार्यों के लिए ऋण देने में प्रायः दिलचस्पी नहीं दिखाई और लम्बे अर्से तक किसान ऋण के लिए मुख्य रूप से साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहे हैं।

आजादी के समय भारत की छवि एक ऐसे देश की थी जो धूल भरे, अलसाए, अधनगे, बीमार और बेराजगार लोगों के गावों का देश था। भारत की कल्पना करते समय ऐसे गरीब पिछड़े और दबे हुए लोगों की छवि उभरती थी जो शताब्दियों पुरानी परम्पराओं और तरीकों से जीते थे, जिनके मन में अपना जीवन स्तर सुधारने की न उमंग थी, न पर्याप्त साधन। उजड़े खेत, सूखी नदियाँ, वर्षा के लिए आकाश की ओर निहारती आँखें, अधनगे बच्चे और भूखी औरतें ही उस युग के भारतीय गाँवों की पहचान बन गये थे। स्वतंत्रता के बाद भारत की मुख्य समस्या अपने करोड़ों निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन स्तर को ऊँचा उठाना था। सन् 1957 में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री आयगर ने कहा था कि "पिछले चालीस वर्ष की अवधि के दौरान गरीबी अपने उच्च शिखर पर बनी रही और लोग उन्हीं आदि-कालीन दशाओं में बने रहें जिनमें उनके पूर्वज रहते थे। यही तथ्य भारतीय उपमहाद्वीप के लाखों गावों के बारे में भी सत्य है, हालाँकि इस देश में हाल ही में विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं"। इस गरीबी और पिछड़ेपन की स्थिति को दूर करने के लिए योजनाबद्ध विकास के मार्ग को अपनाया गया है ताकि कृषि, उद्योग व यातायात आदि सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। एक सुदृढ़

बैंकिंग व्यवस्था ही देश के आर्थिक विकास के लिए उचित वातावरण बनाने में तथा विकास की गति को तीव्र करने में सक्रिय योगदान कर सकता है।

भारत के ग्रामों का देश होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण साख का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सम्भवतः इसी कारण से रिजर्व बैंक ने आरम्भ से ही कृषि साख को सगठित तथा कृषि के लिये ऋण की व्यवस्था करने के हेतु "कृषि-साख विभाग" (Agricultural credit Department) की स्थापना कर दी थी। इस विभाग को निम्न कार्य सौंपे गये थे।

- 1 कृषि साख की समस्याओं के अध्ययन के लिये विशेषज्ञ कर्मचारियों का दल रखना, जो आवश्यकता के समय केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सहकारी संस्थाओं को परामर्श दे सकें।
- 2 कृषि साख के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा अन्य बैंकों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना।
- 3 ग्रामीण वित्त, सहकारिता, ग्रामीण ऋण प्रस्तुता आदि से सम्बन्धित कानूनों का अध्ययन करना तथा उन पर अपना मत प्रकाशित करना।

विधान द्वारा रिजर्व बैंक कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से वित्त प्रदान नहीं कर सकता। कृषकों की वित्तीय सहायता सहकारी क्षेत्र के द्वारा प्रदान की जाती है।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने सन् 1951 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण हेतु एक गोरवाला समिति (A D Gorawala Committee) नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सन् 1954 में प्रस्तुत की और सुझाव दिया कि देश में

ग्रामीण साख की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिये सरकार के साझे में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना होनी चाहिए, जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का जाल बिछाकर देहातों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करे और कृषि के लिए आवश्यक मात्रा में सस्ती साख सुलभ करे।

भारत सरकार ने गोरवाला समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, परन्तु सरकार ने कोई राष्ट्रीय बैंक स्थापित न करके तत्कालीन इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया को ही स्टेट बैंक में परिणत कर दिया। सन् 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट स्वीकृत किया गया और इस ऐक्ट के अन्तर्गत इम्पीरियल बैंक की भारत स्थित सम्पत्ति और दायित्व स्टेट बैंक को 1 जुलाई, 1955 को सौंप दिये गये। इस प्रकार स्टेट बैंक 1 जुलाई सन् 1955 से भारतवर्ष में कार्य कर रहा है।

काफी लम्बे समय तक व्यापारिक बैंकों का ग्रामीण साख में हिस्सा बहुत कम था। उदाहरण के लिए, कुल ऋण में व्यापारिक बैंकों का हिस्सा 1950-51 में 0.9 प्रतिशत तथा 1961-62 में 0.7 प्रतिशत था। इसके कई कारण थे- एक तो यह कि भारत में कृषि मुख्य रूप से जीवन निर्वाह का एक साधन मात्र रही है और दूसरे इसका स्वरूप असंगठित व वैयक्तिक है। इसके अलावा, कृषि अधिकतर मानसून पर आधारित है इसलिए इसके उत्पादन में अनियमितता है और उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसके विपरीत, औद्योगिक क्षेत्र अधिक संगठित होता है और वह प्राकृतिक कारकों पर निर्भर नहीं करता। यही कारण है कि बैंकों का ध्यान कृषि की अपेक्षा

उद्योगो पर अधिक केन्द्रित रहा। यहाँ तक कि बैंको ने ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त बचतों का प्रयोग भी औद्योगिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए किया।

ग्रामीण साख की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और उसमें व्यापारिक बैंको की अत्यन्त सीमित भूमिका के कारण सरकार ने जुलाई 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1980 में छ और बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंको ने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी शाखाएँ खोली और ग्रामीण साख में अपने योगदान में काफी वृद्धि की। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीयकरण से ठीक पहले (अर्थात् जून 1969 में) भारत में व्यापारिक बैंको की कुल 8,262 शाखाएँ थीं जिनमें से केवल 1,832 (अर्थात् 22.2 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। जून 1996 में कुल शाखाओं की संख्या 62,881 तक पहुँच चुकी थी जिसमें से 34,893 शाखाएँ (अर्थात् 55.4 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थीं।

कृषि क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको से प्राप्त होने वाले ऋण में भी तेज वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, बैंकों से कृषि क्षेत्र को बकाया प्रत्यक्ष ऋण की मात्रा जून 1969 में 40 करोड़ रुपये थी, जो कुल बैंक ऋण का मात्र 1.3 प्रतिशत था। मार्च 1995 में यह राशि 20,562 करोड़ रुपये तक पहुँच चुकी थी, जो कुल बैंक ऋण का 12.4 प्रतिशत था। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के लिए बैंको के सामने कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। उदाहरण के लिए, यह लक्ष्य रखा गया है कि अपने कुल ऋण का 40 प्रतिशत भाग बैंक घोषित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (यथा कृषि, लघु उद्योग, लघु व्यवसाय इत्यादि) को प्रदान करेंगे। यह भी लक्ष्य रखा गया कि कृषि व संबद्ध क्षेत्रों

को कुल बैंक ऋण का 17 प्रतिशत तथा कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत दिया जाएगा। मार्च 1995 के अन्त तक बैंको ने 36 8 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रदान किए थे।

इस विवेचन से यह बात स्पष्ट होती है कि ग्रामीण ऋण प्रदान करने में बैंको ने राष्ट्रीयकरण के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे किसानों को कृषि आगत खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, नई कृषि युक्ति को बढ़ते हुए पैमाने पर अपनाने का अवसर मिला है, तथा कृषि निवेश को बढ़ाया जा सका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक बैंको की बढ़ती हुई भूमिका के बावजूद उनकी निम्नलिखित नीतियों के आधार पर आलोचना की जाती है -

- 1 ग्रामीण शाखाओं में कार्यरत बहुत से कर्मचारी बड़ी अनिच्छा से काम करते हैं तथा जल्द तबादले की कोशिश में लगे रहते हैं।
- 2 बिना व्यावसायिक सम्मानाओं पर ध्यान दिए अधाधुध ग्रामीण शाखाएँ खोलते जाने से प्रशासनिक खर्च बढ़े तथा बैंको के लाभ कम हुए हैं।
- 3 व्यापारिक बैंको ने भी अपनी ऋण सेवाओं का विस्तार अधिकतर उन्हीं क्षेत्रों में किया है जिनमें पहले से ही सहकारी समितियाँ कार्यरत थीं। इस प्रकार भौगोलिक रिक्तता को पूरा कर सकने में व्यापारिक बैंक असफल रहे हैं।
- 4 बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों का सकेन्द्रण भी कुछ राज्यों में है।
5. कई ग्रामीण शाखाएँ साख विकास के कार्यक्रमों को बनाने व उन्हें लागू करने में असफल रही हैं।

- 6 बैंको के ऋण कार्यक्रमों से लाभ अधिकतर बड़े व मध्यम किसानों को ही हुआ है। छोटे और सीमांत किसान तथा खेतिहर मजदूर अपनी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज भी महाजनो पर काफी निर्भर हैं।
- 7 ऋणों की वसूली की स्थिति अच्छी नहीं है। जहाँ एक ओर कृषि क्षेत्र को बैंकों द्वारा बढ़ते हुए पैमाने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, वहाँ लगभग आधा धन वापिस नहीं लौटता। यह निःसन्देह एक चिन्ताजनक बात है। इससे कृषि को ऋण देने वाली सस्थाओं का अस्तित्व ही खतरे में आने की आशंका है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank)

20-सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंश धीरे-धीरे ग्राम-ऋणग्रस्तता को समाप्त करना था और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं कारीगरों को सस्थानात्मक उधार उपलब्ध कराना था। 1975-76 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी प्रत्येक 17000 की आबादी पर एक बैंकिंग शाखा खोलने का निर्णय लिया, जो स्थानीय लोगों को साख एवं ऋण सुविधा प्रदान कर सके और इस प्रकार लोगों की आय में वृद्धि हो सके एवं आर्थिक स्तर ऊँचा हो सके। इस सन्दर्भ में उन्होंने जापान, फ्रांस, तथा श्रीलंका आदि देशों की तरह भारत वर्ष में भी सम्पूर्ण जनता को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा।

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग बैंकिंग सस्थाओं से विहीन था। इस सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में व्यावसायिक बैंको ने अपनी शाखा खोलने में असमर्थता प्रदर्शित की, क्योंकि उनकी शाखा खोलने की लागत अधिक थी तथा कर्मचारी भी सुदूर क्षेत्रों में काम करने के अभ्यस्त नहीं थे ।

सन् 1975 में भारत में आपात-स्थिति की घोषणा के बाद बीस-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की एक कड़ी के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना का विचार सरकार के समक्ष आया और तत्कालीन सरकार ने कम लागत अवधारणा (Low cost structure) के आधार पर बैंकिंग शाखा खोलने का निर्णय किया, जिसमें यह परिकल्पना की गयी थी कि निश्चित क्षेत्रों में खुलने वाली शाखाएँ केवल ऋण वितरण का कार्य करेगी ।

नये आर्थिक कार्यक्रम के इस पहलू को आगे बढ़ाने के लिए ही भारत सरकार ने 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने की घोषणा की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानों, कृषि-मजदूरों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमकर्ताओं को उधार तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना है ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं अन्य उत्पादक क्रियाओं को विकसित कर सकें ।

आरम्भ में, 2 अक्टूबर 1975 को पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर और पश्चिम बंगाल में माल्दा के स्थान पर ये बैंक क्रमशः सिडीकेट बैंक, स्टेट बैंक

ऑफ इण्डिया, पजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कामार्शियल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा चालू किए गए। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूँजी 1 करोड़ रूपए और जारी एव चुकता पूँजी (Issued and paid-up capital) 25 लाख रूपए थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की हिस्सा पूँजी में केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत और चलाने वाले वाणिज्य बैंक द्वारा 35 प्रतिशत योगदान दिया जाता है। यद्यपि मूल रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंक ही है, किन्तु वे कुछ पहलुओं में इनसे भिन्न हैं -

- (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का कार्यक्षेत्र राज्य के एक या कुछ जिलों के निर्धारित इलाके तक सीमित कर दिया जाता है।
- (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे तथा सीमान्त किसानों (Marginal Farmers), देहाती कारीगरों, कृषि मजदूरों और अन्य थोड़े सम्पत्ति वाले व्यक्तियों को उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण तथा अग्रिम देते हैं।
- (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की उधार दरें किसी राज्य में सहकारी समितियों की उधार दरों की तुलनीय हैं।

मार्च 1996 तक देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा उनकी कुल 14497 शाखाएँ थीं। आच्छादित जिलों की संख्या 427 थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के ऋणों का 90 प्रतिशत कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया इन बैंको को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की सहायता एव रियायतें देता है। जुलाई

1982 में नाबार्ड की स्थापना के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाली पुनर्वित्त नाबार्ड से मिलने लगी।

आजादी के 50 वर्षों के पश्चात बैंकिंग सेवाओं का व्यापक रूप से विस्तार किया गया। वर्तमान में सार्वजनिक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में शाखाएँ स्थापित करने में ये बैंक आज भी अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं कर पाये हैं। फलतः यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के अभाव में बहुत सी निष्क्रिय पूँजी गाँवों में पड़ी रहती है, तथा न तो उनका संग्रहण हो पाता है और न ही अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में समुचित उपयोग।

अतः ग्रामीण बैंकों द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण (Deposit Mobilisation By RRBs) की व्यापक सम्भावना है।

परिकल्पना (Hypothesis)

इस अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पना का निरूपण किया गया है -

- 1 ग्रामीण बैंक की स्थापना से पूर्व भारत में विद्यमान ग्रामीण वित्त के स्रोत अपर्याप्त थे।
- 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं जहाँ पहले से कोई बैंक नहीं थे। स्थापना के पश्चात शाखाओं, जमा तथा ऋण में ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर वृद्धि हुई है।

- 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र के कृषको, कृषि श्रमिको और अन्य ग्रामीण समुदायो के सहायतार्थ ही स्थापित किये गये थे। वे ग्रामीण बचतो को गतिशील बनाने मे भी सहायक हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे सुषुप्तावस्था मे पडी निष्क्रिय पूँजी को एकत्रित करके उसी क्षेत्र के लोगो का विकास करना इन बैंको के माध्यम से सम्भव हुआ है।
- 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा साहूकारो, सहकारी बैंको तथा अन्य व्यापारिक बैंको की कमियो को दूर किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र (Scope of Study)

यद्यपि अध्ययन का क्षेत्र व्यापक है लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से इलाहाबाद जनपद (विभाजन से पूर्व) का चयन किया गया है। इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाओ की जमाओ तथा अग्रिमो का तहसील एव विकास खण्ड स्तर पर अध्ययन किया गया, तथा उनका तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही साथ जनपद में स्थित सहकारी बैंको तथा व्यवसायिक बैंको के निक्षेपो तथा अग्रिमो का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रदेश मे अन्य ग्रामीण बैंको तथा अखिल भारतीय स्तर पर समस्त ग्रामीण बैंको तथा अन्य व्यावसायिक बैंको के समग्र जमा तथा अग्रिमो का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन की विधि (Method of Study)

इलाहाबाद जनपद के सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन के लिए मुख्यतः प्राथमिक तथा द्वितीयक आँकड़े, अवलोकन, साक्षात्कार तथा पुस्तकालय पद्धति का प्रयोग किया गया है।

कार्य क्षेत्र (Field Work)

शोध सम्बन्धी समको को इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान लखनऊ, जिला कार्यालय, इलाहाबाद, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कानपुर एवं लखनऊ तथा नाबार्ड में कार्यरत उपयुक्त अधिकारियों से साक्षात्कार करके प्राप्त किया गया है।

द्वितीयक समको का संग्रहण

अध्ययन मुख्यतया द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। यह आँकड़े विभिन्न संस्थाओं से प्रकाशित बुलेटिनो यथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नाबार्ड, तथा विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के कार्यालयों से सकलित किया गया है।

सीमाएं (Limitations)

वर्तमान अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक समकों पर आधारित है, अतएव गौण समको आधारित शोध की समस्त सीमाएं इस शोध प्रबंध में भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देना होगा कि शोध का कार्य-काल साधारणतया जून 1997

तक ही सीमित है, जबकि इलाहाबाद से सम्बन्धित ऑकडे केवल मार्च 1997 तक ही के प्राप्त हुए हैं, जबकि मार्च 1998 में देश में नई सरकार के सत्तारूढ होने से अन्य क्षेत्रों की भाँति बैंकिंग के क्षेत्र में भी परिवर्तन का आना स्वाभाविक है। वर्तमान अध्ययन बदलती हुयी परिस्थिति से पूर्व का है।

भारत में बैंकिंग प्रणाली

(BANKING SYSTEM IN INDIA)

भारत एक विकासशील राष्ट्र है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से ही यह अनुभव किया जाने लगा था कि देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन अत्यन्त आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर 1951 में प्रथम योजना प्रारम्भ की गयी इस समय तक देश में विभिन्न योजनाएँ सम्पन्न हो चुकी हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है। एक विकासशील राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न होने के कारण उनकी बचत कम होती है। जो भी बचत होती है उसका उपयोग भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। बचत को सही दिशा प्रदान करने के लिए देश की बैंकिंग प्रणाली की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैंक छोटी-छोटी बचतों को एकत्रित कर उन क्षेत्रों में विनियोजित करते हैं जहाँ उनकी आवश्यकता होती है। भारत के आर्थिक नियोजन में बैंकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात स बैंकों की संरचना में आधारभूत परिवर्तन किये गये हैं। यद्यपि इस समय भी देश में मुद्रा बाजार सगठित एवं असगठित दोनों रूपों में विद्यमान है, परन्तु पिछले दिनों में देश के सगठित मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करके देश के केन्द्रीय बैंक को पूर्णरूप से सरकारी बैंक कर दिया गया। बैंकों के सन्तुलित विकास तथा उन पर अधिक प्रभावशाली नियन्त्रण करने के लिए बैंकिंग कम्पनीज एक्ट 1949 पारित

किया गया। 1955 में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थापना की गयी। 1969 में देश के 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए देश में कई विकास बैंकों की स्थापना हुई। 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। निजी क्षेत्र में उपक्रमों के निर्माण, विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए 1955 में औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना की गयी। देश के औद्योगीकरण के स्तर को उन्नत बनाने तथा औद्योगिक विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं की स्थापना के लिये 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गयी। देश में औद्योगिक वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई।

कृषि एवं ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिये 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। पिछड़े क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों के लिये परियोजना निर्माण के लिये 1968 में कृषि वित्त निगम की स्थापना की गयी। 1963 में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम स्थापित किया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गयी। देश की आयात निर्यात की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1982 में भारतीय निर्यात एवं आयात बैंक की स्थापना हुई। देश के नियोजित आर्थिक विकास के लिये वित्तीय ससाधनों की पूर्ति के उद्देश्य से ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में बैंकिंग

व्यवस्था में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। देश में कार्यरत विभिन्न बैंकों में कुछ प्रमुख बैंक इस प्रकार हैं -

बैंकों का वर्गीकरण :-

CLASSIFICATION OF BANKS

(1) भारतीय रिजर्व बैंक -

(2) व्यावसायिक बैंक -

(i) अनुसूचित व्यावसायिक बैंक (ii) गैर-अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, (iii) लाइसेन्सधारी व्यावसायिक बैंक, (iv) गैर-लाइसेन्सधारी व्यावसायिक बैंक, (v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, (vi) निजी क्षेत्र के बैंक (vii) विदेशी बैंक ।

(3) सहकारी बैंक -

राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक ।

(4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-

(5) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक -

(6) विकास बैंक -

(i) भारत का औद्योगिक वित्त निगम, (ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, (iii) भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, (iv) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (v) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, (vi) राज्यों के वित्तीय निगम, (vii) राज्य औद्योगिक विकास निगम (viii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक।

(7) गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ -

(i) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (ii) जीवन बीमा निगम, (iii) सामान्य बीमा निगम, (iv) भारतीय यूनिट ट्रस्ट।

(8) अन्य प्रकार के बैंक -

निकेप बैंक, व्यापारी बैंक, बचत बैंक।

भारतीय रिजर्व बैंक :- (Reserve Bank of India)

भारतीय रिजर्व बैंक देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में 1935 में स्थापित किया गया था। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इस पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया था। रिजर्व बैंक देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। एम0 एच0 डी0 कोक ने केन्द्रीय बैंक के कार्य बताते हुए स्पष्ट किया है कि एक केन्द्रीय बैंक देश में नोट निर्गमन, सरकार के बैंकर, बैंको के बैंक, अन्तिम ऋण दाता, विदेशी मुद्राओं के नियन्त्रक, समाशोधन गृह तथा साख के नियन्त्रक के रूप में कार्य करता है। किसी भी देश के केन्द्रीय बैंक का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्य सरकार की आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य में मोद्रिक प्रणाली को इस प्रकार विनियमित करना है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था का चहुँमुखी विकास होकर देश में आर्थिक स्थायित्व स्थापित हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को विभिन्न आर्थिक मामलों में सलाह देता है। रिजर्व बैंक देश में साख को नियन्त्रित करता है। साख नियन्त्रण करने के लिए बैंक दर खुले बाजार की क्रियाएँ, न्यूनतम नकद कोष, चयनात्मक साख नियन्त्रण तथा नैतिक दबाव आदि रीतियों का प्रयोग करता है।

2. व्यावसायिक बैंक :- (Commercial Bank)

सामान्य रूप से जब बैंक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अभिप्राय व्यावसायिक बैंक से ही होता है। ये बैंक मुख्य रूप से व्यापार एवं उद्योगों को उनकी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ये बैंक छोटी-छोटी बचतों को एकत्रित करके आवश्यकता वाले क्षेत्रों में विनियोजित करते हैं। व्यावसायिक बैंकों को अनुसूचित बैंक, गैर-अनुसूचित बैंक, लाइसेन्सधारी बैंक, गैर-लाइसेन्सधारी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक तथा भारतीय बैंक और विदेशी बैंकों के रूप में बाँटा जा सकता है-

(1) अनुसूचित व्यावसायिक बैंक :- (Scheduled Commercial Bank)

अनुसूचित बैंक से तात्पर्य उस बैंक से है जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया हो। अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिये जाने के कारण ही इन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाता है। अधिनियम की धारा 42 (6) के अनुसार किसी ऐसे बैंक का नाम द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करता हो तथा निम्न शर्तों को पूरी करता हो।

- (अ) उसकी प्रदत्त पूँजी तथा रक्षित निधि 5 लाख रुपये से कम मूल्य की न हो।
- (ब) रिजर्व बैंक इस बात से सतुष्ट हो कि सम्बन्धित बैंक के कार्य-कलाप जमाकर्ताओं के हितों के विपरीत नहीं हैं।

(स) वह बैंक एक राज्य सहकारी बैंक अथवा भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार पारिभाषित एक कम्पनी अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय से अधिसूचित एक संस्था अथवा भारत के बाहर प्रचलित किसी सन्निधिम के अन्तर्गत समामेलित कोई निगम अथवा कम्पनी हो।

**(ii) गैर-अनुसूचित व्यावसायिक बैंक :-
(Non-Scheduled Commercial Banks)**

गैर-अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया जाता। ऐसे बैंकों के नाम द्वितीय अनुसूची में इसलिये सम्मिलित नहीं किये जाते क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42 (6) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते। यद्यपि इन बैंकों को वे समस्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती जो कि अनुसूचित बैंकों को प्राप्त होती हैं।

परन्तु बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार ऐसे बैंकों को भी नकद कोष रखना आवश्यक है। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 18 के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी, जो कि एक अनुसूचित बैंक नहीं है, को एक नकद कोष रखना आवश्यक है।

**(iii) लाइसेन्सधारी व्यावसायिक बैंक :-
(Licensed Commercial Bank)**

वे बैंक जो बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 22 (1) के अनुसार लाइसेन्स प्राप्त करके बैंकिंग कार्य करते हैं उन्हें लाइसेन्सधारी व्यावसायिक बैंक कहते हैं। लाइसेन्स स्वीकृत के पहले रिजर्व बैंक को स्वयं को निम्नलिखित बातों से सन्तुष्ट करना पड़ता है-

(अ) कम्पनी अपने वर्तमान तथा भावी जमाकर्ताओं के दावों की मांग किये जाने पर पूर्ण भुगतान करने की स्थिति में होगी।

- (ब) कम्पनी के व्यवसाय का संचालन इस प्रकार से नहीं किया जा रहा है अथवा इस प्रकार से किये जाने की सम्भावना नहीं है जो कि कम्पनी के जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल हो।
- (स) कम्पनी के प्रस्तावित प्रबन्ध तन्त्र का सामान्य स्वरूप ऐसा नहीं होगा जो जनता अथवा जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल हो।
- (द) कम्पनी की पूँजी संरचना तथा उपार्जन क्षमता पर्याप्त है।
- (य) कम्पनी को लाइसेन्स प्रदान करना सामान्य हित में होगा।
- (र) रिजर्व बैंक कोई अन्य शर्त लगा सकता है जो वह उचित समझता है।

(iv) गैर-लाइसेन्स धारी व्यावसायिक बैंक :
(Non-Licensed Commercial Banks)

वे बैंक जो बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त नहीं करते अथवा जिन बैंकों को लाइसेन्स के लिए प्रार्थना करने पर रिजर्व बैंक लाइसेन्स प्रदान नहीं करता गैर-लाइसेन्सधारी बैंक कहलाते हैं।

(v) सार्वजनिक बैंक :
(Public Sector Bank)

सार्वजनिक बैंकों का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। सार्वजनिक बैंकों को दो भागों में बाँटा जा सकता है, स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी बैंक तथा 20 राष्ट्रीयकृत बैंक। (वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है क्योंकि न्यू बैंक आफ इन्डिया का पंजाब नेशनल बैंक (P N B) में विलय हो गया है।)

राष्ट्रीय स्टेट बैंक :- (State Bank of India)

1921 में तीन प्रसीडेन्सी बैंको को मिलाकर इम्पीरियल बैंक की स्थापना की गयी थी। नोट निर्गमन के कार्य को छोड़कर इस बैंक को केन्द्रीय बैंक के महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये थे। 1955 में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसका स्थान भारतीय स्टेट बैंक ने ले लिया जिसने 1 जुलाई 1955 से कार्य प्रारम्भ कर दिया।

1959 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (सबसीडियरी बैंक्स) एक्ट 1959 पारित करके भूतपूर्व रियासतो से सम्बन्धित बैंको का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें भारतीय स्टेट बैंक का सहायक बैंक बना दिया गया। ये बैंक थे-

- (1) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर,
- (2) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद,
- (3) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर,
- (4) स्टेट बैंक ऑफ जयपुर,
- (5) स्टेट बैंक आफ मैसूर,
- (6) स्टेट बैंक आफ पटियाला,
- (7) स्टेट बैंक आफ सौ राष्ट्र,
- (8) स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर

बाद में कुछ परिवर्तन करके स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कर दिया गया। इस समय इनके सहायक बैंको की संख्या 7 है।

राष्ट्रीयकृत बैंक :- (Nationalised Bank)

सरकार ने बैंक साख को कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ओर मोड़ने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंको पर "सामाजिक नियन्त्रण व्यवस्थाओं" को लागू किया किन्तु सरकार ने यह महसूस किया कि वित्त एवं साख को कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ओर मोड़ना समय की महती आवश्यकता है, और इस परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण करके ही कृषि एवं ग्रामीण अंचलों को पर्याप्त मात्रा में ऋण व साख की इच्छित मात्रा में आपूर्ति सम्भव है, किसी अन्य रीति से नहीं।

छोटे एवं कमजोर वर्ग के लोगों तक ऋण एवं साख की व्यवस्था को सुलभ, समायानुकूल एवं पर्याप्तता की दृष्टि से सरकार ने 19 जुलाई, 1969 को देश के 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया। देश के सम्पूर्ण बैंकिंग इतिहास में राष्ट्रीयकरण एक सर्वाधिक क्रान्तिकारी घटना रही। सरकार ने पुन 15 अप्रैल 1980 को छ. अन्य बड़े अनुसूचित बैंको का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया और इस प्रकार अब 20 वाणिज्यिक बैंक देश की विकास-प्रक्रिया में अपना योगदान सरकारी नीतियों के अनुरूप कर रहे हैं। (वर्तमान में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक कार्य कर रहे हैं)

(vi) निजी क्षेत्र के बैंक :-
(Private Sector Banks)

निजी क्षेत्र के व्यावसायिक बैंको मे दो प्रकार के बैंक है -

भारत मे समामेलित बैंक तथा विदेशी बैंक। निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक दो भागो मे विभाजित किये जा सकते है - अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक, इन बैंको को स्वतन्त्र रूप से अपनी पूँजी निर्गमित करने तथ अपना प्रबन्ध करने का अधिकार है। ये अशर्धारियो के बैंक है। इनका नियन्त्रण बैंकिंग नियमन अधिनियम की व्यवस्थाओ के अन्तर्गत है।

(vii) विदेशी बैंक .-
(Foreign Banks)

विदेशी बैंक ऐसे बैंक है जो विदेशो मे समामेलित हुए है तथा जिनका पजीकृत कार्यालय विदेशो मे स्थित है परन्तु भारत मे जिनकी शाखाये कार्यरत है । ये समस्त बैंक अनुसूचित बैंक हैं। 1950 तक ये बैंक विदेशी विनिमय बैंक कहलाते थे। ये बैंक सामान्य बैंकिंग सेवाएँ निष्पादित करते है।

3. सहकारी बैंक :-
(Cooperative Banks)

भारत मे सहकारी बैंक भी बैंकिंग के आधारभूत कार्य सम्पन्न करते है, किन्तु वे वाणिज्यिक बैंको से भिन्न प्रकार के होते हैं । वाणिज्यिक बैंको का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा किया गया है जबकि सहकारी बैंको की स्थापना अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समितियो के अधिनियमो द्वारा की गई

है। भारत में सहकारी बैंको का गठन तीन स्तरों वाला (Three Set-up) है राज्य सहकारी बैंक सम्बन्धित राज्य में शीर्ष सस्था होती है। इसके बाद केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर प्राथमिक ऋण समितियों का होता है जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं।

उपर्युक्त त्रिस्तरीय सहकारी बैंको के ढाँचे के अतिरिक्त 16 सितम्बर, 1985 से एक बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम (1984) के अन्तर्गत कुछ बहुराज्यीय सहकारी समितियों का गठन भी किया गया है, जो एक राज्य तक सीमित नहीं होती तथा एक से अधिक राज्यों में सदस्यों की आवश्यकताएँ पूरी करती हैं। इस प्रकार की बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :- (Regional Rural Banks)

समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं कारीगरों को सस्थागत उधार उपलब्ध कराने के लिए देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना की गई। आरम्भ में 2 अक्टूबर, 1975 को पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए- उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर तथा पश्चिम बंगाल में मालदा। बाद में देश के अन्य भागों में भी इन बैंको का विस्तार किया गया। बैंक की पूँजी 50 15 35 के अनुपात में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक में विभाजित होती है।

5. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक :- (National Bank for Agriculture and Rural Development "NABARD")

इस देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्षस्थ संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई, 1982 को की गई। नाबार्ड की वर्तमान शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये की है जिसे 1996-97 में 1000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव था। नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढाँचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधाएँ प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती है। अपनी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से धनराशियाँ प्राप्त करता है।

6. विकास बैंक :- (Development Bank)

विकास बैंकों की स्थापना देश में मध्यम और दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त की व्यवस्था के लिए की गयी थी। भारत में विभिन्न विकास बैंक स्थापित किये गये हैं।
जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं -

(i) भारत का औद्योगिक वित्त निगम -**(Industrial Finance Corporation of India)**

1 जुलाई 1948 को देश में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना था। निगम केवल ऐसी लिमिटेड कम्पनियों अथवा सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करता है जो भारत में स्थापित हो तथा वस्तुओं का निर्माण अथवा विधियन (Processing), खनन (Mining), विद्युत शक्ति का सृजन अथवा वितरण, जहाजरानी एवं जहाज निर्माण, होटल उद्योग एवं वस्तुओं के संरक्षण (Preservation of goods) में सलग्न उद्योगों से सम्बन्धित हो।

(ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक :-**(Industrial Development Bank of India)**

देश में औद्योगिक विकास की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने जुलाई, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया। 1976 तक यह बैंक रिजर्व बैंक का एक अनुषंगी बैंक (Subsidiary Bank) था। 1976 में इसे रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इस बैंक का मुख्य कार्य औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उद्योगों के विकास में लगी संस्थाओं को बढ़ावा देना तथा मझोली औद्योगिक इकाइयों को सीधे ही वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जबकि छोटी व मझोली इकाइयों को बैंको तथा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम.-
(Industrial and Investment Corporation of India)

औद्योगिक साख एव विनियोग निगम की स्थापना जनवरी 1955 में की गयी थी। यह भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। इसके मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में उपक्रमों के निर्माण, विकास एवं उनके आधुनिकीकरण के कार्य में सहायता करना, ऐसे उपक्रमों में पूँजी विनियोग को प्रोत्साहित करना तथा औद्योगिक विनियोग के निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना एवं विनियोग बाजारों का विकास करना है। यह दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है जो पन्द्रह वर्ष तक के हो सकते हैं।

(iv) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम:-
(Industrial Reconstruction Corporation of India)

रूग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (Industrial Reconstruction Corporation of India) की स्थापना की गयी थी। मार्च 1984 में इस निगम का पूरा उपक्रम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को हस्तान्तरित तथा उसमें निहित कर दिया गया। इस बैंक के मुख्य उद्देश्य बन्द पड़ी अथवा निष्क्रिय अथवा रूग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनर्निर्माण कर उन्हें नवजीवन प्रदान करना है।

(v) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम:-
(National Industrial Development Corporation)

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना अक्टूबर 1954 में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में की गयी थी।

इसकी स्थापना उद्योगों के सन्तुलित एवं सगठित विकास में सरकार की सहायता करने के लिए की गयी है।

**(vi) राज्यों के वित्तीय निगम:-
(Financial Corporation)**

राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकारों को अपने राज्यों के लिए पृथक वित्त निगम स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत सबसे पहले 1953 में पंजाब में राज्य वित्त निगम की स्थापना की गयी। उसके बाद विभिन्न राज्यों के राज्य वित्त निगमों की स्थापना की गयी। राज्य वित्त निगमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों की लघु एवं मध्यम आकार वाली औद्योगिक संस्थाओं को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना था।

**(vii) राज्य औद्योगिक विकास निगम:-
(State Industrial Development Corporation)**

राज्यों में सन्तुलित एवं समन्वित औद्योगिक विकास के लिए राज्यों के पूर्ण स्वामित्व में राज्य औद्योगिक विकास निगमों की स्थापना की गयी है। इन निगमों की स्थापना अधिकतर राज्यों में भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गयी है परन्तु कुछ राज्यों में इनकी स्थापना विशेष अधिनियम के अन्तर्गत भी हुई है। इन निगमों की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य राज्यों में उद्योगों का प्रवर्तन, प्रवर्तन तथा विकास करना है।

7. गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ:-

(Non-Banking Financial Intermediaries)

(i) भारतीय निर्यात-आयात बैंक- (Export-Import Bank of India)

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई। यह एक वैधानिक निगम है तथा इस पर केन्द्रीय सरकार का पूर्ण नियन्त्रण है। इस बैंक को निर्यात आयात के क्षेत्र में विकास बैंक के रूप में स्थापित किया गया है। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य वित्त की व्यवस्था तथा देश के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए माल और सेवाओं के निर्यात एवं आयात को सुविधाजनक बनाना है।

(ii) जीवन बीमा निगम- (Life Insurance Corporation)

1956 में भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके जीवन बीमा व्यवसाय चलाने के लिए सितम्बर 1956 में जीवन बीमा निगम की स्थापना की गयी। यद्यपि जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्य पालिसीधारियों के जीवन पर बीमा करना है परन्तु इस माध्यम से यह छोटी-छोटी बचतों को एकत्रित करती है तथा उनका विनियोग करती है। इस समय जीवन बीमा निगम एक महत्वपूर्ण विनियोक्ता के रूप में कार्य कर रहा है। इसने देश के पूँजी बाजार को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया है।

**(iii) सामान्य बीमा निगम -
(General Insurance Corporation)**

सामान्य बीमा निगम की स्थापना दिसम्बर 1972 में एक सरकारी कम्पनी के रूप में की गयी थी। निगम की अधिकृत पूँजी 75 करोड़ रुपये है जो सौ-सौ रुपये के 75 लाख समता अंशों में विभक्त है। सामान्य बीमा निगम एक सूत्रधारी कम्पनी है जिसकी चार सहायक कम्पनियाँ हैं। सामान्य बीमा का समस्त कार्य ये चारों कम्पनियाँ करती हैं।

**(iv) भारतीय यूनिट ट्रस्ट -
(Unit Trust of India)**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना जुलाई 1964 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य छोटी-छोटी बचतों को विकास कार्यों के लिए गतिशील बनाना तथा देश में पूँजी निर्माण को अधिक तेज करना था। यूनिट ट्रस्ट समाज के विभिन्न वर्गों की बचत का विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में विनियोजित करती है। ट्रस्ट का मूलभूत उद्देश्य यह है कि छोटी या बड़ी बचत लगाने वाले सभी लोग उस विकासशील सम्पन्नता में हिस्सा बटा सकें जो देश की औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ बढ़ती जा रही है।

8. बैंकिंग के कुछ अन्य प्रकार :-

(Some other types of Bankings)

निक्षेप बैंकिंग -

(Deposit Banking)

निक्षेप बैंकिंग, बैंकिंग की वह प्रणाली है जिसमें जनता से निक्षेप प्राप्त किये जाते हैं तथा उनका प्रयोग ऋण देने तथा विनियोग करने में किया जाता है।

व्यापारी बैंकिंग -

(Merchant Banking)

व्यापारी बैंकिंग में उद्यमियों को परामर्श प्रदान किया जाता है। ये बैंक अपने ग्राहकों को नयी औद्योगिक संस्थाओं को स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं। नई कम्पनियों की पूंजी निर्गमित करने, उनकी वित्त याजना बनाने, पूंजी के पुनर्गठन में सहायता प्रदान करने में लिए गये ऋणों के लिए प्रतिभूत देने आदि का कार्य सम्पन्न करते हैं।

बचत बैंक -

(Saving Bank)

बचत बैंको से तात्पर्य ऐसे बैंको से है जो जनता की छोटी-छोटी बचत एकत्रित करते हैं तथा उसे राष्ट्र के उत्पादक कार्यों में विनियोजित करते हैं। भारतवर्ष में डाकघर बचत बैंक (Post Office Saving Banks) इस कार्य का सम्पन्न करते हैं।

वाणिज्य बैंकों की प्रगति

तालिका 2 1 — अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की,
बैंक/शाखावार प्रगति का विवरण
(राष्ट्रीयकरण के पूर्व की स्थिति)

वर्ष	अनुसूचित बैंक		गैर-अनुसूचित बैंक	
	बैंको की संख्या	शाखाओं की संख्या	बैंको की संख्या	शाखाओं की संख्या
1949	94	2852	526	1589
1956	89	2953	333	1240
1961	82	4388	209	725
1967	74	6620	24	216
1969	73	8045	16	217

Source AnsanMohd Salman — "Working of the Regional Rural Banks in Eastern Uttar Pradesh" Page - 21

तालिका 2-1 से यह स्पष्ट है कि आजादी के पश्चात देश में बैंकों की संख्या बहुत कम थी तथा 1969 (राष्ट्रीयकरण) से पूर्व इस स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। वर्ष 1949 में कुल अनुसूचित बैंकों की संख्या 94 थी जो 1969 में 73 हो गयी। बैंकों में कमी का अभिप्राय यह रहा कि जो अलाभकारी बैंक थे उनको बन्द कर दिया गया या तो दूसरे में विलय कर दिया गया। वर्ष 1949 में इन बैंकों की शाखाओं की संख्या 2852 थी जो कि 1969 में बढ़कर 8045 हो गयी। इस प्रकार शाखाओं की संख्या में 182.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या 1949 में 526 थी जो 1969 में घटकर 16 हो गयी। इसी प्रकार शाखाओं की संख्या में कमी आयी है।

तालिका 2 2 — व्यावसायिक बैंकों की जमा-ऋण प्रगति का विवरण
(राष्ट्रीयकरण के पूर्व की स्थिति)

(Rs. in Crores)

क्र० सख्या	वर्ष	सकल जमा	सकल ऋण	सकल ऋण-जमा अनुपात(प्रतिशत)
1	1949	844	482	57 12
2	1961	1873	1335	71 28
3	1967	3741	2646	70 73
4	1969	4674	3615	77 34

Source AnsariMohd Salman — "working of the Regional Rural Banks in Eastern Uttar Pradesh" Page - 21

तालिका 2-2 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आजादी के पश्चात तथा राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों की जमाओं तथा ऋणों में निरन्तर प्रगति हुई है। वर्ष 1949 में कुल जमा धनराशि 844 करोड़ थी जो 1969 में बढ़कर 4674 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार जमाओं में 453 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1949 में सकल ऋण की राशि 482 करोड़ रु० थी जो 1969 में 3615 करोड़ हो गयी। इस प्रकार ऋणों में 650 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऋण-जमा अनुपात की स्थिति भी सतोषजनक रही। ऋण-जमा अनुपात 1949 में 57 12 प्रतिशत था जो बाद के वर्षों में क्रमशः 71 28, 70 73 एवं 77 34 प्रतिशत रहा। ऋण-जमा अनुपात से यह प्दिदित होता है कि बैंकों में अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान प्रदान किया है।

तालिका 23 — वाणिज्य बैंकों की शाखाओं की प्रगति का क्रमवार विवरण

क्र० स०	वर्ष (जून के अन्त में)	भारत (शाखाओं की संख्या)	उत्तर प्रदेश (शाखाओं की संख्या)	भारत प्रति बैंक औसत जनसंख्या (हजार में)	उत्तर प्रदेश प्रति बैंक औसत जनसंख्या (हजार में)	उत्तर प्रदेश का अखिल भारत से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	जून 1969	8262	747	65	119	9 04
2	1989	57698	8066	12	14	13 97
3	1990	59388	8355	12	13	14 06
4	1991	60190	8444	12	13	14 02
5	1992	60649	8512	11	13	14 03
6	1993	61248	8578	11	13	14 01
7	1994	61742	8607	14	16	13 94
8	1995	62346	8646	14	16	13 87
9	1996	63084	8680	15	18	13 76
10	1997	63724	8765	15	18	13 75

स्रोत- 1 भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन 2 रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स

नोट- 1969 की औसत जनसंख्या 1961 की जनगणना पर आधारित है। 1989 से 1993 तक 1981 की जनगणना के अनुसार तथा इसके पश्चात 1991 की जनसंख्या पर आधारित है।

तालिका 2 3 से परिलक्षित होता है कि वाणिज्य बैंको की शाखाओ मे निरन्तर प्रगति हुई है। जून 1969 मे शाखाओ की सख्या 8263 थीं जबकि 20 वर्ष पश्चात 1989 मे 57698 हो गयी, इस प्रकार 598 35 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई । जून 1997 के अन्त मे भारत मे कुल शाखाओ की सख्या 63724 हो गयी। इस प्रकार 1989 की तुलना मे 1997 मे 10 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश मे भी 1989 की अपेक्षा 1997 मे 8 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति बैंक औसत जनसख्या जून 1969 मे 65 हजार थी जबकि बाद के वर्षों मे कम हो गयी और जून 1997 के अन्त मे 15 हजार हो गयी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश मे भी जून 1969 के अन्त मे प्रति बैंक औसत जनसख्या 119 हजार थी तथा बाद के वर्षों मे कम हो गयी है। उत्तर प्रदेश का अखिल भारत से प्रतिशत जून 1969 मे 9 04 था जबकि बाद के वर्षों मे यह 14 प्रतिशत के लगभग रहा।

तालिका-2.4 — भारत में वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का बैंक समूहवार/जनसंख्या समूहवार वितरण

बैंक समूह	निम्नलिखित दिनांक को कार्यालयों की संख्या																	
	जुलाई 19, 1969*						मार्च 31, 1995 @						मार्च 31, 1996 @@					
	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	जोड़	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	जोड़	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	जोड़			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
भारतीय स्टेट बैंक	462 (29.4)	796 (50.7)	163 (10.6)	150 (9.5)	1 571 (100.0)	4 467 (51.1)	2 200 (25.1)	1 245 (14.2)	836 (9.6)	8 748 (100.0)	4 136 (46.8)	2 394 (27.1)	1 362 (15.4)	938 (10.6)	8 830 (100.0)			
भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	358 (40.0)	375 (42.0)	36 (9.6)	75 (8.4)	844 (100.0)	1 531 (38.5)	1 295 (32.5)	699 (17.5)	457 (11.5)	3 982 (100.0)	1 375 (33.8)	1 411 (34.6)	693 (17.0)	594 (14.6)	4 073 (100.0)			
राष्ट्रीयकृत बैंक	703 (16.9)	1 465 (35.1)	928 (22.3)	1 072 (25.7)	4 168 (100.0)	14 712 (48.0)	6 054 (19.8)	5 478 (17.9)	4 389 (14.3)	30 633 (100.0)	13 951 (44.9)	6 362 (20.5)	5 718 (18.4)	5 024 (16.2)	31 055 (100.0)			
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						13 089 (90.2)	1 242 (8.5)	184 (1.3)	4 (.)	14 519 (100.0)	12 486 (1 738)	1 738 (12.0)	287 (2.0)	5 (0.0)	14 516 (100.0)			
अन्य वाणिज्य बैंक	337 (20.0)	708 (41.9)	279 (16.5)	364 (21.6)	1 688 (100.0)	1 272 (30.2)	1 376 (32.6)	851 (20.0)	719 (17.9)	42 18 (100)	11 44 (26.1)	1 494 (34.1)	965 (22.1)	772 (17.6)	43 75 (100)			
जोड़	1 860 (22.5)	3 344 (40.2)	1 456 (17.5)	1 661 (20.0)	8 321 (100)	35 071 (56.5)	12 167 (19.6)	8 457 (13.6)	6 405 (10.3)	62 100 (100)	33 092 (57.7)	13 399 (21.3)	9 025 (14.4)	7 333 (11.7)	62 849 (100)			

* वर्गीकरण 1961 की जनगणना पर आधारित है।

(a) जनसंख्या समूह के अनुसार शाखाओं का वर्गीकरण 1981 की जनगणना पर आधारित है।

(b) वर्गीकरण 1991 की जनगणना पर आधारित है।

नोट- कोष्ठकों में दिये गये आकड़े प्रत्येक समूह में कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

Source Report on Currency & Finance, 1995 - 96 Volume - II

तालिका 2 4 — से यह स्पष्ट है कि जुलाई 1969 के दौरान वाणिज्य बैंको की सर्वाधिक शाखाए अर्धशहरी क्षेत्रो मे विद्यमान थीं जबकि राष्ट्रीयकरण के पश्चात 1995 तथा 1996 के दौरान इनकी सर्वाधिक सख्या ग्रामीण क्षेत्रो मे थीं। जुलाई 1969 मे ग्रामीण क्षेत्रो मे कुल सख्या की मात्र 22 5 प्रतिशत शाखाए थीं जबकि 1995 मे 56 5 प्रतिशत और 1996 मे 57 7 प्रतिशत हो गयी। इससे यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रो मे शाखाओ का तेजी से विस्तार हुआ है और राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्यो की पूर्ति हुई है। जुलाई 1969 मे कुल वाणिज्य बैंको के कार्यालयो की सख्या 8321 थी और 1996 मे बढकर यह 62849 हो गयी। इस प्रकार शाखा विस्तार व्यापक स्तर पर हुआ है।

तालिका-2.5— उत्तर प्रदेश में सभी अनु० वाणिज्यिक बैंकों की
जमा-ऋण प्रगति का विवरण

(धनराशि करोड रू० में)

क्रमांक	वर्ष	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1-	जून 1987	11146 69	5028 84	45 12
2	जून 1989	15140 89	6992 29	46 18
3	जून 1990	17919 49	8539 75	47 66
4	मार्च 1991	20395 83	9346 96	45 82
5	मार्च 1992	22539 38	10056 21	44 61
6	मार्च 1993	25431 28	10773 00	42 36
7	मार्च 1994	29619 47	11033 07	37 25
8	मार्च 1995	35217 05	12331 93	35 02
9	मार्च 1996	41450 81	14194 91	34 24
10	जून 1997	49240 43	15114 28	30 69

स्रोत- 1 बैकिंग स्टैटिस्टिक्स 2 भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन 3 रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स

तालिका 2.5— से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा तथा ऋण में निरन्तर प्रगति हुई है। जून 1987 में कुल जमाधन राशि 11146 69 करोड रूपये थी जबकि जून 1997 में यह बढ़कर 49240 43 करोड रूपये हो गयी। इस प्रकार जून 1987 तथा जून 1997 के समयान्तराल में 341 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा जून 1987 की तुलना में जून 1997 में ऋणों में 200 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऋण-जमा अनुपात 50 प्रतिशत से भी कम रहा है इससे यह स्पष्ट होता है कि बैंकों द्वारा जमाओं की तुलना में ऋण कम वितरित किया गया है।

तालिका- 2.6— भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंको की जमा-ऋण प्रगति का क्रमवार विवरण (मार्च की अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(धनराशि करोड रु में)

क्रमांक	वर्ष	सकल जमा	सकल ऋण	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1	1971	5906	4684	79.3
2	1976	14155	10877	76.8
3	1981	37988	25371	66.8
4	1986	85404	56067	65.7
5	1988	118045	70536	59.8
6	1989	140150	84719	60.5
7	1990	166959	101453	60.8
8	1991	192542	116301	60.4
9	1992	237565	131520	55.4
10	1993	268572	151982	56.6
11	1994	315132	164418	52.2
12	1995	386859	211560	54.7
13	1996	433819	254015	58.6
14	1997	505599	278401	55.1

Source —1 Report on Currency and Finance (1989-90), 1994-95, 1995-96)
Volume II

2 Reserve Bank of India Bulletin-Nov 1997

3 Banking Statistics 1994-95

तालिका 26— से परिलक्षित होता है कि भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाओं तथा ऋणों में निरन्तर प्रगति हुई है। 1997 में सकल जमा 505599 करोड़ रुपये था जो कि 1996 की अपेक्षा 16.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 1997 में सकल ऋण की राशि 278401 करोड़ रुपये थी और यह 1996 की अपेक्षा 9.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ऋण-जमा अनुपात प्रत्येक वर्ष सन्तोषजनक स्थिति को दर्शाता है जो कि 50 प्रतिशत से सदैव ऊपर रहा है। 1971 में सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपात 79.3 प्रतिशत था जबकि न्यूनतम 1994 में 52.2 प्रतिशत था।

तालिका- 27— सभी अनुसूचित-वाणिज्यिक बैंकों की क्षेत्र/राज्य वार प्रगति का विवरण

(धनराशि करोड़ रु० में)

क्षेत्र/राज्य	मार्च 1991 की अन्तिम शुक्रवार की स्थिति				मार्च 1996 की अन्तिम शुक्रवार की स्थिति			
	कार्यालयों की सख्या	जमा धनराशि	ऋण	ऋण- जमा अनुपात तालिका (प्रतिशत)	कार्यालयों की सख्या	जमा धनराशि	ऋण	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 उत्तरी क्षेत्र	9161	4279835	2723098	63.6	9738	9442087	5741596	60.8
2 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1830	340258	155237	45.6	1893	688153	237461	34.5
3 पूर्वी-क्षेत्र	11129	3112147	1612601	51.8	11451	5541362	2643984	41.7
4 मध्य क्षेत्र	12735	2813297	1453988	51.7	13091	5710194	2312919	40.5
(1) उत्तर प्रदेश	8405	2039583	934696	45.8	8670	4145081	1419491	34.2
5 पश्चिमी क्षेत्र	9206	5242402	3741657	71.4	9660	11779354	8180528	69.4
6 दक्षिणी क्षेत्र	16052	4215630	3564436	84.6	17016	9446187	7236834	76.6
7 अखिल भारत	60113	20003569	13251018	66.3	62849	42607337	26353322	61.9

Note- Data are inclusive of those relating to RRBs

Source- Banking Statistics-Quarterly Handbooks, Reserve Bank of India

तालिका 2.7 से परिलक्षित होता है कि मार्च 1991 में बैंको की कार्यालयों की संख्या सर्वाधिक 16052 दक्षिणी क्षेत्र में स्थित थी जबकि न्यूनतम 1830 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में थी जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश से भी कम है। 1996 में भी सर्वाधिक शाखाएँ दक्षिणी क्षेत्र में थीं। 1991 की तुलना में 1996 में शाखाओं की संख्या में 4.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऋण-जमा अनुपात 1991 में 84.6 प्रतिशत था तथा 1996 में घटकर यह 76.6 प्रतिशत हो गया, इसका कारण यह है कि बैंको ने विगत वर्ष की अपेक्षा ऋण का कम वितरण किया। तालिका से स्पष्ट है कि जमा, ऋण तथा कार्यालय तीनों में प्रगति हुई है।

तालिक 2.8— सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की क्षेत्र/राज्यवार प्रति कार्यालय बैंक जमा तथा ऋण का विवरण (मार्च की अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड रू में)

क्रमांक	क्षेत्र/राज्य	बैंक जमा		बैंक ऋण	
		1991	1996	1991	1996
1	2	3	4	5	6
1	उत्तरी क्षेत्र	4 67	9 69	2 97	5 89
2	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1 86	3 64	0 85	1 25
3	पूर्वी क्षेत्र	2 79	4 84	1 45	2 31
4	मध्य क्षेत्र	2 21	4 36	1 14	1 77
	(1) उत्तर प्रदेश	2 43	4 78	1 12	1 64
5	पश्चिमी- क्षेत्र	5 69	12 19	4 06	8 47
6	दक्षिणी-क्षेत्र	2 62	5 55	2 22	4 25
7	अखिल भारत	3 33	6 78	2 21	4 20

Source- Computed from Quarterly Handouts, Banking Statistics Reserve Bank of India

तालिका 2.8— से स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रति कार्यालय बैंक जमा तथा ऋण में वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 में सर्वाधिक प्रति कार्यालय जमा 5 67 करोड रुपये पश्चिमी क्षेत्र का था इसके पश्चात उत्तरी-क्षेत्र का 4 67 करोड रुपये था। 1991 की तुलना में 1996 में प्रतिकार्यालय जमा तथा ऋण में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जमा तथा ऋण पश्चिमी क्षेत्र का था।

तालिका 2.9— अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यालयों की संख्या, जमा तथा ऋण का क्रमवार विवरण (मार्च की अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(प्रतिशत)

क्षेत्र/राज्य	कुल ग्रामीण शाखा		कुल ग्रामीण जमा		कुल ग्रामीण ऋण	
	1991	1996	1991	1996	1991	1996
1	2	3	4	5	6	7
1 उत्तरी क्षेत्र	57.1	51.6	16.1	14.6	11.6	9.5
2 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	73.8	69.7	25.5	26.8	31.6	35.7
3 पूर्वी क्षेत्र	69.1	65.2	18.1	21.0	18.8	17.9
4 मध्य क्षेत्र	69.2	62.9	25.8	25.2	26.0	22.7
(1) उत्तर प्रदेश	68.3	63.1	27.5	27.3	28.3	26.1
5 पश्चिमी- क्षेत्र	47.8	42.4	7.9	7.0	7.0	4.8
6 दक्षिणी-क्षेत्र	47.2	40.9	13.9	11.9	15.0	12.3
7 अखिल भारत	58.3	52.7	15.3	14.4	13.9	11.1

Source - Computed from the data taken from BSR-Quarterly Handouts, Reserve Bank of India

नोट - उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र में शामिल है।

तालिका 2.9— से स्पष्ट है कि कुल ग्रामीण शाखा सर्वाधिक 1991 में 73.8 प्रतिशत तथा 1996 में 69.7 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में था, तथा न्यूनतम 47.2 और 40.9 प्रतिशत दक्षिणी क्षेत्र में था। अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 58.3 प्रतिशत शाखाएँ 1991 में विद्यमान थी जबकि 1996 में घटकर 52.7 प्रतिशत हो गयी। ग्रामीण जमा तथा ऋण का प्रतिशत भी अत्यन्त निम्न स्तर का रहा।

तुलनात्मक अध्ययन :

तालिक 2 10— इलाहाबाद जनपद मे क्षे० ग्रा० बैंक तथा सभी अनु० वाणिज्यिक बैंकों का तुलनात्मक विवरण


(धनराशि करोड रू० में)

क्र०	विवरण	मार्च 1992	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995	जून 1997
1	2	3	4	5	6	7
1-	जमा धनराशि (अनु० वाणि० बैंक)	1029 9 0	1147 73 (11 44)	1294 42 (12 78)	1496 95 (15 64)	2040 50 (36 31)
2-	जमा धनराशि (क्षे० ग्रा० बैंक)	46 94	57 03 (21 49)	71 58 (25 51)	89 81 (25 46)	127 17 (41 59)
3-	सकल ऋण (अनु० वाणि० बैंक)	353 41	372 95	406 04	434 89	528 04
4-	सकल ऋण (क्षे० ग्रा० बैंक)	32 43	36 87	42 02	50 62	55 87
5-	ऋण-जमा अनुपात (अनु० वाणि० बैंक) (प्रतिशत)	34 31	32 49	31 37	29 01	25 87
6-	ऋण-जमा अनुपात (क्षे० ग्रा० बैंक) (प्रतिशत)	69 08	64 65	58 70	56 36	43 93

स्रोत - 1 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन 2 नाबार्ड
नोट - कोष्ठकों में दी गई राशि विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि है।

तालिका 2 10 से परिलक्षित होता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की जमा-धनराशि में निरन्तर वृद्धि हुई है। दोनों की जमाओ में प्रतिशत वृद्धि लगातार बढ़ती गयी है। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जमा-संग्रहण की वृद्धि वाणिज्य बैंको की अपेक्षा अधिक है। 1993 में वाणिज्य बैंको की 1992 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि 11.44 है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रतिशत वृद्धि 21.49 है। इसी प्रकार जून 1997 में मार्च 1995 की तुलना में वृद्धि क्रमशः 36.31 तथा 41.59 प्रतिशत है। जून 1997 में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रतिशत वृद्धि वाणिज्य बैंको की तुलना में अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इलाहाबाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की निक्षेप प्रतिशत वृद्धि वाणिज्य बैंको की अपेक्षा अधिक रहा। ऋण-जमा अनुपात भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अधिक इससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंको की अपेक्षा अधिक ऋण वितरित किया गया है।

इलाहाबाद जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के निक्षेपों में तुलनात्मक वृद्धि का ग्राफ



तालिका 2 11— उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको तथा सभी अनुसूचित
वाणिज्यिक बैंको का तुलनात्मक विवरण

(धनराशि करोड़ रूप में)


क्र०	विवरण	मार्च 1991	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995	मार्च 1996	जून 1997
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	जमा धनराशि (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)	20395 83	25431 28 (24 68)	29619 47 (16 46)	35217 05 (18 89)	41450 81 (17 70)	49240 43 (18 79)
2	जमा धनराशि (क्षेत्रीय गा० बैंक)	1440 80	1961 47 (36 13)	2473 74 (26 11)	3018 83 (22 03)	3809 63 (26 19)	4588 03 (20 43)
3-	सकल ऋण (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)	9346 96	10773 00	11033 07	12331 93	14194 91	15114 28
4	सकल ऋण (क्षेत्रीय गा० बैंक)	770 05	949 96	1111 48	1338 18	1560 56	1717 06
5	ऋण-जमा अनुपात (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) (प्रतिशत)	45 82	42 36	37 25	35 02	34 24	30 69
6	ऋण-जमा अनुपात (क्षेत्रीय गा० बैंक) (प्रतिशत)	53 44	48 43	44 93	44 32	40 96	37 42

स्रोत - 1 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन 2 नाबार्ड

नोट - कोष्ठको में दी गई राशि विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि है।

तालिका 2 11— से स्पष्ट है कि उत्तर-प्रदेश में जमा संग्रहण प्रतिशत वृद्धि वाणिज्यिक बैंको की अपेक्षा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में अधिक है। मार्च 1993 में वाणिज्यिक बैंको की प्रतिशत वृद्धि मार्च 1991 की अपेक्षा 24 68 है जबकि ग्रामीण बैंको का 36 13 है। जून 1997 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की प्रतिशत वृद्धि 20 43 है तथा वाणिज्यिक बैंक की 18 79 है, इससे यह स्पष्ट है कि जमा-संग्रह के मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थिति सन्तोषजनक है। ऋण-जमा अनुपात का प्रतिशत भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का अधिक है इससे यह सिद्ध होता है कि ग्रामीण बैंको ने जमा वृद्धि के साथ-साथ ऋण वितरण भी अच्छे ढंग से किया है।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेपों में तुलनात्मक वृद्धि का ग्राफ



तालिका 2.12— भारत में क्षेत्रों तथा सभी अनु वाणिज्यिक बैंकों का तुलनात्मक विवरण

(धनराशि करोड़ रूप में)


क्र०	विवरण	मार्च 1990	मार्च 1991	मार्च 1992	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995	मार्च 1996	जून 1997
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	जमा धनराशि (अनु वाणि बैंक)	166959	192542 (15 32)	237565 (23 38)	268572 (13 05)	315132 (17 33)	386859 (22 76)	433819 (12 13)	507533 (16 99)
2-	जमा धनराशि (क्षेत्रों वाणि बैंक)	4150	4989 (20 21)	5867 (17 59)	6938 (18 25)	8826 (27 21)	11150 (26 33)	14187 (27 23)	17327 (22 13)
3-	सकल ऋण (अनु वाणि बैंक)	101453	116301	131520	151982	164418	211560	254015	282702
4-	सकल ऋण (क्षेत्रों वाणि बैंक)	3554	3609	4090	4626	5253	6290	7505	8652
5-	ऋण-जमा अनुपात (अनु वाणि बैंक) (प्रतिशत)	60 8	60 4	55 4	56 6	52 2	54 7	58 6	55 7
6-	ऋण-जमा अनुपात (क्षेत्रों वाणि बैंक) (प्रतिशत)	85 6	72 3	69 7	66 7	59 6	56 4	52 9	49 9


स्रोत - 1 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन 2 नाबार्ड

नोट - कोष्ठकों में दी गई राशि निगेटिव की तुलना में प्रतिशत वृद्धि है।

तालिका 2.12 से स्पष्ट होता है कि अखिल भारतीय स्तर पर मार्च 1992 को छोड़कर सभी वर्षों में ग्रामीण बैंकों का अन्य सभी अनु वाणिज्यिक बैंकों से जमाओं में प्रतिशत वृद्धि अधिक है। जून 1997 में वाणिज्य बैंकों की 1996 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि 16.99 है तथा ग्रामीण बैंकों का 23.13 है। इससे यह परिलक्षित होता है कि जमाओं में ग्रामीण बैंकों ने अप्रत्याशित वृद्धि की है। ऋण-जमा अनुपात भी 1996 तथा 1997 को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में ग्रामीण बैंकों का अधिक है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण बैंकों ने अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करते हुए जमाओं में वृद्धि की है।

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के निक्षेपों में तुलनात्मक वृद्धि का ग्राफ





तालिक 2 13— क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सभी अनु० वाणिज्यिक बैंकों का कार्यालय, जमा तथा ऋण का क्षेत्र/राज्य/जिलावार विवरण (जून 1997)

(धनराशि लाख रु० में)

क्षेत्र/राज्य/जिला	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			अनु० वाणिज्यिक बैंक		
	कार्यालय	जमाराशियाँ	ऋण	कार्यालय	जमाराशियाँ	ऋण
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र	1961 (13 5)	243122 (14 0)	91304	9988 (15 7)	11323285 (22 3)	6111830
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	653 (4 5)	71996 (4 2)	32559	1901 (2 9)	827828 (1 6)	255105
पूर्वी क्षेत्र	3575 (24 7)	409009 (23 6)	169210	11517 (18 1)	6880651 (13 6)	2795972
मध्य क्षेत्र	4625 (31 9)	616025 (35 6)	234615	13204 (20 7)	6786861 (13 4)	2458110
उत्तर प्रदेश	3048 (21 0)	458803 (26 5)	171706	8765 (13 8)	4924043 (9 7)	1511428
इलाहाबाद	92 (0 6)	12717 (0 7)	5587	295 (0 5)	204050 (0 4)	52804
पश्चिमी- क्षेत्र	1010 (7 0)	94273 (5 4)	54671	9816 (15 4)	13790666 (27 2)	8413495
दक्षिणी-क्षेत्र	2676 (18 4)	298315 (17 2)	282881	17298 (27 2)	11140039 (21 9)	8235733
अखिल भारत	14500 (100)	1732740 (100)	865241	63724 (100)	50753329 (100)	28270245

स्रोत - बैंकिंग सांख्यिकी तिमाही पुस्तिका, जून 1997

नोट - 1 उत्तर प्रदेश तथा इलाहाबाद मध्य क्षेत्र में शामिल है।

2 कोष्ठको में दिये गये आँकड़े कुल का प्रतिशत है।

तालिका 2 13 से यह परिलक्षित होता है कि, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा मध्य क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यालय वाणिज्य बैंको की अपेक्षा अधिक है तथा उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी-क्षेत्र तथा दक्षिणी-क्षेत्र में वाणिज्य बैंको का अधिक है जबकि शेष में ग्रामीण बैंको का है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण बैंक अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए कार्यालय तथा जमाओं में निरन्तर वृद्धि कर रहे हैं।

तालिक 2 14— सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यालयों की सख्या का तुलनात्मक विवरण (जून 1997)

विवरण	वाणिज्यिक बैंक कार्यालयो की सख्या	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यालयो की सख्या
1	2	3
(अ) ग्रामीण	32965	12419
(a) Rural	(51 7)	(85 64)
(ब) अर्धशहरी	13697	1773
(b) Semi-urban	(21 5)	(12 23)
(स) शहरी	9405	303
(c) Urban	(14 8)	(2 09)
(द) महानगरीय	7657	5
(d) Metropolitan	(12 0)	(0 04)
योग	63724	14500
	(100)	(100)


स्रोत - बैंकिंग साख्यिकी तिमाही पुस्तिका जून 1997

नोट - कोष्ठको मे दिये गये आँकडे कुल का प्रतिशत है।

तालिका 2 14 मे जून 1997 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बेक कार्यालया की सख्या 14500 तथा वाणिज्य बेको के कार्यालयो की सख्या 63724 है। दोनो के ग्रामीण क्षेत्रो का प्रतिशत क्रमश 85 64 तथा 51 7 है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थापना के पश्चात ग्रामीण बेको ने अपने शाखाओ की सख्या मे ग्रामीण क्षेत्रो मे वृद्धि की है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक के कार्यालयों का बार चार्ट

जून - 1997



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अन्तर :-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायः अनुसूचित बैंक ही कहलाते हैं फिर भी वर्तमान व्यापारिक बैंक तथा इनमें निम्नलिखित अन्तर पाया जाता है

- 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के एक अथवा अधिक जिले शामिल किये जाते हैं जबकि व्यापारिक बैंक का कार्यक्षेत्र विस्तृत होता है तथा किसी भी प्रतिबन्धात्मक शर्त से मुक्त होते हैं।
- 2 ग्रामीण बैंक ऋण तथा अग्रिम राशियाँ केवल सीमान्त कृषको, छोटे व्यापारियाँ, साहसियों कारीगरों, कृषि श्रमिकों एवं अन्य उत्पादक व्यवसाय चलाने के लिए देते हैं जबकि व्यापारिक बैंक इसकी अपेक्षा बड़े उद्यमियों को ऋण प्रदान करते हैं।
- 3 ग्रामीण बैंकों की व्याज-दरें सहकारी समितियों की व्याज-दरों से अधिक नहीं होती, जबकि व्यापारिक बैंकों में अपेक्षाकृत अधिक होती हैं।
- 4 ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्ते केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं परन्तु राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर ही वेतनमान इनको दिया जाता है, जबकि व्यापारिक बैंकों के कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक वेतनमान प्रदान किया जाता है।
- 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामाजिक बैंकिंग के तहत कार्य करते हैं तथा इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत करना है जबकि व्यापारिक बैंक लाभोन्मुख दशाओं में ही कार्य करते हैं।

6 भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उपधारा -1 (क) के उपबन्धों से छूट प्रदान की है। इसका अर्थ यह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा रखी जानेवाली आरक्षित नकदी निधि उनके निवल माग और मियादी देयताओं के तीन प्रतिशत ही बनी रहेगी, जबकि व्यापारिक बैंको के सन्दर्भ में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है।

बैंकिंग सुधारों पर नरसिंहम समिति की सिफारिशें :-

बैंकिंग सुधार के लिए गठित दूसरी नरसिंहम समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 अप्रैल 1998 को केन्द्रीय वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा को सौंप दी। समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में दूसरे चरण के सुधार कार्यक्रम के लिए अपनी सिफारिशें इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की हैं। इससे पूर्व अगस्त 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने वित्तीय क्षेत्र के सभी पहलुओं में सुधार (Financial Sector Reforms) के लिए एम० नरसिंहम (M Narasimham) के अध्यक्षता में समिति गठित की थी। पुनः इन्हीं की अध्यक्षता में बैंकिंग क्षेत्र सुधार (Banking Sector Reforms) के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री एम० चिदम्बरम् ने इस समिति का गठन किया था।

अपनी नई रिपोर्ट में नरसिंहम समिति ने पूँजी खाते में रूपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से पूर्व देश में मजबूत व प्रभावी वित्तीय व्यवस्था विकसित करने, बैंको की परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने, गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियों (NPAS) में कमी करने, पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) में वृद्धि करने, बैंको की खराब परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक एसेट रिकस्ट्रक्शन फंड (ARF) की स्थापना करने, रिजर्व बैंक की नियामक व देख रेख सम्बन्धी क्रियाओं को पृथक् करने के लिए बोर्ड फॉर फाइनेशियल सुपरविजन (BFS) को स्वायत्तता प्रदान करने, बैंको को राजनीति से मुक्त करने, निदेशक

बोर्ड में पेशेवर व्यक्तियों को शामिल करने तथा बैंककर्मियों के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही से पूर्व समुचित जाँच-पड़ताल करने आदि की सस्तुतियों की है।

समिति की प्रमुख सिफारिशें बिन्दुवार निम्नलिखित हैं -

- 1 देश में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग ढाँचा त्रिस्तरीय हो जिसमें 2-3 बड़े बैंक ही अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग क्रियाएँ सम्पन्न करें। दूसरे स्तर पर राष्ट्रीय स्तर के 8-10 बैंक हो जो निगम क्षेत्र अथवा अन्य बड़े उद्यमों की घरेलू साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करें। स्थानीय आवश्यकताओं एवं व्यापार, लघु उद्योग व कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तीसरे स्तर पर स्थानीय बैंकों का जाल होना चाहिए। इन स्थानीय बैंकों का जुड़ाव राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर वाले बैंकों से हो।
- 2 उपर्युक्त व्यवस्था के लिए मजबूत बैंकों के पारस्परिक विलय की सस्तुति समिति ने की है। समिति का मत है कि इसका उद्योग जगत पर गुणक प्रभाव (Multiplier Effect) होगा, किन्तु इसके साथ ही समिति ने स्पष्ट किया है कि कमजोर बैंकों का मजबूत बैंकों में विलय न किया जाए क्योंकि इससे मजबूत बैंक की परिसम्पत्ति गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समिति के अनुसार यदि किसी बैंक का संचित घाटा व शुद्ध गैर-निष्पादित परिसम्पत्ति उसकी पूँजी से अधिक हो जाती है अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का कोई बैंक यदि तीन वर्ष तक लगातार घाटे में रहे तो वह बैंक कमजोर बैंक की श्रेणी में माना जाए।

- 3 छोटे स्थानीय बैंक राज्य अथवा जिलो के समूह तक ही सीमित ताकि यह स्थानीय व्यापार, लघु उद्योग व कृषि की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
- 4 ऋण वसूली पचाट (DRT) के असतोषजनक प्रदर्शन को देखते हुए समिति ने आर० बी० आई० एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेशनलाइजेशन एक्ट व स्टेट बैंक आफ इन्डिया एक्ट की त्वरित समीक्षा कर इन्हे बैंकिंग उद्योग की मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का सुझाव दिया है। इनके साथ-साथ सिक इंडस्ट्रियल अडरटेकिंग्स (स्पेशल प्रॉविजन) एक्ट व बैकर्स बुक एक्टिडिस एक्ट की भी समीक्षा की जानी चाहिए।
- 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की ऋण उपलब्ध कराने की गतिविधियों को वित्तीय व्यवस्था के साथ विलय पर विचार किया जाए ।
- 6 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में तेजी से कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता है।
- 7 ऋण वितरण के मामले में सामाजिक प्राथमिकताओं के औचित्य को स्वीकार करने के बावजूद समिति ने कहा है कि इसका व्यावसायिक हितों के साथ टकराव नहीं हाना चाहिए ।
- 8 बैंको की बढ़ती हुयी गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों को देखते हुए इस समस्या से निपटने के लिए परिसम्पत्ति पुनर्गठन फंड (ARF) को पुनर्जीवित करने का समिति ने सुझाव दिया है। इससे पूर्व 1991 में गठित पहली नरसिंहम समिति ने भी यह सुझाव दिया था।

- 9 समिति का मत है कि बैको के लिए पूर्व में पूँजी पर्याप्तता अनुपात (C A R) का निर्धारण बैकिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बासले समिति द्वारा निर्धारित स्तर के आधार पर किया गया था। समिति का कहना है कि उसके बाद से अब तक परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ चुके हैं। अतः पूँजी पर्याप्तता की मौजूदा सीमा की समीक्षा की आवश्यकता है। पुनर्समीक्षा के क्रम में इस सीमा में बढ़ोत्तरी की सम्भावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।
- 9 बैको में भर्ती, प्रशिक्षण व वेतन नीति के भी पुनर्मूल्यांकन की सन्तुति करते हुए समिति ने कहा है कि कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जानी चाहिए।
- 10 समिति का मत है कि सुधार कार्यक्रमों का उद्देश्य बैको को परिचालन में अधिक स्वायत्तता दिए बिना पूरा नहीं हो सकता। इस नाते समिति ने सरकार से कहा है कि स्वामित्व और प्रबन्धन के अन्तर को समझते हुए स्वामित्व को प्रबन्धन का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि स्वामित्व के दबाव में प्रबन्धन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता और इससे व्यावसायिक हित भी प्रभावित हो सकते हैं।

अध्याय : 3

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : स्थापना से जून, 1997 तक

“Even as a banker cannot run a bank if he has nothing in his chest, so can a general not lead a battle if he has no soldiers on whom he can rely implicitly ”

—Mahatma Gandhi

भारत का विकास गाँवों के विकास के बिना सम्भव नहीं है। इस बात की पहचान सबसे पहले महात्मा गाँधी ने की और उन्होंने देश के नेताओं तथा तत्कालीन सरकार को सुझाव दिया कि गाँवों का विकास कृषि आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। यहाँ की 80 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सदैव एक चिन्तनीय विषय रहा है: पीढ़ी दर पीढ़ी की ऋणग्रस्तता एवं पर्याप्त वित्तीय सुविधा न होने के कारण किसान, महाज, या साहूकार के जाल से मुक्त नहीं हो पाता और न ही उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में सफल हो पाता है। शायद इसी आधार पर शाही कृषि आयोग (1930) ने कहा है कि "भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही पल पास कर बड़ा होता है और अपने आश्रितों के लिए भी ऋण छोड़कर चला जाता है।"

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह देखा गया कि सदियों के आर्थिक शोषण न देश के अधिसंख्य नागरिकों को विपन्न कर दिया है, अतः उनके विकास के लिए वित्त की आवश्यकता को प्रमुखता से महसूस किया गया। पर एक ओर जहाँ शासन को स्वयं के स्रोतों से इतनी अधिक मात्रा में वित्तीय ससाधनों का प्रबंध करना संभव नहीं था, वहीं दूसरी ओर विस्तार की दृष्टि से भी इतने बड़े देश में विकास कार्यक्रमों को

दूर-दराज तक पहुँचाना कठिन था। इन स्थितियों में काम करते हुए यह पाया गया कि वित्त की माँग की पूर्ति बैंको की मदद से काफी हद तक पूरी हो सकती है अतः इस दिशा में शासन ने कदम बढ़ाए और बैंको पर सामाजिक नियंत्रण व राष्ट्रीयकरण आदि के द्वारा वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की गयी लेकिन इतना हो जाने के बावजूद व्यापकता की समस्या अभी गंभीर बनी हुई थी। पूर्व स्थापित व्यावसायिक बैंको की स्थापना लागत अधिक थी अतः देश के दूर-दराज के अंचलों में इनकी शाखाओं का खोला जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया और यही कारण था कि गरीब तबके तक अधिकोषीय सुविधा प्रदान करना शासन के लिए दुष्कर हो गया।

स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दिशा में जो कदम उठाये गये हैं उनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपनिवेशवादी शासन की बेडिया तोड़ने के बाद हमारा देश अपने आप को विकास की अपनी आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने की स्थिति में पाया। उस समय इस देश के पास अनुभव के नाम पर आर्थिक पराभव के लम्बे इतिहास के अलावा कुछ नहीं था। उपनिवेशवादी ताकतों ने इस देश का भारी आर्थिक शोषण किया था जिससे आर्थिक ठहराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी।

हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनती किसानों, हुनरमंद दस्तकारों और व्यापारियों की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो वह है-आर्थिक तथा अन्य

ससाधनो की, जिसकी वजह से इन लोगो की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता । अगर ग्रामीण क्षेत्रो को ऋण सुविधाए उपलब्ध करा दी जाए, तो वे न सिर्फ अपनी स्थिति सुधार सकते है बल्कि राष्ट्र को खुशहाल बनाने मे भी अपना योगदान कर सकते है। आजादी के बाद हमारे नीति-निर्माताओ ने इसी बात को ध्यान मे रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रो मे ऐसी व्यवस्था कायम करने की जरूरत महसूस की जिनके जरिये जरूरतमद छोटे और सीमात कृषको, खेतिहर मजदूरो, ग्रामीण दस्तकारो तथा छोटे व्यापारियो को आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

ब्रिटिश शासनकाल मे देश मे ऐसी कोई सस्थागत व्यवस्था नहीं थी जिसके माध्यम से छोटे और सीमात किसानो, दस्तकारो आदि को व्यावसायिक कार्यों के लिए ऋण या साख उपलब्ध करायी जाती। जब भी जरूरत पडती, वे सूदखोर, महाजनो और सेठ-साहूकारो की शरण मे जाने को मजबूर थे। ये लोग उनके शोषण मे कोई कसर नहीं छोडते थे। थोडे से पैसो के लिए किसानो की जमीन गिरवी रख ली जाती और कई पीढियो तक सूद चुकाने के बाद भी कर्ज नहीं उतर पाता था। कई बार तो किसानो से अपार धन ही नहीं, उनकी जमीन तक ऋण के बदले छीन ली जाती थी। ग्रामीण जीवन के यथार्थ चित्रण के लिए प्रसिद्ध प्रेमचंद की कहानियो मे किसानो की ऋणग्रस्तता और महाजनो के शोषण का जो चित्र खींचा गया है, वह आज भले ही काल्पनिक लगता हो मगर उस समय के ग्रामीण भारत की यही कडवी सच्चाई थी। हमारे नीति-निर्माताओ के प्रयासो से आज स्थिति मे काफी बदलाव आ चुका है।

हान्नाकि छोटे किसानो, दस्तकारो, व्यापारियो आदि की ऋण सबधी समस्याए, आज भी बरकरार है मगर बीते जमाने जैसा शोषण अब नजर नहीं आता । इसमे हमारी बैंकिंग नीतियो, विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

1950 मे भारतीय रिजर्व बैंक की पहल पर सरकार की ग्रामीण बैंकिंग जॉंच समिति ने ग्रामीण क्षेत्रो मे ऋण सुविधाओं के विस्तार का सुझाव दिया। सन् 1951-52 मे रिजर्व बैंक द्वारा कराये गये अखिल भारतीय सर्वेक्षण से किसानो की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओ के बारे मे महत्वपूर्ण जानकारीया प्राप्त हुई। इससे ग्रामीण क्षेत्रो के लिए विशेष प्रकार की वित्तीय सेवाओं की जरूरत उजागर हुई। इसी बात को ध्यान मे रखकर सहकारी बैंक भी बनाये गये लेकिन ये बैंक छोटे किसानो, दस्तकारो तथा खेतिहर मजदूरो को सतोषजनक सुविधाएँ उपलब्ध कराने में कामयाब नहीं रहे तथा इनका फायदा बडे किसान ही उठा पाये। आकडो को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राथमिक कृषि सहकारिताओ द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋणो का सिर्फ 35 प्रतिशत दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानो को मिला । दो हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानो को 51 प्रतिशत हिस्सा मिला जबकि खेतिहर मजदूरो, कश्तकारो और बटाईदारों को तो सिर्फ 4 प्रतिशत से सतोष करना पडा।

हालाकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सामाजिक बैंकिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी, मगर राष्ट्रीयकृत बैंको को भी ग्रामीण क्षेत्रो मे ऋण सबधी जरूरतों को पूरा

करने में कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके अनेक कारण थे। भारत में करीब सात लाख गाँवों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सुविधा उपलब्ध कराना कोई आसान कार्य नहीं था। फिर वाणिज्यिक बैंकों का काम करने का अपना तरीका होता है। वे मुनाफे का ध्यान रखे बिना कार्य नहीं कर सकते। इसके अलावा इन बैंकों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि आम ग्रामीण इनमें जाने से हिचकते थे। दूसरी ओर ये बैंक भी कृषि जैसे मौसमी और अनिश्चित परिणाम वाले कार्यों के लिए किसानों को कर्ज देने में सकोच करते थे। छोटे किसानों और दस्तकारों को ऋण उपलब्ध कराने में तो वाणिज्यिक बैंक काफी पीछे रहे। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए निर्धारित ऋण सुविधाओं का सिर्फ 10 प्रतिशत इन लोगों को मिल पाता है। राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का पर्याप्त विस्तार हुआ है मगर ग्रामीण शाखाओं की उत्पादकता का स्तर काफी कम रहा है। इससे इनकी लाभप्रदता कम हुई है।

ग्रामीणों के लिए विशेष बैंक:-

इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन वर्गों के लोगों की ऋण संधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष बैंक खोले जायें। 1975 में सरकार ने श्री एम. नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से कमजोर वर्ग के लोगों को प्राप्त होने वाले सस्थागत ऋणों के बारे में जानकारी हासिल कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा।

इस कार्यदल का गठन करके सरकार ने एक तरह से यह बात स्वीकार की कि गावों के छोटे और सीमांत किसानों, दस्तकारों और अन्य जरूरतमंद लोगों की ऋण सबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। यह भी महसूस किया गया कि अगर जरूरतमंद लोगों को सस्थागत ऋण सुविधाओं का लाभ पहुँचाना है तो कर्ज देने के नियमों और शर्तों में बदलाव लाना होगा। वाणिज्यिक बैंकों के समान तौर-तरीके अपनाकर यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। नरसिम्हन कार्यदल ने इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के नियंत्रण वाले 'ग्रामीण विकास बैंकों' की स्थापना का सुझाव दिया गया। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहकारिताओं की तरह स्थानीय ग्रामीण समुदाय की जरूरतों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही उनमें वाणिज्यिक बैंकों की तरह आधुनिक दृष्टिकोण, प्रबंध-कौशल और धन जमा करने की क्षमता भी होनी चाहिए।

नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुसार 26 सितम्बर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश लागू किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की जन्मतिथि के अवसर पर 2 अक्टूबर, 1975 को उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर और पश्चिमी बंगाल में मालदा में पांच 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों' का शुभारम्भ किया गया। देश में ग्रामीण साख के क्षेत्र में यह एक अभिनव परिवर्तन था। 2 फरवरी 1976 से इस अध्यादेश के स्थान पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

अधिनियम लागू हुआ। अधिनियम में ऐसे सभी जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने की बात कही गयी जहाँ सहकारी बैंक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी। इसी तरह पिछड़े इलाकों और बैंकिंग सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया। इस प्रकार सहकारी बैंकों तथा व्यापारिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की श्रृंखला में यह एक नई कड़ी है।

स्थापना का उद्देश्य एवं कार्य:-

इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य एकमात्र ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग के लिए साख जुटाना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अनुसार इनकी स्थापना का उद्देश्य है "ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादक गतिविधियों, विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त कृषक, खेतिहर मजदूर, दस्तकार एवं लघु व्यवसायी तथा इनसे सम्बन्धित अन्य व्यवसायों को साख एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना"। इस अधिनियम में अन्तर्निहित कार्य एवं उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- 1 ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना।
- 2 बैंकिंग का विकास कर ग्रामवासियों की महाजनो एवं सूदखोरों पर निर्भरता कम करना।
- 3 सस्थागत साख विस्तार द्वारा ग्रामीण साख की खाई को पाटना।

- 4 ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग के लघु सीमान्त कृषक, भूमिहीन कृषि मजदूरो एव ग्रामीण दस्तकारो जैसे लक्षित समूह की साख की आवश्यकताओ की पूर्ति कर उनकी गरीबी दूर करना।
- 5 गरीब लोगो को उपभोग ऋण प्रदान करना।
- 6 कृषि तथा सम्बद्ध उत्पादक गतिविधियो मे विनियोजन बढाना ।
- 7 ग्रामीण, लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास करना।
- 8 पिछडे, दूरदराज के आदिवासी बाहुल्य वाले इलाको के लोगो की आर्थिक स्थिति सुधार कर उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाना।
- 9 निर्धन ग्रामीणो मे बैकिंग की भावना पैदा करना तथा बचत की आदत डालना।

इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अपने कमान क्षेत्र से साधन सग्रह कर उसी क्षेत्र मे साधनो का फैलाव मुख्यत उत्पादक उद्देश्यो के लिए करने हेतु स्थापित किए गए है।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कमान क्षेत्र एक राज्य के एक से पाच जिलो तक सीमित है जिसके बाहर बैंक कार्य नहीं कर सकता है। इनकी स्थिति अनुसूचित व्यापारिक बैंक जैसी है, जिसका प्रायोजन सहकारी अथवा व्यापारिक बैंक द्वारा किया जाता है। बैंक की अधिकृत पूँजी एक करोड रूपये (वर्तमान मे 5 करोड रू) तय की

गई तथा निर्गमित पूजी 25 लाख रूपये (वर्तमान मे एक करोड रू) जिसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकारे तथा प्रायोजक बैंक द्वारा 50 15 35 के अनुपात मे जुटाई गई।

प्रारम्भ मे स्थापित पाच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नलिखित थे -

क्रम स	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्थान व राज्य का नाम	प्रायोजक बैंक का नाम
1	हरियाण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भिवानी-हरियाणा	पजाब नेशनल बैंक
2	जयपुर-नागौर आचलिक ग्रामीण बक	लावण-राजस्थान	यूनाईटेड कामर्शियल बैंक
3	प्रथमा बैंक	मुरादाबाद-उत्तर प्रदेश	सिन्डीकेट बैंक
4	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	गोरखपुर-उत्तर प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक
5	गौड ग्रामीण बैंक	माल्दा-प बंगाल	यूनाईटेड बै०आफ इडिया

स्रोत- नाबार्ड

बैंक की पूँजी :-

भारत के राष्ट्रपति की ओर से 27 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश जिसका शीर्षक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश 1975 (The Regional Rural Bank Ordinance 1975) था, जारी किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) 1 करोड़ रुपये निर्धारित की गई परन्तु प्रदत्त पूँजी (Paid-up Capital) 25 लाख रुपये ही रखी गई जिसमें से 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा, 15 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा तथा शेष 35 प्रतिशत प्रायोजक व्यापारिक बैंक द्वारा एकत्रित होनी थी। परन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सशोधन) बिल 1987 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की प्राधिकृत पूँजी 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये तथा चुकता अश पूँजी 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गयी है।

बैंक का प्रबन्धन :-

बैंक का प्रबन्धन एक निदेशक मंडल (Board of Directors) द्वारा किया जाता है जिसके 9 सदस्यीय सचालक होते हैं जिनमें से 6 केन्द्रीय सरकार 1 राज्य सरकार तथा 2 प्रायोजक बैंक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सचालक मण्डल के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इस सचालक मंडल को समय-समय पर निगमित सरकारी आदेशों का पालन करना होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने

इन बैंको को अनुसूचित बैंक मानकर अपनी द्वितीय सारणी (Second Schedule) में अंकित कर लिया है। परन्तु रिजर्व बैंक ने समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा-1 (क) के उपबन्धों से छूट प्रदान की है इसके अनुसार इन बैंकों को अपनी कुल जमाओं का 25 प्रतिशत तरल रूप में रखना पड़ता है और कुल मॉग एव समय दायित्वों का 3 प्रतिशत ही रखना होता है।

शेयर पूँजी के सम्बन्ध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित कार्यदल की सिफारिशें :-

- (1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से संबंधित कार्यदल की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की शेयर पूँजी में 25 लाख रु से 50 लाख रुपये की बढ़ोतरी के लिए मजूरी दी। इस मजूरी से 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 194 की चुकता पूँजी बढ़कर 50 लाख रु हो गयी है।¹
- (2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशों पर भारत सरकार ने 1990-91 के दौरान 80 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूँजी को 50 लाख रु से बढ़ाकर 75 लाख रु कर दिया।²

1. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट : 1989-90, पृष्ठ 57

2. भारतीय रिजर्व बैंक बलेटिन अप्रैल 1992 (परिशिष्ट) पृष्ठ 58

- (3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको सबधी कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान 83 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की निर्गमित शेयर पूँजी 50 लाख रू से 75 लाख रूपये कर दी।³
- (4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको सबधी कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान 73 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की 50 लाख रू की निर्गमित शेयर पूँजी से 75 लाख रूपये और अन्य 20 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको मे से प्रत्येक के लिए 75 लाख रूपये से 1 करोड रूपये की वृद्धि को अनुमोदित कर दिया।⁴

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) बिल 1987:-

श्री एस एम केलकर की अध्यक्षता मे गठित कार्यदल की सिफारिशो के आधार पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) बिल, 1987 द्वारा संशोधन किया गया। यह संशोधन 28 सितम्बर 1988 से लागू हुआ।

उक्त संशोधन मे शामिल कुछ महत्वपूर्ण मदे निम्नलिखित है -

- (1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की प्राधिकृत पूँजी एक करोड रूपये से बढ़ाकर पाँच करोड रूपये तथा चुकता अंश पूँजी 25 लाख रूपये से 1 करोड रूपये कर दी गयी है।

3. भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन जनवरी 1993 (परिशिष्ट) पृष्ठ 45

4. भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन मई 1994 (परिशिष्ट) पृष्ठ 44

- (11) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रायोजक बैंक द्वारा राष्ट्रीय बैंक से परामर्श करके की जाएगी।
- (111) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के कार्यों के बारे में प्रायोजक बैंको को और बड़े उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं। अश-पूँजी में अशदान करने के साथ-साथ, वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के प्रथम पाच वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्हें प्रबधात्मक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में उनकी सहायता करेंगे।
- (1V) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के सम्मेलन के सबध में भी सशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय बैंक द्वारा सबधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक से विचार-विमर्श करके दो या अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का सम्मेलन किया जा सकता है। इस तरह का सम्मेलन करते समय लोकहित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा सेवित क्षेत्र के विकास तथा स्वयं ग्रामीण बैंको के हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- (v) प्रायोजक बैंको को यह अधिकार दिया गया है कि वे समय-समय पर अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय बैंको की प्रगति की निगरानी करें, उनका निरीक्षण तथा उनकी आंतरिक लेखा-परीक्षा करें एवं उनकी सुरक्षा की जाँच करें तथा जहाँ कहीं आवश्यक हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुधारात्मक उपाय सुझाये।⁵

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित विभिन्न समितियाँ तथा उनकी सिफारिशें :-

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित कार्यकारी दल (नरसिम्हन कमेटी 1975)-

The Working Group on RRBs (Narisimhan Committee- 1975)

इस समिति की तीन महत्वपूर्ण सिफारिशें थी -

- (1) प्रायोजक बैंक प्रतिनियुक्त स्टाफ का खर्च स्वयं वहन करे।
- (2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्टाफ प्रशिक्षण की मुफ्त व्यवस्था करे।
- (3) पुनर्वित्त सुविधा सस्ते दर पर उपलब्ध कराये।⁶

2- दॉतवाला समिति (1977) The Dantwala Committee (1977):-

केन्द्र में राजनीतिक परिवर्तन के बाद प्रथम बार इनकी उपयोगिता की जाँच हेतु दॉतवाला कमेटी गठित की गई। दॉतवाला समिति ने इन बैंकों के प्रयासों तथा क्षमताओं की प्रशंसा की तथा यह विश्वास व्यक्त किया कि व्यवसाय का स्तर बढ़ने के साथ ही इनकी लाभप्रदता का सकट भी समाप्त हो जाएगा। समिति ने यह भी कहा कि बैंकों का प्रसार विशेष रूप से साखरहित बैंक क्षेत्र में किया जाय तथा 60 प्रतिशत ऋण लघु कृषकों, ग्रामीण दस्तकारों और अन्य ग्रामीण निर्धनों में दिया जाय।⁷

3 केलकर समिति (1986) Kelkar Committee (1986):-

स्थापना के दस वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने केलकर समिति का गठन किया जिसने इन बैंकों की कार्य प्रणाली की कड़ी समीक्षा की तथा इनके प्रबंध व व्यवहार्यता

6 कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996, पृष्ठ 15

7. कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996, पृष्ठ 15

सबधी अनेक पहलुओ पर अपने सुझाव दिये। यह रिपोर्ट सरकार को 10 मार्च 1986 को प्राप्त हुई जिसके आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सशोधन) एक्ट 1987 को मजूरी दी गई। तब तक 196 ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आ चुके थे। इसके बाद देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की श्रृंखला को विराम लग गया, जो कि अभी तक बरकरार है। इसके अतिरिक्त प्रायोजक बैंको को अपना अशदान बढ़ाने, पुनर्वित्त सहायता निम्नदर पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के सम्मेलन के सबध में यह प्रावधान किया कि नाबार्ड, सबधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक से विचार-विमर्श करके दो या अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का सम्मेलन किया जा सकता है। इस तरह सम्मेलन करते समय लोकहित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा सेवित क्षेत्र के विकास तथा स्वयं ग्रामीण बैंको के हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4. खुशरो समिति (1989) (Khusro Committee):-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सगठनात्मक समस्याओ पर विचार करने के लिए 1989 में डा ए एम खुशरो की अध्यक्षता में कृषि साख सर्वेक्षण समिति (1989) बनायी गयी। समिति ने विभिन्न पहलुओ, जैसे, खराब वसूली, प्रबधकीय तथा स्टाफ की समस्याएँ, हासित लाभप्रदता आदि का अध्ययन करने के पश्चात इन बैंकों का प्रायोजक बैंको में बिलय का सुझाव दिया।⁸

8 कुरुक्षेत्र (अग्रजी संस्करण) जुलाई 1996, पृष्ठ 24

5 नरसिम्हन समिति (1991):-

नरसिम्हन समिति की सिफारिश थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की ग्रामीण सह-इकाइयों की स्थापना की जाए जो बैंको की ग्रामीण शाखाओं को अपने अधिकार में ले ले, समिति ने इस बात का विकल्प क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और उनके प्रायोजक बैंको पर छोड़ दिया कि क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी पहचान बनाये रखे अथवा वे प्रायोजक बैंको की ग्रामीण बैंकिंग सह-इकाइयों के साथ स्वैच्छिक आधार पर मिल जाए।⁹

6 भण्डारी समिति (1994) - Bhandari Committee- (1994):-

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के बजट में की गई इस आशय की घोषणा कि 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में से 50 का पुनरुद्धार और पुनर्गठन किया जाएगा, के अनुसरण में पुनर्गठन हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का अभिनिर्धारण करने के लिए डा एम सी भंडारी, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। यह देखते हुए कि उक्त समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में वित्तीय सुदृढता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का अभिनिर्धारण किया है, भारत सरकार ने 50 में से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का पुनर्गठन करने के लिए समिति की सस्तुति को स्वीकार कर लिया है।

7. सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूँजी पर्याप्तता की शर्मा समिति की सस्तुति (जनवरी 1998) :-

सहकारी बैंको व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको (RRBs) के प्रति नाबार्ड (NABARD) की देख-रेख सम्बन्धी भूमिका की समीक्षा के लिए गठित शर्मा समिति ने इन बैंको के लिए भी पूँजी पर्याप्तता मानक लागू करने की सस्तुति की है। रिजर्व बैंक के भूतपूर्व एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर यू०के० शर्मा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन जनवरी 1998 में किया गया। 27 अप्रैल 1998 को सौंपे गए अपने प्रतिवेदन में समिति ने कहा है कि ग्रामीण साख का 60 प्रतिशत से अधिक भाग का वितरण इन्हीं सस्थाओं के द्वारा किया जाता है किन्तु परिसम्पत्तियों के ह्रास के कारण वर्तमान में अधिकांश सहकारी बैंको के पास एक लाख व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के पास पाँच लाख रुपये की न्यूनतम पूँजी भी नहीं है। समिति ने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/प्रवर्तक बैंक के माध्यम से इन बैंको के पुनः पूँजीकरण की एक योजना भी प्रस्तुत की है। समिति ने सहकारी बैंको के लिए केन्द्र की 6,600 करोड़ रुपये की प्रस्तावित सहायता के वितरण में तेजी लाने की सस्तुति की है ताकि मार्च 1999 तक यह बैंक 4 प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता के स्तर को प्राप्त कर सकें।

इन बैंकों के कार्यकलापों पर निगरानी के लिए शर्मा समिति ने नाबार्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक स्वायत्त बोर्ड ऑफ सुपरविजन गठित करने की सस्तुति की है। सहकारी बैंकों की भूमि, भवनो व अन्य भू-सम्पत्तियों के लेखे-जोखो का

नियमित निरीक्षण करने की भी सस्तुति की है तथा यह भी कहा है कि प्राथमिक ऋण समितियों की निगरानी का जिम्मा नाबार्ड पर न छोड़ा जाए।

बैंक खातों का संचालन :-

[Operation of Bank Accounts]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अन्य व्यावसायिक बैंको की भाँति विभिन्न खाते संचालित करता है। इनमें से मुख्य इस प्रकार है - साविधि जमा खाता, बचत खाता, चालू खाता तथा आवर्ती जमा खाता आदि।

1. साविधि जमा खाता :-

[Fixed Deposit Account]

किसी निश्चित अवधि के लिए धन जमा करने के लिए खोले गये खाते को साविधि जमा खाता कहा जाता है। यह खाता प्रायः ऐसे व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा खोला जाता है जो अपने धन पर अधिक ब्याज कमाना चाहते हैं तथा किसी प्रकार की जोखिम भी नहीं लेना चाहते। इन खातों में जमा की अवधि कम से कम 45 दिन की होती है। प्रायः इस प्रकार की जमाएँ तीन माह, छ माह, बारह माह, अथवा दो वर्ष, तीन वर्ष, पाँच वर्ष की अवधि के लिए होती हैं। इस खाते में निश्चित अवधि से पहले न तो रूपया निकाला जाता है और न ही जमा किया जा सकता है।

1. सावधि जमा खाते पर ब्याज की दर (Interest rates on Fixed Deposits)

	दिनांक 01.03.98 से प्रभावी	ब्याज की दर प्रतिवर्ष
1	30 दिन से 45 दिन तक	7 प्रतिशत
2	46 दिन से 179 दिन तक	9.5 प्रतिशत
3	180 दिन से 1 वर्ष तक	10 प्रतिशत
4	एक वर्ष से दो वर्ष तक	11 प्रतिशत
5	दो वर्ष से अधिक	12 प्रतिशत

2. बचत बैंक खाता (Saving Bank Account):-

बचत बैंक खाते ऐसे बचतकर्ताओं के लिए होते हैं जिनकी बचत कम होती है। थोड़ी-थोड़ी बचत करके ऐसे बचतकर्ता अपने खाते में जमा करते रहते हैं। इस खाते के माध्यम से अल्प बचत को बढ़ावा दिया जाता है एक बचत बैंक खाता बैंक द्वारा अनुमोदित किसी भी व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। इस खाते में ब्याज की दर 01 03 98 से 4 5 प्रतिशत है। इस खाते में निर्धारित राशि से कम जमा होने पर अथवा निर्धारित सस्था से अधिक बार रूपया निकालने पर बैंक ग्राहक पर कुछ प्रभार लगा सकता है।

3. चालू खाता (Current Account):-

चालू खाता माग निक्षेपो के रूप में जाना जाता है। इस खाते में जब तक ग्राहक का बैंक में रूपया जमा होता है बैंक चैक द्वारा उसका भुगतान करने के लिए

बाध्य है। इस खाते में खाताधारी जितनी बार चाहे रूपया जमा कर सकता है तथा निकाल सकता है। चालू खाते सामान्यतया व्यापारियों, साझेदारी फर्मों औद्योगिक संस्थानों आदि द्वारा खोले जाते हैं। इस खाते की जमाओं पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता। इस खाते में जमाकर्ता को अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान की जाती है।

4. आवर्ती जमा खाता [Recurring Deposit Account] :-

आवर्ती जमा खाता बचत खाते तथा सावधि जमा खाते का मिला हुआ रूप है। यह खाता छोटी धनराशि से खोला जा सकता है परन्तु इसमें नियमित रूप से मासिक एक निश्चित धनराशि जमा करना आवश्यक होता है। यह खाता ₹ 500 या उसके गुणित में खोला जा सकता है। जितने रुपये से खाता खोला जाता है उतनी ही राशि प्रतिमाह किस्त के रूप में खाते में जमा करनी आवश्यक होती है। यदि किस्त को अन्तिम तिथि तक जमा करने में त्रुटि की जाती है तो अगले मास से अतिरिक्त राशि के प्रभार के साथ उसे जमा किया जा सकता है। आवर्ती खाते विभिन्न अवधियों के लिए खोले जा सकते हैं। सामान्यतया कम से कम छ मास के लिए और अधिक से अधिक 10 वर्ष के लिए ऐसे खाते खोले जा सकते हैं। इस खाते में ब्याज की दर बचत खाते से कुछ ऊँची होती है।

तालिका 3.1— क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

क्र० स०	अवधि की समाप्ति पर	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सख्या	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के अन्तर्गत जिले	शाखाओ की सख्या
1	2	3	4	5
1	दिस० 1975	6	12	17
2	दिस० 1980	85	144	3279
3	दिस० 1985	188	333	12606
4	मार्च 1990	196	372	14443
5	मार्च 1991	196	381	14527
6	मार्च 1992	196	392	14539
7	मार्च 1993	196	398	14543
8	मार्च 1994	196	408	14542
9	मार्च 1995	196	425	14509
10	मार्च 1996	196	427	14497
11	जून 1997	196	435	14500

स्रोत - 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से सबधित साख्यिकी, मार्च, 1996

2 बैंकिंग साख्यिकी तिमाही पुस्तिका, जून, 1997

1. बैंकों का प्रसार:-

तालिका 31 से परिलक्षित होता है कि दिसम्बर 1975 में जहाँ केवल 6 ग्रामीण बैंक स्थापित थे, 1985 में यह संख्या बढ़कर 188 हो गयी। इस प्रकार 1975 से 1985 के बीच बैंकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई और ग्रामीण बैंकों के लिए यह एक स्वर्णिम काल था। परन्तु जून 1987 से जून 1997 तक बैंकों की संख्या 196 पर अपरिवर्तित रही।¹⁰ वर्तमान में दिल्ली सिक्किम, यडीगढ़, अडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमण और द्वीव, लक्षद्वीप और पाडीचेरी आदि राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में बैंक स्थापित किये गये हैं।

2. आच्छादित जिलों की संख्या:-

दिसम्बर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अन्तर्गत केवल 12 जिलों में 31 मार्च 1996 में इसकी संख्या बढ़कर 427 हो गयी। नूतन जिलों के सृजन के फलस्वरूप इनकी संख्या जून 1997 तक 435 हो गयी।

3 शाखा प्रसार :-

तालिका से स्पष्ट है कि दिस 1975 की अपेक्षा दिस 1980 में शाखाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई। जून 1997 तक देश में कुल 14500 शाखाएँ स्थापित हो चुकी हैं। जून 1997 तक सर्वाधिक शाखाएँ लगभग 86 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान थीं।

तालिका 3.2— क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा / ऋण प्रगति का विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	अवधि की समाप्ति पर	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1	दिस० 1975	20	10	50
2	दिस० 1980	19983	24338	122
3	दिस० 1985	128582	140767	109
4	मार्च 1990	415052	355404	86
5	मार्च 1991	498924	360927	72
6	मार्च 1992	586783	409086	70
7	मार्च 1993	693813	462673	67
8	मार्च 1994	882651	525302	60
9	मार्च 1995	1115001	629096	56
10	मार्च 1996	1418790	750502	53
11	जून 1997	1732740	865241	50

स्रोत - 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से सबधित साख्यिकी, मार्च, 1996

2 बैंकिंग साख्यिकी तिमाही पुस्तिका, जून, 1997

जमा संग्रहण:-

इन बैंको ने ग्रामीण जमा संग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई है। ये बैंक अपने कमान क्षेत्र के अन्तर्गत निष्क्रिय पडी पूजा को संग्रह कर ग्रामीण विकास में विनियोजित किया। अनुमानत 75 प्रतिशत जमा इन बैंको के अभाव में किसी भी बैंक को प्राप्त नहीं होती और या तो बेकार पडी रहती है या अनुत्पादक कार्यों में लगायी जाती है। दिस 1975 में बैंक की कुल जमा धनराशि 20 लाख रु थी जबकि दिस 1980 में यह बढ़कर 19983 लाख रुपये हो गयी इस प्रकार पाच वर्षों में रिकार्ड वृद्धि हुई। जून 1997 तक सकल राशि जमा राशि बढ़कर 1732740 लाख रुपये हो गयी जो कि 1980 की अपेक्षा 8571 07 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

ऋण की राशि :-

तालिका 3 2 से स्पष्ट है कि बैंको के द्वारा दिये गये ऋणों में भारी वृद्धि हुई है। दिसम्बर 1975 में बैंकों ने केवल 10 लाख ऋण वितरित किया, जबकि दिस 1980 में 24338 लाख रु प्रदान किया जो कि एक रिकार्ड वृद्धि दर्शाता है। जून 1997 तक कुल ऋणों की राशि बढ़कर 865241 लाख रु हो गयी, इस प्रकार 1980 की अपेक्षा 1997 में ऋणों में 3455 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ऋण-जमा अनुपात :-

तालिका 3 2 से परिलक्षित होता है कि दिस 1975 मे ऋण जमा अनुपात 50 प्रतिशत था जो 1980 तथा 1985 में 122 तथा 109 प्रतिशत रहा। इससे स्पष्ट है कि बैंकों ने भारी मात्रा मे ऋण प्रदान किया। इसके पश्चात निरन्तर ऋण-जमा अनुपात मे कमी हुई तथा यह जून 1997 मे 50 प्रतिशत पर स्थिर हुआ।

तालिका 3.3— क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की औसत प्रति बैंक/शाखा का जमा/ऋण प्रगति का विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

क्रम संख्या	अवधि की समाप्ति पर	औसत प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जमा	औसत प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण	औसत प्रति शाखा जमा	औसत प्रति शाखा ऋण
1	2	3	4	5	6
1	दिस० 1975	3 33	1 67	1 18	0 59
2	दिस० 1980	235 09	286 33	6 09	7 42
3	दिस० 1985	683 95	748 76	10 20	11 17
4	मार्च 1990	2117 61	1813 29	28 74	24 61
5	मार्च 1991	2545 53	1841 46	34 34	24 85
6	मार्च 1992	2993 79	2087 17	40 36	28 14
7	मार्च 1993	3539 86	2360.58	47 71	31 81
8	मार्च 1994	4503.32	2680 11	60 70	36 12
9	मार्च 1995	5688 78	3209.09	76 85	43 36
10	मार्च 1996	7238 72	3829 09	97 87	51 77
11	जून 1997	8840 51	4414 49	119 49	59 67

स्रोत तालिका 1 और 2 पर आधारित

तालिका 3 3 से स्पष्ट है कि ग्रामीण बैंको की औसत प्रति बैंक जमा, तथा ऋण, और औसत प्रति शाखा जमा तथा ऋण में निरन्तर वृद्धि हुई है। दिस 1975 में प्रति क्षेत्र ग्रामीण बैंक जमा 3 33 लाख रु था जबकि जून 1997 में बढ़कर यह 8840 51 लाख रु हो गया जो कि एक रिकार्ड वृद्धि 26538 78 प्रतिशत दर्शाता है। इसी प्रकार जून 1997 में दिस० 1975 की अपेक्षा प्रति बैंक ऋण, प्रति शाखा जमा तथा ऋण क्रमशः 4414 49 लाख रुपये, 119 49 लाख रुपये तथा 59 67 लाख रुपये हो गया।

तालिका 3.4— क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यालयों की संख्या/कुल जमा तथा ऋण का राज्य/क्षेत्र तथा जनसंख्या समूहवार वितरण
जून 1997

(धनराशि लाख रु० में)

क्रम संख्या	क्षेत्र / राज्य	ग्रामीण			अर्धशहरी			शहरी/महानगरीय			जोड़		
		कार्यालय	जमा- राशिया	ऋण	कार्यालय	जमा- राशियां	ऋण	कार्यालय	जमा- राशियां	ऋण	कार्यालय	जमा- राशिया	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	उत्तरी क्षेत्र (I) राजस्थान	1735	188136	74356	188	38816	12196	38 (1)	16169 (20)	4752 (122)	1961	243122	91304
2.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	555	43594	24454	75	19278	5836	23	9124	2269	653	71996	32559
3.	पूर्वी क्षेत्र	3148	312594	140115	377	79470	22753	50	16946	6342	3575	409009	169210
4.	मध्य क्षेत्र (i) उत्तर प्रदेश (ii) मध्य प्रदेश	4031 2707	450659 352239	184458 138241	494 273	120279 75610	35520 22409	100 (3)	45087 (1262)	14636 (578)	4625 (79)	616025 458803	234614 171706
5.	पश्चिमी क्षेत्र	859	66918	42191	129	17488	9287	22	9867	3194	1010	94273	54672
6.	दक्षिणी क्षेत्र	2091	183126	190460	510	83337	76698	75	31852	15724	2676	298315	282882
	अखिल भारत	12419	1245027	656034	1773	358668	162290	308 (5)	129045 (2332)	46917 (779)	14500	1732740	865241


टिप्पणी कोष्ठको में दिये गये आकड़े महानगरीय केन्द्रों से संबंधित हैं।

स्रोत - बैंकिंग सांख्यिकी तिमाही पुस्तिका जून 1997

तालिका 3 4 से द्रष्टव्य है कि ग्रामीण बैको की सर्वाधिक शाखाएं जून 1997 में 12419 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थीं जो कुल का लगभग 86 प्रतिशत थीं। जून 1997 में देश में कुल शाखाओं की संख्या 14500 थी। इसी प्रकार कुल जमा का लगभग 72 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित था। तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक शाखाएं 4031 मध्यक्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्र) में स्थित हैं और उनमें से 2707 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसी प्रकार सर्वाधिक कम शाखाएं 555 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्र) में स्थित हैं। सर्वाधिक ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जमा तथा ऋण का बार चार्ट

जून - 1997



तालिका 3.5— क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, उनकी शाखाओं, जमा, ऋण इत्यादि की राज्यवार विवरण मार्च 1996 की समाप्ति पर

(धनराशि लाख रु० में)

राज्य/का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतर्गत जिले	शाखाओं की संख्या	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण- जमा अनुपात (प्रतिशत)	नाबार्ड पुनर्वित्त
1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा	4	15	291	48590 14	20974 62	43	5127 00
हिमाचल प्रदेश	2	4	129	17327 50	4748 23	27	1113 56
जम्मू-कश्मीर	3	12	273	20125 18	5139 73	26	663 43
पंजाब	5	13	201	22895 32	11750 84	51	3400 32
राजस्थान	14	31	1065	89168 46	36801 97	41	8309 65
अरुणाचल प्रदेश	1	5	19	1223 60	421.30	34	115 45
असम	5	23	404	35995 03	18475 52	51	3518 76
मणिपुर	1	8	29	821 31	455 05	55	181 73
मेघालय	1	4	51	6223 10	1186 88	19	434 56
मिजोरम	1	3	54	2833 12	1009 25	36	306 39
नागालैंड	1	7	8	244 58	84 98	35	1218 00
त्रिपुरा	1	3	90	12203 50	9576 48	78	2094 94

क्रमश

राज्य/का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अंतर्गत जिले	शाखाओं की संख्या	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण- जमा अनुपात (प्रतिशत)	नाबार्ड पुनर्वित्त
1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	22	50	1885	167050 80	66360 13	40	7937 30
उड़ीसा	9	29	819	60488 00	39008 49	64	13730 20
पश्चिम बंगाल	9	19	864	96975 82	46138 97	48	9284 56
मध्य प्रदेश	24	44	1593	121813 44	53270 89	44	8876 50
उत्तर प्रदेश	40	66	3035	380963 48	156056.15	41	46019 49
गुजरात	9	17	425	31084 93	17302 09	56	6446 71
महाराष्ट्र	10	17	588	46573 15	26849 90	58	7564 54
आन्ध्र प्रदेश	16	23	1123	116122 26	96312 75	83	29879 65
कर्नाटक	13	20	1074	96742 80	89072 76	92	34252 54
केरल	2	6	269	26750 00	34918 00	131	13743 00
तमिलनाडू	3	8	208	16614 80	14587 56	88	3669 00
कुल योग	196	427	14497	1418790.32	750502.54	53	206681.49

स्रोत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से सबधित साख्यकी मार्च 1996

तालिका 3 5 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सर्वाधिक सख्या 40 उत्तर प्रदेश मे स्थित है जो कि कुल का 20.4 प्रतिशत है। इसके पश्चात क्रमश मध्य प्रदेश मे 24, तथा बिहार मे 22 है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैड तथा त्रिपुरा मे न्यूनतम एक-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित है। सर्वाधिक सेवित जिलो की सख्या उत्तर प्रदेश मे 66 है। कुल जमा तथा ऋण की सर्वाधिक राशि 380963.48 तथा 156056.15 लाख रू० उत्तर प्रदेश मे है। ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक 131 प्रतिशत केरल मे तथा न्यूनतम 19 प्रतिशत मेघालय मे है। नाबार्ड द्वारा मार्च 1996 तक उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 46019.49 लाख रू पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गयी।

तालिका 3.6— क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा, ऋण, प्रति नियुक्त स्टाफ इत्यादि का प्रायोजक बैंकवार विवरण मार्च 1996 की समाप्ति पर

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	प्रायोजक बैंक का नाम	क्षे० ग्रा० बैंक की संख्या	क्षे० ग्रा० बैंक के अंतर्गत जिले	शाखाओं की संख्या	कुल जमा	बकाया ऋण प्रयोजित क्षे० ग्रा० बैंक	प्रायोजक बैंकों से पुनर्वित्त	प्रयोजित क्षे० ग्रा० बैंक के बकाया ऋण में प्रायोजक बैंकों के वित्तपोषण का प्रतिशत	प्रायोजक बैंकों द्वारा नियुक्त स्टाफ/अधिकारी अन्य योग		
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	इलाहाबाद बैंक	7	10	504	56867 64	21886.15	583 83	2 67	19	—	19
2	आन्ध्र बैंक	3	5	153	12908 09	10195 65	1404 39	13 77	14	—	14
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	19	31	1249	119844 32	58443 72	1423 82	2 44	26	—	26
4	बैंक ऑफ इंडिया	16	30	991	94414 67	33434 10	1121 87	3 36	53	—	53
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3	8	312	28306 39	16787 89	1314 81	7 83	6	—	6
6	बैंक ऑफ राजस्थान लि०	1	2	61	4451 00	1519 00	32 00	2 11	3	—	3
7	केनरा बैंक	8	12	693	69310 75	60580 18	6442 70	10 63	20	—	20
8	कॉरपोरेशन बैंक	1	2	44	3527 45	3342 90	609 90	18 24	3	—	3
9	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	23	43	1791	135744 97	63432 72	869 40	1 37	29	—	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	देना बैंक	4	7	253	21805 81	11212 38	321 62	2 87	8	—	8
11	इंडियन बैंक	4	5	145	12468 26	11506 13	2338 51	20.32	14	—	14
12	इंडियन ओवरसीज बैंक	3	9	309	24698 72	18728 62	2470 42	13 19	8	—	8
13.	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक	2	6	188	16567 18	3567 73	88 25	2 47	6	—	6
14.	पंजाब नेशनल बैंक	19	45	1273	145019 12	62215 17	1491 22	2 40	47	—	47
15.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	1	3	22	3127 74	1576 00	50 42	3 20	6	—	6
16.	सिंडिकेट बैंक	10	20	1039	135759 22	119399 75	12033 89	10 08	24	—	24
17	स्टेट बैंक ऑफ वि० ए० जयपुर	3	5	20	19932 73	5341 91	108 89	2 04	12	—	12
18	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4	4	164	16973 27	12846 39	1258 49	9 80	15	—	15
19	भारतीय स्टेट बैंक	30	84	237	210448.34	97027 48	6364 94	6 56	139	—	139
20	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1	2	23	1804 00	871 18	0 00	0 00	3	—	3
21.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2	5	202	15746 38	11765 60	1022 68	8 69	12	—	12
22.	बैंक ऑफ पटियाला	1	3	41	3471 66	2434 78	244 55	10 04	6	—	6
23.	बैंक ऑफ सौराष्ट्र	3	6	136	8436 70	3909 95	513 42	13 13	13	—	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4	9	403	69459 84	23109 57	267.00	1 16	15	—	15
25.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	11	43	1019	107500 64	56937 18	939 96	1 65	17	—	17
26.	यूको बैंक	11	25	802	74702 15	35006 89	507 51	1 45	36	—	36
27	यू पी० स्टेट को० ऑ० बैंक लि०	1	2	69	3997 00	2377 00	50 00	2 10	0	—	0
28.	विजया बैंक	1	1	25	1496 28	1046 52	34 10	3 26	2	—	2
	कुल योग	196	427	14497	1418790 32	750502 54	43908 59	5 85	556	—	556

स्रोत - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से सबधित सांख्यिकी मार्च 1996

तालिका 3 6 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है जिसके अन्तर्गत 84 जिले तथा 237 शाखाए आती है। सर्वाधिक शाखाए 1791 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत आती है। सबसे कम 20 शाखा स्टेट बैंक ऑफ वि ए जयपुर में आती है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रायोजक बैंक यू पी स्टेट को आ बैंक लि है जिसके अन्तर्गत 2 जिले तथा 69 शाखाए आती है तथा यू पी.स्टेट को आ बैंक लि ने अपना कोई भी स्टाफ क्षेत्रों में नियुक्त नहीं किया है। प्रायोजित क्षेत्रों में प्रायोजक बैंक के वित्त पोषण का सर्वाधिक 20 32 प्रतिशत इण्डियन बैंक का है।

तालिका 3.7— क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाओं का विभिन्न खातों के अनुसार क्रमवार प्रगति विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	वर्ष	चालू		बचत		सावधि		कुल	
		खातों की सं०	धनराशि	खातों की सं०	धनराशि	खातों की सं०	धनराशि	खातों की सं०	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जून 1987	309908 (1.5)	10851.22 (5.7)	16898269 (81.9)	101870.50 (53.4)	3416078 (16.6)	78214.98 (40.9)	20624255 (100)	190936.70 (100)
2.	मार्च 1990	592445 (2.2)	33493.68 (8.3)	22618724 (81.6)	206647.63 (51.1)	4496672 (16.20)	163953.52 (40.6)	27707841 (100)	404094.83 (100)
3	मार्च 1991	730532 (2.3)	33302.55 (6.7)	25734180 (79.9)	261110.62 (52.3)	5713461 (17.8)	204509.85 (41.0)	32178173 (100)	498923.02 (100)
4	मार्च 1993	786075 (2.2)	37239.41 (5.4)	28861571 (79.7)	300821.77 (43.4)	6576598 (18.1)	355752.39 (51.2)	36224244 (100)	693813.57 (100)
5	मार्च 1994	797531 (2.2)	48368.92 (5.5)	29026640 (78.8)	394847.60 (44.7)	7002206 (19.0)	439434.48 (49.8)	36826377 (100)	882651.00 (100)
6	मार्च 1995	841792 (2.2)	59992.93 (5.4)	29712044 (79.4)	518685.65 (46.5)	6884033 (18.4)	536322.25 (48.1)	37437869 (100)	1115000.83 (100)
7	मार्च 1996	971423 (2.5)	73990.91 (5.2)	30234794 (77.8)	617924.81 (43.6)	7651499 (19.7)	726874.60 (51.2)	38857716 (100)	1418790.32 (100)

स्रोत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संचयित सांख्यिकी (1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 तथा 1996)

नोट - कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

तालिका 3.7 से परिलक्षित होता है कि सर्वाधिक खातों की संख्या बचत खातों के अन्तर्गत विद्यमान है इसके पश्चात् सावधि खातों की संख्या हैं। सबके कम चालू खातों की संख्या है। 1987, 1990 तथा 1991 में बचत खातों में जमा धनराशि सावधि खातों से अधिक है तथा 1993 से 1996 तक सावधि खातों में जमा धनराशि बचत खातों में जमा धनराशि की अपेक्षा अधिक है। मार्च 1996 की समाप्ति पर कुल जमा धनराशि 1418790.32 लाख रु० थी। उनमें से सर्वाधिक 51.2 प्रतिशत अर्थात् 726874.60 लाख रु० सावधि खातों के अन्तर्गत है। तालिका से स्पष्ट है कि जमाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है।

तालिका 3.8— उत्तर प्रदेश में स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा प्रगति का क्रमवार विवरण

क्र० सं०	ग्रामीण बैंक	स्थापना दिवस	(धनराशि लाख रु० में)					
			मार्च 1990	मार्च 1991	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995	मार्च 1996
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रथमा बैंक	02-10-75	7486 00	9457 90 (26 3)	13018 64 (37 6)	16578 05 (27 3)	20608 00 (24 3)	25576 00 (24 1)
2	गोरखपुर क्षे० गा० बैंक	02-10-75	14611 64	17879 71 (22 4)	22575 91 (26 3)	27054 17 (19 8)	30450.00 (12 6)	35317 00 (16 0)
3	सयुक्त क्षे० गा० बैंक	06-01-76	9801 71	12879 90 (31 4)	17908 38 (39 0)	22480 72 (25 5)	26912 87 (19 7)	33404 00 (24 1)
4	बाराबकी गा० बैंक	27-03-76	3914 29	4955 08 (26 6)	6498 00 (31 1)	8098 00 (24 6)	9959 54 (23 0)	12541 00 (26 0)
5	रायबरेली क्षे० गा० बैंक	29-03-76	3500 85	4065 49 (16 1)	5379 52 (32 3)	6446 87 (19 8)	7404 00 (14 8)	9201 47 (24 3)
6	फर्रुखाबाद गा० बैंक	29-03-76	3495 50	5259 00 (50 5)	6337 00 (20 5)	7913 17 (24 9)	9607 61 (21 4)	12436 00 (29 4)

क्रमशः

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	भागीरथ ग्रा० बैक	19-09-76	5431 22	7060 00 (30 0)	10132 53 (43 5)	12069 26 (19 1)	14219 01 (17 8)	17563 80 (23 5)
8	बलिया क्षेत्र ग्रा० बैक	25-12-76	4304 11	5098 34 (18 5)	6540 23 (28 3)	7869 18 (20 3)	9297 24 (18 1)	11500 22 (23 7)
9.	सुल्तानपुर क्षेत्र ग्रा० बैक	08-02-77	5362 30	6219 57 (16 0)	8121 77 (30 6)	10299 24 (26 8)	12051 08 (17 0)	14682 00 (21 8)
10	अवध ग्रा० बैक	07-06-77	5886 00	8066 00 (37 0)	9869 00 (22 4)	12442 00 (26 1)	14374 07 (15 5)	17531 00 (22 0)
11.	कानपुर क्षेत्र ग्रा० बैक	27-02-80	3200 72	4175 92 (30 5)	6273 52 (50 2)	8107 81 (29 2)	9968 00 (23 0)	13122 00 (31 6)
12	श्रावस्ती ग्रा० बैक	04-03-80	2614 00	3313 25 (26 8)	4859 98 (46 7)	6260 20 (28 8)	7106 99 (13 5)	9457 07 (33 1)
13	इटावा क्षेत्र ग्रा० बैक	18-03-80	1664 00	2102 40 (26 3)	2590 07 (23 2)	3247 90 (25 4)	3921 00 (20 7)	4564 00 (16 4)
14	किसान ग्रा० बैक	19-05-80	929 44	1170 35 (25 9)	1731 62 (48 0)	2109 02 (21 8)	2785 86 (32 1)	3832 97 (37 6)
15	क्षेत्रीय किसान ग्रा० बैक	20-05-80	1214 09	1618 52 (33 3)	1930 22 (19 3)	2455 09 (27 2)	3192 36 (30 0)	3997 00 (25 2)

क्रमशः

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	काशी ग्रां बैंक	28-07-80	2616 82	3195 88 (22.1)	5086.66 (59.2)	6615 89 (30.1)	8214 49 (24.2)	11088.35 (35.0)
17	बंसी ग्रां बैंक	01-08-80	3800 00	4575 00 (20.4)	6107 00 (33.5)	7909 00 (29.5)	9563 00 (20.9)	11204 00 (17.2)
18	इलाहाबाद क्षे० ग्रां बैंक	23-08-80	3102.00	4173 00 (34.5)	5703 00 (36.7)	7158 00 (25.5)	8981 00 (25.5)	11007 00 (22.6)
19	प्रतापगढ क्षे० ग्रां बैंक	25-08-80	2314 28	3009 96 (30.1)	4307 83 (43.1)	5553 60 (29.0)	6720 30 (21.0)	8724 08 (30.0)
20	फैजाबाद क्षे० ग्रां बैंक	05-09-80	2074 80	2824 62 (36.1)	4371 10 (54.8)	5532 02 (26.6)	6641 24 (20.1)	8580 10 (29.2)
21	फतेहपुर क्षे० ग्रां बैंक	06-09-80	1213 41	1841 42 (51.8)	2290 42 (24.4)	2850 99 (24.5)	3491 99 (22.5)	4598 00 (31.7)
22	बरेली क्षे० ग्रां बैंक	27-09-80	1958 00	2639 77 (34.8)	3579 35 (35.6)	4298 65 (20.1)	5414 50 (26.0)	6435 62 (18.9)
23	देवीपाटन क्षे० ग्रां बैंक	17-01-81	1978 48	2433 99 (23.0)	3367 17 (38.3)	4014 10 (19.2)	5820 29 (45.0)	8539 00 (46.7)
24	अलीगढ क्षे० ग्रां बैंक	22-03-81	2307 98	3035 38 (31.5)	4410 65 (45.3)	5996 72 (36.0)	8469 95 (41.2)	11961 80 (41.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	तुलसी ग्रां बैंक	23-03-81	2122 20	2583.76 (21 7)	3501.16 (35 5)	3964 10 (13 2)	5350 55 (35 0)	7325 55 (37 0)
26.	एटा ग्रां बैंक	29-03-81	1253 64	1592 99 (27 1)	1993 84 (25 2)	2838 80 (42 4)	3993 88 (40 7)	5608 76 (40 4)
27.	गोमती ग्रां बैंक	30-03-81	2960 36	3795 29 (28 2)	5957 47 (57 0)	7649 33 (28 4)	9424 11 (23 2)	12926 74 (37 2)
28.	छत्रसाल ग्रां बैंक	30-03-82	1610 03	2554 73 (58 7)	3255 14 (27 4)	4397 93 (35 1)	5779 80 (31 4)	6861 31 (18 7)
29.	रानी लक्ष्मीबाई क्षे० ग्रां बैंक	31-03-82	974 00	1230 00 (26 3)	1648 62 (34 0)	1963 63 (19 1)	2583 00 (31 5)	3212 92 (24 4)
30	विदौर ग्रां बैंक	18-01-83	874 81	1124 63 (28 6)	1582 36 (40 7)	2400 81 (51 7)	3205 30 (33 5)	3359 44 (4 8)
31	शाहजहाँपुर क्षे० ग्रां बैंक	24-03-83	692 50	933 26 (34 8)	1215 59 (30 3)	1581 35 (30 1)	2100 23 (32 8)	2821 09 (34 3)
32	नैनीताल-अल्मोडा क्षे० ग्रां बैंक	26-03-83	789 71	1014 06 (28 4)	1822 88 (79 8)	2327 97 (27 7)	2991 08 (28 5)	4090 75 (36 8)
33	विध्यवासिनी ग्रां बैंक	30-03-83	1467 64	2191 53 (49 3)	2958 39 (35 0)	3795 05 (28 3)	4339 00 (14 3)	5350 00 (23 3)

क्रमश

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	रुरयू गां बैंक	09-08-83	1289 84	1753 57 (36 0)	2495 84 (42 3)	3712 59 (48 8)	4334 08 (16 7)	4865 36 (12 3)
35	जमना गां बैंक	02-12-83	1087 43	1368 60 (25 9)	1430 54 (4 5)	2087 75 (45 9)	2955 00 (41 5)	4733 13 (60 2)
36	मुजफ्फरनगर क्षे० गां बैंक	27-07-84	616 55	687 87 (11 6)	1090 26 (58 5)	1464 32 (34 3)	1959 97 (33 8)	2480 14 (26 5)
37.	पिथौरागढ क्षे० गां बैंक	27-03-85	253 07	425 41 (68 1)	819 14 (92 6)	1276 87 (55 9)	2016 46 (57 9)	3049 54 (51 2)
38.	गगा-यमुना गां बैंक	29-03-85	516 06	633 33 (22.7)	1299 45 (105 2)	1778 17 (36 8)	2236 88 (25 8)	2822 00 (26 2)
39	अलकनदा गां बैंक	31-08-85	370 73	697 84 (88 2)	1243 25 (78 2)	1658 89 (33 4)	2044 44 (23 2)	2821 59 (38 0)
40.	हिडन गां बैंक	28-03-87	297 09	443 21 (49 2)	843 74 (90 4)	1117 38 (32 4)	1395 73 (24 9)	1771 68 (26 9)
	उत्तर प्रदेश		111959 30	144080 51 (28 7)	196147 24 (36 1)	247374 69 (26.1)	301883 90 (22 0)	380963 48 (26 2)

टिप्पणी कोष्ठको में दी गयी राशि जमाओ का विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि है।

स्रोत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित सांख्यिकी (1990 1991 1993, 1994 1995 तथा 1996)

तालिका 3-8 से परिलक्षित होता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है। प्रदेश की 40 बैंकों में से मार्च 1996 के अन्त में सर्वाधिक जमा 35317 00 लाख रुपये गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का रहा और उसी समय प्रथम बैंक का जमा 25576 लाख रुपये रहा है, जबकि इन दोनों बैंकों का स्थापना वर्ष अक्टूबर 1975 एक ही दिन का है। इसी प्रकार 1976 में 6 बैंक स्थापित किये गए तथा उनमें सर्वाधिक जमा मार्च 1996 के अन्त में 33404 लाख रुपये संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का रहा। 1977 में प्रदेश में दो बैंक स्थापित किये गए और उनमें से सर्वाधिक जमा 17531 लाख रुपये, मार्च 1996 के अन्त में अवध ग्रामीण बैंक का रहा। 1980 में प्रदेश में 12 बैंक स्थापित किये गए और मार्च 1996 की समाप्ति पर सर्वाधिक जमा 13122 लाख रुपये कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का रहा। 1981 में 5 ग्रामीण बैंक स्थापित किये गए और इनमें मार्च 1996 की समाप्ति पर सर्वाधिक जमा 12926 74 लाख रुपये गोमती ग्रामीण बैंक का रहा। 1982 में 2 ग्रामीण बैंक स्थापित किये गए और मार्च 1996 की समाप्ति पर सर्वाधिक जमा 6861 31 लाख रुपये छत्रशाल ग्रामीण बैंक का रहा। 1983 की अवधि में प्रदेश में 6 ग्रामीण बैंक स्थापित किये गए और मार्च 1996 की समाप्ति पर सर्वाधिक जमा 5350 लाख रुपये विन्ध्यवासिनी ग्रामीण बैंक का रहा। 1984 में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया और उसका जमा मार्च 1996 की समाप्ति पर 2480 14

लाख रूपये रहा। इसी प्रकार 1985 मे 3 तथा 1987 मे एक ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये और मार्च 1996 की समाप्ति पर सर्वाधिक जमा क्रमश 3049 54 लाख रूपये पिथौरा गढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का और 1771 68 लाख रूपये हिन्दन ग्रामीण बैंक का रहा। यदि विगत वर्ष पर जमा का प्रतिशत देखा जाय तो उसमे निरन्तर वृद्धि हुई है।

तालिका 3-9 — क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विभिन्न श्रेणी के स्टाफ का विवरण

वर्ष (मार्च की समाप्ति पर)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्टाफ						प्रयोजक बैंक के स्टाफ		
	अधिकारी Officers	क्लर्क Clerk	अन्य Others	कुल Total	जिनमे से अनुसूचित जाति/जनजाति	कुल प्रशिक्षित स्टाफ	अधिकारी	क्लर्क	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1991	29621	25275	12265	67161	11593	50038	698	-	698
1993	29658	25674	14838	70170	13371	52676	673	-	673
1994	29540	25901	15163	70604	13250	53790	545	-	545
1995	29453	25911	15484	70848	13194	51788	500	-	500
1996	29563	25867	15545	70975	13475	53494	556	-	556

स्रोत - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से संचित सांख्यिकी (1991, 1993, 1994, 1995 तथा 1996)

तालिका 3 9 से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के स्टाफ में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1991 में कुल कर्मचारियों की संख्या 67161 थी जबकि मार्च 1996 की समाप्ति पर बढ़कर 70975 हो गयी इस प्रकार 1991 की तुलना में 1996 में 5.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या जहाँ 1991 में 11593 थी वही 1996 में बढ़कर 13475 हो गयी। इसी प्रकार कुल पशिक्षित स्टाफ 1996 में 53494 तथा प्रायोजक बैंक के स्टाफ 556 थे।

तालिका 3 10 लाभ/हानि की स्थिति

(धनराशि लाख रुपये में)

वर्ष (मार्च की समाप्ति पर)	लाभ अर्जित करने वाले बैंकों की संख्या	हानि अर्जित करने वाले बैंको की संख्या	धनराशि (लाभ/हानि)
1	2	3	4
1993	24	172	(-) 31401 76
1994	23	173	(-) 36695 52
1995	40	156	(-) 39425 55
1996	44	152	(-) 42558 31

स्रोत-नाबार्ड

तालिका 3 10 से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निरन्तर घाटे पर चल रहे हैं। 1993 में घाटे की सकल राशि 31401 76 लाख रुपये थी जबकि 1996 में 42558 31 लाख रुपये हो गयी। 1993 की तुलना में 1996 में घाटे में 35 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1994 में सर्वाधिक 173 बैंक हानि पर थे जबकि 1995 में 156, 1996 में 152 बैंक हानि पर थे। हानि पर चलने वाले बैंको की संख्या में कमी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में सुधारात्मक कदमों के कारण सम्भव हुआ है। 1993 में जहाँ 24 बैंक लाभ अर्जित किये वहीं 1996 में 44 बैंक लाभ अर्जित किए, इस प्रकार लाभ अर्जित करने वाले बैंकों की संख्या में 83.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

Table 3-11 Important Banking Indicators - RRBS

	Out standing as on		Variations @	
	March 31, 1995	March 29, 1996	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
No of Reporting Banks -	196	196	-	-
Aggregate Deposits -	10848	13370	2803 (34 8)	2522 (23 2)
Demand Deposit -	2115	2475	721 (51 7)	360 (17 0)
Time Deposit -	8733	10895	2082 (31 3)	2162 (24 8)
Borrowing from R.B.I. -				
Bank Credit -	6201	7289	1177 (23 4)	1088 (17 5)
Investments -	834	1826	743 (816 5)	992 (118 9)
Government Securities -	459	842	420 (1076 9)	383 (83 4)
Other Approved Securities -	375	983	323 (621 2)	608 (162 1)
Cash in hand -	216	177	130 (151 2)	-39 (-18 1)
Credit-Deposit ratio (%) -	57.2	54.5	42.0	43.1

@ Data are based on last reporting friday of march

Source Report on currency and finance 1995-96 Value II

तालिका 3 11 से परिलक्षित होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या में 1995 और 1996 में कोई वृद्धि नहीं हुई। सकल जमा में 1995 में 1994 की तुलना में 34.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 1996 में 1995 की तुलना में 23.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तालिका से स्पष्ट है कि माँग जमा और सावधि जमा में वृद्धि हुई है। बैंक ऋण 1995 में 6201 करोड़ रूपया था जबकि 1996 में 7289 करोड़ रूपये हो गया, इस प्रकार 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनियोगों में भी 1995 की अपेक्षा 118.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा इसकी राशि 1826 करोड़ रूपये हो गयी।

सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में भी वृद्धि हुई है। हस्तगत रोकड़ में 1996 में कमी हुई तथा यह 216 करोड़ रूपये से 177 करोड़ रूपये हो गयी।

अध्याय : 4

**इलाहाबा : जनपद :
आर्थिक, राज्याधिक एवं
सांस्कृतिक र र्माक्षा**

उत्तर प्रदेश:

भौगोलिक स्थिति (उ०प्र०):-

उत्तर प्रदेश भारत का एक सीमान्त प्रदेश है। जो 25° से 31° उत्तरी अक्षांश तथा $77'$ से $84'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी से लगी हुई तिब्बत एवं नेपाल की सीमाएँ, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पूर्व में बिहार तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान की सीमाएँ मिलती हैं। इस प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 294 हजार वर्ग किमी० है, जो भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 89 प्रतिशत है। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र का अनुगामी होते हुए भारत में इसका चौथा स्थान है।

प्रशासनिक ढाँचा (उ०प्र०):-

कुशल एवं सुगम प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रदेश को 19 मण्डल एवं 83 जिलों में विभाजित किया गया है। भौगोलिक स्थलाकृति, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों की समरूपता के आधार पर सन्तुलित नियोजित विकास हेतु प्रदेश को पाँच आर्थिक क्षेत्रों यथा पर्वतीय, पश्चिमी, केन्द्रीय, पूर्वी तथा बुन्देल खण्ड क्षेत्र में विभाजित किया गया है।

इलाहाबाद जनपद का संक्षिप्त परिचय:-

इलाहाबाद जनपद (विभाजन से पूर्व) जो कि हमारे अध्ययन का क्षेत्र है पूर्वी-क्षेत्र से सम्बन्धित है।

1. स्थिति एवं भौतिक विशेषताएँ:-

इलाहाबाद मण्डल के सुदूरपूर्व स्थित यह जनपद 24 47" से 27 47" उत्तरी अक्षांश एव 81 19" से 82.21" पूर्वी देशान्तर के बीच में बसा हुआ है। जनपद इलाहाबाद के पूर्व में वाराणसी, पूर्वोत्तर में जौनपुर, पश्चिम में फतेहपुर, दक्षिण में बाँदा, उत्तर में प्रतापगढ़, दक्षिण-पूर्व में मिर्जापुर तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश का रीवाँ जनपद स्थित है। यह पूर्व से पश्चिम 117 किमी० तथा उत्तर से दक्षिण 109 किमी० तक फैला हुआ है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 7261 वर्ग किमी० है।

(अ) भौगोलिक संरचना:-

जनपद प्राकृतिक विषमताओं के अनुसार 3 विभिन्न उपखण्डों में विभाजित है जिन्हें गंगा एव यमुना नदियाँ विभाजित करती हैं। ये उपखण्ड गंगापार, द्वाबा एव यमुनापार क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। जनपद में कुल 9 तहसीलें एव 28 विकास खण्डों के अन्तर्गत कुल 3945 ग्राम हैं, जिनमें आबाद ग्रामों की संख्या 3539 है। प्रत्येक उपखण्ड में तीन तहसीलें स्थित हैं। गंगापार एव द्वाबा दोनों समतल भू-भाग हैं, परन्तु यमुनापार क्षेत्र सबसे ऊँचे धरातल पर बसा हुआ है। गंगापार एव द्वाबा का ब्लाक तो प्रायः एक सा ही है, परन्तु यमुनापार की भूमि काफी असमतल है।

(द्व) तापमान एवं वर्षा:-

जनपद के सभी सम्भागो गगापार, यमुनापार एव द्वाबा की जलवायु शीतोष्ण है। गर्मी के मौसम मे अधिक गर्मी, सर्दी मे अत्यधिक सर्दी एव बरसात मे सुहावना मौसम होता है। नवम्बर माह के मध्य से सर्दी प्रारम्भ होकर जनवरी माह मे अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। जनपद मे वर्ष 1994-95 मे उच्चतम तापमान 57.7 डिग्री सेन्टीग्रेट तथा न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेन्टीग्रेट रहा है। वायु मे आर्द्रता मानसून की अवधि मे 70 से 80 प्रतिशत रहती है। मानसून के बाद गर्मी 20 प्रतिशत रह जाती है।

जनपद के प्रत्येक उपखण्डो मे औसत मात्रा मे वर्षा होती है। वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। 85 प्रतिशत वर्षा मानसून मे हो जाती है। वर्ष 1994 मे औसत वास्तविक वर्षा 666 मिमी० हुई जबकि जनपद की सामान्य वर्षा 959 मिमी० है।

(स) भू-गर्भीय पदार्थ:-

जनपद में इमारती पत्थर भी यमुनापार क्षेत्र मे पाया जाता है, इसकी मोटाई 1.50 मीटर से लेकर 2.50 मीटर तक होती है। इसे प्लास्टर करके निकाला जाता है। इसकी खाने मुख्यत शिवराजपुर में है। जनपद के गगापार व द्वाबा उपखण्ड में ककड पाया जाता है। सिलिकासैण्ड जो कि काँच बनाने के काम आता है, बारा

तहसील के शकरगढ तथा सोराव तहसील के होलागढ स्थान पर मुख्यतया पाया जाता है। इन स्थानो पर बहुत उच्च श्रेणी का सिलिकासैण्ड होता है। उत्तर भारत के अधिकाश काँच के कारखानो मे कच्चे माल की पूर्ति इन्हीं स्थानो की सिलिकासैण्ड से की जाती है।

प्राकृतिक रूप से गगा एव यमुना नदिया यहाँ पूरे वर्ष भर बहती रहती है। गगा एव यमुना नदियो का यहाँ पर सगम होने के पश्चात गगा पूर्व की तरफ चली जाती है। इसके अतिरिक्त टोन्स, बेलन, ससुरखदेरी, मनसैता, लपरी आदि छोटी-छोटी नदिया भी जनपद मे बहती है। अतिवृष्टि होने पर नदियो के किनारे के ग्रामो मे पानी भर जाता है। प्रत्येक वर्ष जनपद मे बाढ का खतरा बना रहता है। मुख्यत जनपद का मुख्यालय इलाहाबाद नगर लगभग तीन ओर से गगा एव यमुना नदियों से घिरा हुआ है जिससे बाढ आने की आशका प्रत्येक वर्ष मे बनी रहती है। इसके अतिरिक्त जनपद के प्रथम उपखण्ड गगापार मे जल निकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण छोटे तथा बडे तालाब की एक श्रृखला है जिसमे योगी तालाब, दानी तालाब, मैलहन एव कनिहाल प्रमुख है। द्वाबा उपखण्ड मे भी कुछ झीले बहती हैं जिसमे भुँजरी ताल एवं अलवारा उल्लेखनीय है। यमुनापार क्षेत्र में केवल बेलसरा एव कान्ती झील उल्लेखनीय है।

(द) भूमि की किश्म.-

जनपद को तीन उपखण्डों में विभाजित किया गया है। प्रथम गगापार द्वितीय द्वाबा एव तृतीय यमुनापार। उपखण्ड गगापार के तहसील फूलपुर, सोराव व हण्डिया में दोमट एव लोम का बाहुल्य है जिनकी लम्बाई मिट्टी बाढ़ से प्रायः अक्रान्त होती जाती है। द्वाबा के तहसील चायल, मझनपुर व सिराथू में नदियों के किनारे बलुई मिट्टी एव बालू का मिश्रण धीरे-धीरे घटता जाता है जिसके बाद मटियार का फैलाव आ जाता है। इस उपखण्ड में मुख्यतः दोमट एव लोम मिट्टी पाई जाती है। दोमट व लोम जो बास एव मिट्टी के सम्मिश्रण से बनी हुई है, नदी के किनारे पाई जाती है। नदी से ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती जाती है, मटियार एव लोम का प्रादुर्भाव होने लगता है। अन्त में पथरीली एव पहाड़ी भूमि का फैलाव दृष्टिगत होने लगता है। सुदूर पश्चिम में विन्ध्याचल की श्रृंखला का दिग्दर्शन होने लगता है।

(य) क्षेत्रफल एवं प्रशासनिक ढांचा:-

इलाहाबाद जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 7261 वर्ग किलोमीटर है जो कि प्रदेश में आठवाँ स्थान रखता है। जनपद में हण्डिया, फूलपुर, सोराव, चायल, मझनपुर, सिराथू, करछना, मेजा व बारा नामक 9 तहसीले हैं। जनपद का प्रशासनिक मुख्यालय इलाहाबाद नगर है। जनपद में कुल 3945 ग्राम हैं, जिसमें आबाद ग्रामों की संख्या 3539 एव गैर आबाद ग्रामों की संख्या 406 है। जनपद के सभी ग्रामों को 28 विकास खण्डों में विभाजित किया गया है। बारा नामक तहसील एवं कौंधियारा नामक

विकास खण्ड नवसृजित है। हण्डिया तहसील में 4 विकास खण्ड, धनूपुर, हण्डिया, प्रतापपुर एवं सैदाबाद है। फूलपुर में 3 विकास खण्ड, बहादुरपुर, बहरिया तथा फूलपुर है। सोराव में 4 विकास खण्ड होलागढ़, कौडिहार, मऊआइमा एवं सोराव है। चायल में 3 विकास खण्ड चायल, नेवादा तथा मूरतगज है। मझनपुर में 3 विकास खण्ड, कौशाम्बी, मझनपुर तथा सरसवा है। बारा में 2 विकास खण्ड, जसरा एवं शकरगढ़ है। मेजा में 4 विकास खण्ड, कोराव, माण्डा, मेजा व उरूवा है। सिराथू में 2 विकास खण्ड, सिराथू तथा कडा एवं करछना तहसील में 3 विकास खण्ड, चाका, करछना तथा कौधियारा स्थित है।

वर्तमान जनपद में एक नगर महापालिका एक छावनी क्षेत्र एवं 16 नगर क्षेत्र समिति टाउन एरिया है। वर्ष 1994-95 में 2375 ग्राम-सभायें, 304 न्याय-पचायते एवं 430 पचायत घर जनपद में स्थित हैं।

प्रदेश में नयी सरकार पदारूढ होते ही अप्रैल 1997 में इलाहाबाद जनपद को विघटित कर कौशाम्बी नामक नूतन जिला घोषित कर दिया। इसके पश्चात इलाहाबाद जिले में कोराव को नयी तहसील बनाने से वर्तमान जिले में 7 तहसीले हो गयी हैं। लेकिन अध्ययन का क्षेत्र प्राचीन इलाहाबाद जनपद होने के कारण विभाजन से पूर्व की स्थिति को ही आधार माना गया है।

2. जनांकिकी :

(अ) जनसंख्या:-

जनगणना 1981 के अनुसार जनपद मे कुल 3797033 व्यक्ति थे जिसमे पुरुषो की जनसख्या 2008771 एव स्त्रियो की जनसख्या 1788262 थी। जनगणना 1991 के अनुसार अब जनपद की कुल जनसख्या बढकर 4921313 व्यक्ति हो गई है जिसमे पुरुषो की जनसख्या 2624829 एव स्त्रियो की जनसख्या 2296484 है। जनगणना 1981 की तुलना मे जनगणना 1991 के अनुसार जनपद की जनसख्या मे 29 6 प्रतिशत की बढोत्तरी हो गई है।

(ब) घनत्व:-

जनपद का जनसख्या घनत्व 1981 की जनगणना के अनुसार 653 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी० था जो कि जनगणना 1991 के अनुसार बढकर 678 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर हो गया है, जबकि उत्तर प्रदेश का जनसख्या घनत्व आसाम एव जम्मू कश्मीर को छोडकर 274 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। राज्य की घनी आबादी वाले जनपदो मे इस जनपद का स्थान आता है। जनगणना 1991 के अनुसार जनपद मे सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व 1041 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी० करछना के विकास खण्ड चाका का है एव सबसे कम जनसख्या का घनत्व 239 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी० करछना के विकास खण्ड शकरगढ का है। जनगणना 1991 के अनुसार जनपद की

ग्रामीण जनसंख्या 3898948 एवं नगरीय जनसंख्या 1022365 है। जनगणना 1981 के अनुसार 79.64 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती थी। नगरीय जनसंख्या 20.36 प्रतिशत थी जिसमें अधिकांश जनसंख्या जनपद के मुख्य नगर इलाहाबाद में निवास करती थी। जनगणना 1991 के अनुसार जनपद में 79.23 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 20.77 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है।

(स) लिंग अनुपात:-

जनगणना 1981 के अनुसार प्रति एक हजार पुरुषों पर जनपद में स्त्रियों की संख्या 890 थी। यह अनुपात प्रति एक हजार पुरुषों पर गंगापार में स्त्रियों की संख्या 923, द्वाबा में स्त्रियों की संख्या 902 एवं यमुनापार में स्त्रियों की संख्या 894 थी। ग्रामीण जनसंख्या में प्रति एक हजार पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 908 तथा नगरीय क्षेत्र में प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 822 थी। वर्ष 1991 के जनगणना के अनुसार जनपद में प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 875 है।

(द) अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ:-

जनगणना वर्ष 1981 के अनुसार जनपद में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 24.5 प्रतिशत थी, जबकि राज्य में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की संख्या 21.4 प्रतिशत थी। वर्ष 1991 के

जनगणना के अनुसार जनपद में अनुसूचित-जाति की जनसंख्या कुल 1202847 एवं अनुसूचित-जनजाति की जनसंख्या 2204 है, जबकि वर्ष 1981 के जनगणना के अनुसार जनपद में कुल अनुसूचित-जाति एवं जनजाति की संख्या 931331 है।

(य) कर्मकरों की संख्या:-

जनगणना 1981 के अनुसार जनपद में कुल कर्मकरों की संख्या 1124461 थी जो कि कुल जनसंख्या का 29.6 प्रतिशत था। इसमें कृषकों की जनसंख्या 520358, कृषक व मजदूरों की संख्या 256860, खाने खोदने वाले 2187, पशुपालन व्यवसाय आदि में 4311, पारिवारिक 62047, गैर-पारिवारिक 64774, निर्माण कार्य में 8425, व्यापार एवं वाणिज्य में 53674, यातायात व सग्रहण एवं संचार में 29730 एवं अन्य व्यवसाय में 285196 कर्मकर थे। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद में कर्मकरों की कुल जनसंख्या 1552562 है जिनमें कृषक 671700, कृषक मजदूर 402745, खाने खोदने वाले 4847, पशुपालन व्यवसाय आदि में 8171, उद्योग पारिवारिक व गैर-पारिवारिक में क्रमशः 54658 व 71459, निर्माण कार्य में 15377, व्यापार व वाणिज्य में 103565, यातायात व सग्रहण एवं संचार में 34705 एवं अन्य व्यवसाय में 185335 कर्मकर हैं। जनपद में सीमान्त कर्मकरों की संख्या 110408 है।

3. साक्षरता :

जनपद मे वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 28 0 प्रतिशत जनसख्या साक्षर थी। ग्रामीण क्षेत्र मे साक्षरता 21 8 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र मे साक्षरता 55 0 प्रतिशत थी। जनपद मे पुरुषो की साक्षरता 41 5 प्रतिशत एव स्त्रियो की साक्षरता 15 8 प्रतिशत थी। जनगणना 1991 के अनुसार जनपद की साक्षरता 42 7 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण एव नगरीय साक्षरता 35 0 प्रतिशत एव 69 8 है। जनपद मे पुरुषो की साक्षरता 59 1 प्रतिशत स्त्रियो की साक्षरता 23 5 प्रतिशत है।

4. वन:

इस जनपद मे वन विभाग के अन्तर्गत 20142 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध है जो कि जनपद के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का मात्र 2 76 प्रतिशत है। वन का क्षेत्र अधिकतर यमुनापार इलाके मे है। तहसील मेजा मे 73 6 प्रतिशत, बारा मे 23 9 प्रतिशत एव अन्य तहसीलो मे 2 5 प्रतिशत क्षेत्र जनपद मे स्थित कुल वन क्षेत्र का है।

5. कृषि (भूमि उपयोगिता) :

वर्ष 1993-94 में जनपद में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 727463 हेक्टेयर रहा है इसमें 20141 हेक्टेयर वन क्षेत्र, 22235 हेक्टेयर कृषि योग्य बजर भूमि, 2101 हेक्टेयर चारागाह, 82441 हेक्टेयर कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गयी

भूमि, 83844 हेक्टेयर क्षेत्र परती, 29387 हेक्टेयर क्षेत्र ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि एव 13655 हेक्टेयर उद्यानो/वृक्षो के अन्तर्गत है। कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में से 473621 हेक्टेयर बोया गया क्षेत्रफल है। जनपद में वर्ष 1992-93 में फसल सघनता 141 प्रतिशत रहा है।

6. सिंचाई :

सघन कृषि कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने हेतु सिंचाई के साधनों का होना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि उनकी सिंचन क्षमता की उपलब्धि निश्चित है। वर्ष 1992-93 में जनपद में नहरों की कुल लम्बाई 2294 किमी०, 3202 पक्के कुएँ, 2846 रहट, 3477 पम्पिंग सेट, 11804 निजी नलकूप थे। वर्ष 1992-93 में राजकीय नलकूपों की संख्या 1271 थी। जनपद में वर्ष 1991-92 में नहर द्वारा 130025 हेक्टेयर, नलकूपों द्वारा 142368 हेक्टेयर, कुआँ द्वारा 6076 हेक्टेयर, तालाब झील एव पोखरों द्वारा 3486 हेक्टेयर एव अन्य स्रोतों द्वारा 2085 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गई है। वर्ष 1990-91 में कुल सिंचित क्षेत्रफल 273317 हेक्टेयर तथा वर्ष 1989-90 में कुल सिंचित क्षेत्र 260058 हेक्टेयर था।

बृहद एवं मध्यम सिंचाई कार्यक्रम:-

जनपद में नहरों की लम्बाई सातवीं योजना के अन्त में 2294 किमी० थी इसमें पम्प नहर जिसकी लम्बाई 74 किमी० सम्मिलित थी। इलाहाबाद जनपद की

कमला नेहरू पम्प नहर टोन्स नहर, बेलननहर, बाघला नहर तथा किशुनपुर नहर पम्प योजना लगभग पूर्ण हो गयी है।

7. पशुपालन एवं दुग्ध आपूर्ति :

वर्ष 1988 के पशुगणना के अनुसार कुल पशुओं की संख्या 2075208 थी जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 1993789 पशु एवं नगरीय क्षेत्र में 81499 पशु थे। वर्ष 1982 की पशुगणना के अनुसार पशुओं की संख्या 2873071 थी। वर्ष 1988 में कुक्कुट की संख्या 280317 थी।

वर्ष 1988 की पशुगणना के अनुसार दुग्ध देने वाली गायों की संख्या 202591 तथा भैंसों की संख्या 220503 थी।

8. विद्युत् आपूर्ति :

ग्रामों का विद्युतीकरण:-

जनपद में 31 03 95 तक 3094 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जो कुल आबाद ग्रामों का 86 92 प्रतिशत है। जनपद के समस्त 16 टाउन एरिया का विद्युतीकरण हो चुका है। जनपद में 31 03 95 तक 2072 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया।

नलकूप/पम्पसेटो का विद्युतीकरण:-

31 03 94 तक 18151 नलकूपो/पम्पसेटो का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

विद्युत उपभोग :-

वर्ष 1993-94 में घरेलू प्रकाश व विद्युत शक्ति पर 241561 हजार किलोवाट, वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युतीकरण शक्ति पर 63713 हजार किलोवाट, औद्योगिक विद्युत शक्ति पर 143237 हजार किलोवाट, प्रकाश व्यवस्था पर 12899 हजार किलोवाट, कृषि विद्युत शक्ति पर 343186 हजार किलोवाट तथा सार्वजनिक जलकर एवं सफाई पर 50395 हजार किलोवाट विद्युत का वास्तविक उपभोग हुआ।

इलाहाबाद विद्युत उपक्रम की वर्तमान क्षमता 8 मेगावाट है। विद्युत प्रसारण के लिए 132 के०वी०ए० के 5 तथा 33 के०वी०ए० के 14 उपकेन्द्र कार्यरत हैं।

9. उद्योग :

जनपद में गतवर्ष में औद्योगिक विकास कार्य तेजी से हुआ है लेकिन वह केवल नैनी एवं फूलपुर के नगरीय क्षेत्रों में ही केन्द्रित होकर रह गया। जनपद के ग्रामीण उद्योग परियोजना के कार्यान्वयन से आधुनिक लघु उद्योगों का कुछ विकास अवश्य हुआ परन्तु व्यापक रूप में औद्योगिक नीति के अनुसार छोटे एवं स्थानीय

उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता रहा है, ताकि पर्याप्त वृद्धि सम्भव हो सके। इसी राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत जनपद में भी 1978 से जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गयी है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि एक ही क्षेत्र के अन्तर्गत उद्यमियों को सभी प्रकार की सलाह तथा सहायता उपलब्ध हो सके। औद्योगिक अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों की संख्या वर्ष 1987-88 में 354 थी, जिसमें कार्यरत औसत कर्मचारियों की संख्या 36345 थी। वर्ष 1992-93 में लघु औद्योगिक इकाइयों (उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत पंजीकृत) की संख्या 1844 थी जिसमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 14816 थी।

10. औद्योगिक आस्थान :

जनपद में औद्योगिक आस्थानों की संख्या वर्ष 1993-94 में 7 थी। शेडों की संख्या आवंटित 41 तथा कार्यरत 28 थी। प्लांटों की संख्या आवंटित 219 कार्यरत 79 थी। रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या 235 तथा उत्पादन 3735 हजार रुपये का था। नैनी इण्डस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए 2800 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। अब तक 2000 एकड़ भूमि का आवंटन हो चुका है। नैनी में श्रमिक समस्या होने के कारण छोटे-छोटे उद्यमी हतोत्साहित हो रहे हैं। अतएव जनपद में वृहद उद्योगों को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है।

विकास खण्ड मऊआइमा एव मेजा मे सहकारी क्षेत्र मे स्पनिग मिल्स की स्थापना की जा चुकी है। मेजा मे ऊनी, सूती, कताई मिल 50 तकुओ वाली लगभग 16 00 करोड रूपये लागत की स्थापित करने के कार्य पूर्ण हो चुके है।

मऊआइमा मे हथकरघा उद्योग निगम मे सूत वितरण के लिये एक डिपो की स्थापना की जा चुकी है।

11. सड़कें तथा पुल :

इलाहाबाद जनपद मे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सघृत सडको की लम्बाई वर्ष 1991-92 तक 2577 किमी० थी। वर्ष 1991-92 मे सा०नि०वि० के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 185 किमी०, प्रादेशिक राजमार्ग 216 किमी०, जिला मुख्य सडके 1201 किमी० एव अन्य जिला ग्रामीण सडके 975 किलोमीटर थी। स्थानीय निकायो क अन्तर्गत वर्ष 1991-92 मे इलाहाबाद नगर महापालिका/नगर क्षेत्र समिति कैण्ट के अन्तर्गत कुल सडके ५04 किमी० थी। इसी प्रकार मार्च 1992 तक 3521 किमी० सडके जनपद मे थी इस जनपद मे व्यावसायिक एव प्रशासनिक केन्द्र निकटतया जिलो मे सुव्यवस्थापित राजपथ एव रेल द्वारा मिले हुए हैं।

जनपद मे कुल रेलवे लाइन की लम्बाई 303 किमी० है। रेलवे लाइन प्रति लाख जनसख्या पर 7 98 किमी० पडती है। कुल सडक की लम्बाई वर्ष 1991-92 तक प्रति

लाख जनसंख्या पर 71.5 किमी० एव प्रति हजार वर्ग किमी० पर कुल सड़को की लम्बाई 484.9 किमी पड़ती थी। सा०नि०वि० के द्वारा सड़क की लम्बाई वर्ष 1991-92 तक प्रतिलाख जनसंख्या पर 52.4 किमी० एव प्रतिहजार वर्ग किलोमीटर पर 354.9 थी।

12. संचार सेवाएं :

वर्ष 1993-94 के दौरान जनपद में कुल 548 डाकघर कार्यरत थे। जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 466 डाकघर एव 96 तारघर तथा नगरीय क्षेत्र में 82 डाकघर व 27 तारघर कार्यरत थे। वर्ष 1993-94 में जनपद में लगे टेलीफोन की संख्या 23855 एव पब्लिक काल आफिस की संख्या 280 रही है, जिसमें 1022 टेलीफोन एव 69 पब्लिक काल आफिस ग्रामीण क्षेत्र में एव 22833 टेलीफोन एव 211 पब्लिक काल आफिस नगरीय क्षेत्र में थे।

13. टेलीविजन सेवाएं :

ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर भाग में स्वच्छ एव स्पष्ट प्रसारण हेतु 10 किलोवाट शक्ति वाला ट्रांसमीटर इलाहाबाद नगर में स्थापित किया जा चुका है।

14. सेवायोजन :

बेरोजगार अभ्यर्थियों के उपयुक्त नियोजन एवं आवश्यकता के अनुरूप जनशक्ति उपलब्ध कराने हेतु जनपद में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय स्थापित है। यहाँ रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी पंजीकृत किये जाते हैं और विभिन्न स्थापनाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने पर योग्यता, वरिष्ठतानुसार चुनाव हेतु भेजे जाते हैं। 31 मार्च 1994 को सेवायोजन कार्यालय में अभ्यर्थियों की संख्या 150073 रही जिसमें वर्ष 1993-94 के अर्न्तगत पंजीकृतों की संख्या 25616 रही। इनमें से वर्ष 1993-94 में रोजगार पाने में 192 अभ्यर्थी सफल रहे। विभिन्न भर्ती बोर्डों, सेवा आयोगों एवं विज्ञापनों द्वारा सीधी भर्ती किये जाने, छटनी शुदा कर्मचारियों के समायोजन तथा सवेतन रोजगार में घटते हुए अवसरों के कारण सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार पाने वालों की संख्या उत्साहवर्धक नहीं है। जनपद में इस समय 68899 केन्द्र सरकार, 36255 राज्य सरकार, 26903 अर्धसरकारी तथा 14343 व्यक्ति स्थानीय निकायों में नियोजित हैं।

अनु० जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के बोरजगारों की रोजगारिता में वृद्धि हेतु शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र स्थापित है। जहाँ उन्हें टंकण, आशुलिपिक में प्रशिक्षण तथा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग प्रदान की जाती है। वर्ष 1993-94 के

अन्तर्गत कुल 59 सफल प्रशिक्षणार्थी रहे तथा 24 को रोजगार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त व्यवसाय मार्गदर्शन इकाई द्वारा अभ्यर्थियों को शिक्षण-प्रशिक्षण, सेवायोजन एवं स्वतः नियोजन हेतु उपयुक्त मार्गदर्शन दिया जाता है। सवेतन रोजगार की सीमित सभावनाओं को देखते हुए स्वतः नियोजन पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्ष 1993-94 के अन्तर्गत 191 अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजित कराया गया। सेवायोजन कार्यालय की समस्त सेवाएँ निःशुल्क हैं।

15. सहकारिता :

जनपद की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों द्वारा कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये अल्प कालीन एवं मध्य कालीन ऋण सहकारिता के माध्यम से दिये जायें। अतः सरकारी समितियों के पुर्नगठन तथा उनको स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहकारी ढाँचे को सुदृढ़ एवं पुनर्गठित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की सस्तुतियों के अनुसार इस क्षेत्र की प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को अब तक बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में न्याय पचायत स्तर पर पुनर्गठित किया जा चुका है।

वर्ष 1992-93 में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की संख्या 273 थी जिसमें 481782 सहकारी सदस्य थे। समिति में पूँजी के स्रोत क्रमशः सदस्यता शुल्क

और अशपूजी, शासकीय अशपूजी जमानती ऋण जिला सहकारी बैंक से अनुदान व दान तथा अन्य निधियों का लाभ हे जिनसे पूँजी एकत्रित करके समिति अपने सदस्यों को उपलब्ध कराती है। इन समितियों की वर्ष 1994-95 में अशपूजी 65479 हजार रूपये थी। समितियों के अन्तर्गत जनपद के समस्त आबाद ग्राम 3540 रहे। सहकारी बैंको द्वारा वर्ष 1994-95 में अल्पकालीन ऋण 217409 हजार एव मध्यकालीन ऋण 3464 हजार रूपये वितरित किये गये।

16. बैंक :

विकास योजनाओं पर होने वाला व्यय केन्द्र द्वारा प्रदेश के अतिरिक्त बचत के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। अतः घरेलू बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ विकास कार्यक्रमों के सफलता एव सुचारु रूप से कार्यान्वित करने हेतु कृषि क्षेत्रों में कृषकों को ऋण सम्बन्धी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करते हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों एव नगरीय क्षेत्रों में बड़े उद्योगों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। जनपद में एकीकृत ग्राम्य-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के उपलब्धि में बैंको द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। बैंको के योगदान के अभाव में एकीकृत ग्राम्य-विकास कार्यक्रम में अभूतपूर्व सफलता हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न किया जा सकेगा।

जनपद मे वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंको की 191 शाखाये, सहकारी बैंको की 44 शाखाये, भूमि विकास की 9 शाखाये, इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 92 शाखाये कार्यरत रही। इसके अतिरिक्त 10 अन्य गैर-व्यावसायिक बैंक की शाखाए भी जनपद मे कार्यरत है। वर्ष 1989-90 मे प्रति बैंक कार्यालय पर जनपद मे जनगणना 1981 के आधार पर जनसंख्या 13378 थी। जिला सहकारी बैंको द्वारा जनपद मे वर्ष 1994-95 के दौरान 376748 लाख रुपये के ऋण वितरित किये गये जिनमे अल्पकालीन ऋण 328391 लाख रुपये एव मध्यकालीन ऋण 48357 लाख रुपये वितरित हुए। भूमि विकास बैंको द्वारा वर्ष 1994-95 मे 64204 लाख रुपये के ऋण वितरण का कार्य किया गया।

प्राथमिक क्षेत्रो मे जैसे कृषि, लघुउद्योग, मत्स्य उद्योग, स्वत रोजगार, फुटकर व्यापार, शिक्षा ट्रान्सपोर्ट एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम व स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना आदि के अन्तर्गत जनपद मे कुल व्यावसायिक बैंको द्वारा वर्ष 1994 मे 4067348 रुपये का ऋण वितरित किया गया जबकि कुल व्यावसायिक बैंको मे जमा धनराशि 1310965 रुपये रही, इस प्रकार जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत 30 था।

17. शिक्षा:

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद में 42.7 प्रतिशत साक्षर व्यक्ति हैं। पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 59.1 एवं स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 23.5 है। 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद में 28.0 प्रतिशत साक्षर व्यक्ति थे जिनमें पुरुषों में 41.5 प्रतिशत एवं स्त्रियों में 12.8 प्रतिशत साक्षरता थी। इस प्रकार जनपद में साक्षरता प्रतिशत में गत 10 वर्षों में वृद्धि हुई है।

वर्ष 1992-93 तक जनपद में जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 1900, सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 596 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों की संख्या 251 डिग्री कालेजों की संख्या 16 एवं 1 विश्वविद्यालय था।

वर्ष 1992-93 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 127280 छात्र एवं 35474 छात्राएं अध्ययनरत थीं। जबकि वर्ष 1991-92 में इन विद्यालयों में 103034 छात्र एवं 29323 छात्राएं अध्ययनरत थीं। वर्ष 1992-93 में जूनियर बेसिक स्कूलों में 187298 छात्र एवं 87152 छात्राएं सीनियर बेसिक स्कूलों में 68769 छात्र एवं 20858 छात्राएं अध्ययनरत थीं। जिनमें बेसिक स्कूलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के 45667 छात्र और 21663 छात्राएं एवं सीनियर बेसिक स्कूलों में 12739 छात्र और छात्राएं 3531 भर्ती थीं।

वर्ष 1992-93 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 5502 अध्यापक थे जिनमें 1159 महिला अध्यापिकाएँ सम्मिलित थीं। विश्वविद्यालय में कुल 458 अध्यापकों की संख्या थी जिनमें 87 महिला अध्यापिकाएँ थीं।

वर्ष 1992-93 में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत जनपद में 2100 केंद्रों में शिक्षा दी जा रही थी।

18. चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य:

जनपद के मुख्यालय इलाहाबाद नगर में एक-एक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सक्रामक रोगों का अस्पताल एवं नेत्र चिकित्सालय है। नैनी में कुष्ठरोगों का अस्पताल है। इस प्रकार जनपद में चिकित्सालयों की प्रायः समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

जनपद में वर्ष 1994-95 में एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय, राजकीय, सार्वजनिक 144, राजकीय विशेष के 12, स्थानीय निकाय एवं नगर महापालिका के 14, सहायता प्राप्त निजी चिकित्सालय 6, एवं असहायता प्राप्त निजी चिकित्सालय 3 एवं आर्थिक सहायता प्राप्त चिकित्सालय 4 कार्यरत रहे।

जनपद में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत प्रत्येक में एक-एक मेडिकल कालेज चिकित्सा सेवा के शिक्षा देने में कार्यरत हैं। जन्म आकड़े दर 40.5 प्रति हजार तथा मृत्युदर 16.2 प्रति हजार हैं।

19. परिवार कल्याणः

पेयजल -

वर्ष 1992-93 तक जनपद मे कुल 3539 आबाद ग्रामो मे से उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 1863 ग्रामो मे नल द्वारा 13 14 लाख जनसख्या को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

अब तक जनपद के समस्त समस्याग्रस्त ग्रामो मे पेयजल सुविधा पहुँचा दी गई है। जिले के प्रत्येक समस्याग्रस्त ग्राम मे कम से कम दो-दो हैण्डपम्प लगाये गये है। यमुनापार पेयजल सुविधाओ से परिपूर्ण किया जा चुका है। गगापार एव द्वाबा मे भी पूर्ण जल सुविधा की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 1993-94 मे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 110 हैण्डपम्प लगाये गये तथा 763 हैण्डपम्प विभिन्न योजनान्तर्गत लगाये गये है।

पर्यटन-

यह जनपद एक प्राचीन तीर्थस्थल है जो कि तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। यहाँ गगा, यमुना एव सरस्वती (गुप्तगगा) का सगम है जिसका दर्शन करने देश-विदेश के लाखो व्यक्ति प्रतिवर्ष आते हैं। माघ के महीने मे यहाँ पर प्रत्येक वर्ष एक विशाल मेला लगता है। सगम मे यमुना के किनारे पौराणिक अक्षयवट वृक्ष जो कि पुराणो के अनुसार प्रलयकाल मे पुन हरा हो जाता है। जब समस्त सृष्टि

जलमग्न हो जाती है तो उसी अक्षयवट वृक्ष पर भगवान बाल मुकुन्द विराजमान होते हैं। भारद्वाज का पवित्र आश्रम जहाँ पर 10000 छात्र निशुल्क शिक्षा पाते थे। इसके अवशेष अब भी विराजमान है। इसके अतिरिक्त सती अनुसुइया का आश्रम, ऋग्वेद, झूँसी, कौशाम्बी, घोसीराज मठ के भग्नावशेष हैं जहाँ बुद्ध भगवान ने स्वयं प्रवचन दिया था। जिला योजनान्तर्गत श्रृगवेरपुर का विकास किया जा रहा है।

मनोरजन :-

जनपद में मार्च 1993 तक 34 सिनेमागृह थे। मार्च 1993 तक 34 सिनेमागृहों में कुल सीटों की संख्या 19969 थी। इसके अतिरिक्त नाटक एवं संगीत कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एक मेहता प्रेक्षागृह भी है। अति प्रसिद्ध आनन्द भवन के अहाते में ही एक जवाहर प्लेटोरियम भी है, जिसमें प्रत्येक दिन तीन शो हिन्दी में एक-एक शो अंग्रेजी में आकाशीय सितारों एवं ग्रहों के कार्यक्रम का प्रदर्शन किया जाता है।

खेलकूद :-

राजकीय स्पोर्ट्स कालेज एवं म्योहाल काम्पलेक्स इलाहाबाद तथा स्पोर्ट्स स्टेडियम कम्पनी बाग, इलाहाबाद द्वारा खेलकूद का प्रशिक्षण व प्रदर्शन तथा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

20 . जनपद के अन्य विकास कार्यक्रम:

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम:-

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में प्रारम्भ किया गया था। इसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में जारी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पता लगाए गये ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने के लिए समर्थ बनाना है। यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात में वित्त-पोषित है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाले वित्तीय सहायता सीधे ही जिला ग्रामीण विकास एजेंसी डी०आर०डी०ए० को उपलब्ध करायी जाती है।

इलाहाबाद जिले में वर्ष 1995-96 में 11938 परिवारों को लाभान्वित कराया गया जिसमें 6784 अनु०जा०/जनजाति वर्ग के परिवार सम्मिलित थे। इस कार्यक्रम में 596.95 लाख रुपये का अनुदान एवं 1432.68 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया। 3942 महिलाओं को ऋण एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई गयी। कुल निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 11842 के विपरीत 11938 परिवारों को लाभान्वित कर 100.8 प्रतिशत की पूर्ति की गई। औसत परियोजना लागत 17000 रुपये है।

ट्राइसेम योजना -

ग्रामीण युवको के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक सहायक अंग है जिसका सूत्रपात एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त 1979 को किया गया था। इसका लक्ष्य उन ग्रामीण युवाओं की तकनीकी तथा उद्यमशीलता को कुशलताएँ प्रदान करना है जो गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के हैं ताकि वे कमाई वाले काम शुरू कर सकें। इलाहाबाद जिले में वर्ष 1995-96 में कुल 1880 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलाने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके सापेक्ष वर्ष 1995-96 में 1229 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 6501 प्रशिक्षणरत थे। प्रशिक्षित व्यक्तियों में से 1203 व्यक्तियों ने अपना स्वतन्त्र रूप से व्यवसाय स्थापित कर लिया है।

अवधि	प्रशिक्षित युवा	
	लक्ष्य	प्राप्ति
1994-95	1900	658
1995-96	1880	1229

डी०डब्लू०सी०आर०ए० :

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम (डी०डब्लू०सी०आर०ए०) -

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण परिवार की महिलाओं के लिए है। इस योजना का उद्देश्य उन्हें स्वरोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करना है। यह कार्य समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में सितम्बर 1982 में शुरू किया गया था। जनपद के 10 विकास खण्डों में यह योजना वर्ष 1986-87 से लागू है। वर्ष 1995-96 में 30 महिला समूहों को गठित करके प्रशिक्षित किया गया। पाठ्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाली महिलाओं की कुल संख्या 462 थी जिनमें कुल 3 79 लाख का ऋण तथा 1 81 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 1995-96 में 30 महिला समूहों को गठित करके प्रशिक्षित किया गया।

जवाहर रोजगार योजना :

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् अप्रैल 1989 से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०) नामक दोनों रोजगार कार्यक्रमों को मिलाकर एक वृहद ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की

रेखा से नीचे बसर करने वाले दलित समूह हैं। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा मुक्त बर्धुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है। रोजगार के 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

इलाहाबाद जिले में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के अवशेष को सम्मिलित करते हुये वर्ष 1995-96 में 3104 00 लाख रुपया परिव्यय के विपरीत 3104 65 लाख रुपया व्यय किया गया जो लक्ष्य का 100 प्रतिशत था। मानव दिवस सृजन के 56 43 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 56 50 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया जो वार्षिक लक्ष्य का 100 10 प्रतिशत था। कार्यक्रम में गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अधिकारियों के विभिन्न दलों द्वारा अधिकांश विकास खण्डों में योजना का भौतिक सत्यापन भी कराया गया जिसमें यह स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश ग्राम-सभाओं द्वारा कराये गये कार्य सन्तोष जनक रहे।

लघु रीमान्त कृषक विकास कार्यक्रम :

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में 4362 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 4362 निशुल्क बोरिंग कराई गईं जिनमें 3393 पम्पसेट स्थापित किये गये। गत वित्तीय वर्ष के अवशेष को सम्मिलित करते हुए कुल उपलब्ध 216 887 लाख रू० में से 143.09 लाख रू० का व्यय किया जा सका है।

सूखा-रक्ष क्षेत्र विकास कार्यक्रम :

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में कुल 24 66 लाख रुपये आवंटित थे जिसके विपरीत 20 16 लाख रुपये व्यय करके भूमि संरक्षण एवं वनीकरण के कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया। योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड शकरगढ में वन संरक्षण कार्य और भूमि सुधार के कार्य कराये गये जो अत्यन्त उपयोगी हैं।

नेहरू रोजगार योजना :

लघु उद्यम योजना-

इस योजना में योजना के प्रारम्भ से वित्तीय वर्ष 1995-96 तक 118 62 लाख रुपया प्राप्त हुआ जिसमें 77 76 लाख रुपया नगर माहपालिका का तथा 40 86 लाख रुपया नगर क्षेत्र समिति को अवमुक्त किया गया। इस अवमुक्त धनराशि के विपरीत 31 03 95 तक 68 455 लाख रुपये नगर महापालिका का तथा 27 95 लाख रुपये क्षेत्र समिति का समायोजित कर 2281 लाभार्थी नगर महापालिका तथा 932 लाभार्थी क्षेत्र समिति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

नगरीय मजदूरी योजना:

इस योजना में योजना के प्रारम्भ से अब तक 108.45 लाख रुपया प्राप्त हुआ जिसके विपरीत मार्च 1995 तक टाउन एरिया द्वारा 100 19 लाख रुपये व्यय

किया गया। इस धनराशि से 182346 मानव दिवस सृजित किये गये। इस कार्यक्रम में मुख्यतया खडन्जा एव नाली निर्माण का कार्य कराया गया।

अम्बेदकर ग्राम विकास योजना:

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में 38 ग्राम चयनित किया गया

जिसमें निम्न कार्यक्रमों का लक्ष्य प्रगति तथा प्रतिशत दर्शाया गया है।

क्रमांक	कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	नि शुल्क बोरिंग	सख्या	168	161	95.83
2	एकीकृत विकास कार्यक्रम	सख्या	982	1013	102.00
3	ट्राइसेम	सख्या	372	401	108.00
4	इन्दिरा आवास	सख्या	863	802	93.00
5	निर्बल वर्ग आवास	सख्या	838	315	72.00
6	हैण्ड पम्प	सख्या	174	159	91.00

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम:

क्रमांक	विवरण	इकाई	1991-92	92-93	93-94	94-95	95-96
1	गतवर्ष का अवशेष	लाख रू०	59 516	40 034	7 66	20 97	100 00
2	प्राप्त धनराशि	लाख रू०	510 75	441 66	747 08	747 08	686 100
3	कुल उपलब्ध धनराशि	लाख रू०	619 502	481 694	754 74	768 08	786 19
4	कुल व्यय	लाख रू०	579 468	478 422	733 77	668 08	616 25
5	कुल लाभान्वित परिवार सख्या	सख्या	16170	13470	15170	11855	11039

जवाहर रोजगार योजना :

क्रमांक	विवरण	इकाई	1991-92	92-93	93-94	94-95	95-96
1	वार्षिक परिव्यय	लाख रूपये	1636 00	2159 613	2163 53	2102 13	3104 00
2	गतवर्ष का अवशेष	लाख रूपये	513 31	205 497	180 65	144 632	400 582
3	प्राप्त धनराशि	लाख रूपये	1536 00	2159 613	2227 482	1965 092	3297 47
4	कुल उपलब्ध धन	लाख रूपये	2049 31	2159 613	2408 132	2109 724	3695 052
5	कुल व्यय	लाख रूपये	1843 81 3	2211 06	2263 5	1659 142	3104 65
6	मानव दिवस स०	लाख					
	1 लक्ष्य		57 34	57 44	56 94	37 00	56 43
	2 पूर्ति		60 37	62 49	57 03	37 11	56 00

इन्दिरा आवास:

वर्ष 1993-94 में 2098 आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था

जिसमें 1680 आवासों का निर्माण किया गया जो कि लक्ष्य का 100 00 प्रतिशत था।

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना :

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता के रूप में विभिन्न आर्थिक योजनाओं के लिए बैंको के माध्यम से प्राप्त ऋण की धनराशि पर अधिकतम रूपये तक अनुदान तथा अधिकतम 5000 रूपये तक मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जाति के ही व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है। इसके कार्यान्वयन का क्षेत्र ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में ही है। शासन द्वारा सभी विभागों के बजट में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के लिए 20-30 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किया जाता है जिसका व्यय केवल अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर किया जाता है। अनुसूचित जाति के ऐसे जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 11800 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 11000 रूपये से अधिक न हो उन्हीं परिवारों को लाभान्वित किया जाता है।

जनपद इलाहाबाद में यह योजना सामान्य रूप से समस्त 28 विकास खण्डों तथा शहरी क्षेत्र एव टाउन एरिया में लागू है। जनपद के सभी विकास खण्डों में इस योजना के अन्तर्गत सघन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

जनपद इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अर्न्तगत वर्ष 1980-81 से वर्ष 1987-88 तक कुल 55 दुकाने निर्मित की गईं जिसमें से अधिकांश दुकानों को व्यवसाय करने हेतु आवंटित किया जा चुका है।

वर्ष 1993-94 में इस योजना के अर्न्तगत 5785 लोगों को लाभान्वित कराया गया तथा 1638 निःशुल्क बोरिंग कराई गईं।

नोट - समस्त आकड़े तथा तथ्य सामाजिक समीक्षा, एव सांख्यिकीय पत्रिका जनपद-इलाहाबाद से प्राप्त किये गये हैं।

अध्याय : 5

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा
निक्षेप एन्क्राकरण**

(इल।हाबाद जनपद के विशेष संदर्भ में)

“राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी ने कहा था कि सुदृढ सतुलित और दूरगामी विकास करना है तो हमें अपने ग्रामीण अचलो को सशक्त बनाना होगा व ग्रामो की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने वाले ससाधन उपलब्ध कराने होंगे। भारतीय कृषि एव भारतीय कृषक पिछले कई दशको से विभिन्न प्रकार की समस्याओ के भवर-जाल में फसकर रह गये हैं। उभ बहुत सी आर्थिक समस्याओ में से, जिन्होंने हमारे गरीब किसानो को सर्वाधिक प्रताडित किया है, एक प्रमुख समस्या वित्त ससाधनो की अनुपलब्धता की है।”

ग्रामीण विकास भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्तम्भ है। नियोजन काल में इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएँ बनाई गईं, किन्तु बैंकिंग सहायता के अभाव में ग्रामीण बेरोजगारी से निबटने तथा कृषि एव कुटीर उद्योगों के विकास में वित्तीय बाधाएँ उत्पन्न हो रही थीं। व्यावसायिक बैंक दूरस्थ ग्रामीण अचलो में अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा (1967-68) तथा वृहद् बैंको का राष्ट्रीयकरण (1969) भी व्यावसायिक बैंको को निर्धन वर्ग के द्वार तक पहुँचाने में अक्षम रहे। सहकारी बैंक यद्यपि इस क्षेत्र में कारगर सिद्ध हो सकते थे, किन्तु उनकी अपनी असफलताओं और कमियों के रहते ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में ग्रामीण

अर्थव्यवस्था के चहुँमुखी विकास के लिए ग्रामीण बैंको की स्थापना की आवश्यकता स्वातन्त्र्योत्तर काल में निरन्तर अनुभव की जा रही थी।

ग्रामीण बैंकिंग अनुसंधान समिति (1950) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण बैंको की अवधारणा सर्वप्रथम बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा प्रस्तुत की गयी। आर० जी० सरैया की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग कमीशन (1972) ने पुनः ग्रामीण बैंको की एक शृंखला प्रारम्भ किए जाने का विचार प्रस्तुत किया, किन्तु राजीनीतिक पहल के अभाव में इस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हो सकी।

स्थापना के प्रमुख कारण:

- 1 इलाहाबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों एवं सीमान्त कृषकों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहकारी ऋण सस्थाओं एवं व्यापारिक बैंको ने पर्याप्त रूचि नहीं दिखाई, वाणिज्यिक बैंक शहरोन्मुख दृष्टिकोण रखते थे।
- 2 ग्रामीण क्षेत्रों में लघु कृषको, कारीगरों एवं भूमिहीन मजदूरों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की अपेक्षा व्यापारिक बैंको में कार्यरत शहरी मनोवृत्ति वाले कर्मचारियों से नहीं की जा सकती थी। अतः ग्रामीण साख की आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित बैंकों की आवश्यकता महसूस की गई।

- 3 वाणिज्यिक बैंको का वेतन ढॉचा काफी उँचा तथा प्रशासनिक लागत काफी अधिक थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की कोष लागत वाणिज्यिक बैंको की तुलना मे बेहतर मानी गई।
- 4 वाणिज्यिक बैंको मे कार्यरत स्टाफ मे ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि एव गहन अध्ययन का अभाव था, जो कि ग्रामीण क्षेत्रो को साख उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक था। इसलिए मात्र ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय सहायता मुहैया करवाने के लिए अलग वित्तीय सस्थान की आवश्यकता महसूस की गयी ।

इलाहाबाद जनप - में अ- सूचित व्यावसायिक, बैंकों की भूमिका:

सरकार ने बैंक साख को कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो की ओर मोडने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों पर "सामाजिक नियन्त्रण व्यवस्थाओ" को लागू किया किन्तु सरकार ने यह महसूस किया कि वित्त एव साख को कृषि एव प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो की ओर मोडना समय की महती आवश्यकता है, और इस परिप्रेक्ष्य मे बैंकिंग व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण करके ही कृषि एव ग्रामीण अचलों को पर्याप्त मात्रा मे ऋण व साख की इच्छित मात्रा मे आपूर्ति सम्भव है, किसी अन्य रीति से नहीं ।

छोटे एव कमजोर वर्ग के लोगो तक ऋण एव साख की व्यवस्था को सुलभ, समयानुकूल एव पर्याप्तता की दृष्टि से सरकार ने 19 जुलाई, 1969 को देश के प्रमुख वाणिज्यिक बैंको का राष्ट्रीकरण कर दिया । देश के सम्पूर्ण बैंकिंग इतिहास मे राष्ट्रीयकरण एक सर्वाधिक क्रान्तिकारी घटना रहीं है।

बदलते वर्तमान आर्थिक परिवेश मे ये बैंक सामाजिक बैंकिंग सिद्धान्त के मार्ग से हट गये तथा लाभ प्रदता को महत्व देने लगे और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो की वित्तीय सहायता काल्पनिक सिद्ध हुई।

जनपद मे अनुसूचित व्यावसायिक बैंको की शाखाए तथा जमा-ऋण प्रगति का विवरण तालिका (1) तथा (2) से स्पष्ट है ।

तालिका 5 1— इलाहाबाद जनपद में व्यावसायिक बैंकों का क्रमवार विवरण

क्रमांक	वर्ष	राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	अन्य व्यावसायिक बैंकों की शाखायें
1	2	3	4
1	1979-80	134	15
2	1981-82	138	52
3	1983-84	147	54
4	1985-86	147	54
5	1987-88	147	54
6	1989-90	182	10
7	1990-91	182	10
8	1991-92	182	10
9	1992-93	182	10
10	1993-94	191	10

स्रोत उपरोक्त ऑकड़े विभिन्न वर्षों में लीड बैंक अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये हैं।

तालिका 5 1 से राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य व्यावसायिक बैंकों की प्रगति स्पष्ट परिलक्षित होती है। 1979-80 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंको की शाखाएँ 134 थीं तथा 1981-82 में बढ़कर 138 हो गयीं जो कि मामूली प्रगति दर्शाती हैं। 1983-84 से 1987-88 तक इनकी संख्या 147 पर अपरिवर्तित रही इसके पश्चात् 1989-90 से 1992-93 तक यह संख्या 182 तक स्थिर रही और 1993-94 में यह 191 तक हो

गयी। अन्य व्यावसायिक बैको की संख्या 1987-88 तक 54 हो गयी तथा इसके पश्चात इनकी कार्यकुशलता क्षीण होने से इन्हें बन्द कर दिया गया या राष्ट्रीय कृत बैको में विलीन कर दिया गया। व्यावसायिक बैको की अधिकांश शाखाएँ नगरो या कस्बो तक सीमित रहीं तथा ग्रामीण इलाको से अपनी दूरी बढ़ाती गयी।

तालिका 52— इलाहाबाद जनपद में अनुसूचित व्यावसायिक
बैंकों की ऋण, जमा प्रगति का विवरण

(धनराशि करोड में)

क्रमांक	वर्ष	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	जून 1987	481 78	167 71	34 81
2	जून 1989	668 12	227 28	34 02
3	जून 1990	789 15	263 78	33 43
4	मार्च 1992	1029 90	353 41	34 31
5	मार्च 1993	1147 73	372 95	32 49
6	मार्च 1994	1294 42	406 04	31 37
7	मार्च 1995	1496 95	434 89	29 01
8	जून 1997	2040 50	528 04	25 87

स्रोत- बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 52 व्यावसायिक बैंकों की जमा ऋण की प्रगति क्रमवार दर्शाती है।

तालिका से स्पष्ट है कि बैंकों की जमाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा इसकी तुलना

मे ऋणो मे वृद्धि नाममात्र है। ऋण-जमा अनुपात से स्पष्ट है कि इसका सर्वाधिक प्रतिशत 34 81 तथा न्यूनतम् 25 87 प्रतिशत है। ऋण-जमा अनुपात के निम्नतम् स्तर पर रहने से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यावसायिकबैंक ग्रामीण- विकास के सकल्प को पूर्ण नहीं कर सके ।

सहकारी बैंक:

भारत मे सहकारी बैंक भी बैंकिंग के आधारभूत कार्य सम्पन्न करते है। किन्तु वे वाणिज्यिक बैंको से भिन्न प्रकार के होते है। वाणिज्यिक बैंको का गठन ससद द्वारा परित अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सहकारी बैंको की स्थापना अलग-अलग राज्यो द्वारा बनाए गए सहकारी समितियो के अधिनियमो द्वारा की गई है। भारत मे सहकारी बैंको का गठन तीन स्तरो वाला है । राज्य सहकारी बैंक सम्बन्धित राज्य मे शीर्ष सस्था होती है। इसके बाद केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते है। तृतीय स्तर प्राथमिक ऋण समितियो का होता है। जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती है।

इलाहाबाद जिला सहकारी बैंक लि० की भूमिका :

तालिका 53— इलाहाबाद जनपद में सहकारी बैंक की शाखावार प्रगति

क्रमांक	वर्ष	शाखाओं की संख्या	वृद्धि/कमी
1	2	3	4
1	1915	1	-
2	1951	2	+1
3	1964	3	+1
4	1969	6	+3
5	1973	27	+21
6	1977	35	+8
7	1981	38	+3
8	1985	43	+5
9	1987	45	+2
10	1996	45	-

स्रोत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1995-96

इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लि० इलाहाबाद ।

इलाहाबाद जिला सहकारी बैंक लि० की स्थापना 25 मई 1915 को हुई।

तालिका से स्पष्ट है कि 1915 से 1950 तक इसकी एक मात्र प्रधान शाखा थी।

1969 तक शाखाओ मे नाममात्र की वृद्धि 6 तक पहुँची । 1973 से शाखाओ की वृद्धि मे तीब्रता आयी और 1996 तक 45 की सख्या पर स्थिर हुई। स्थापना की प्राचीनता को देखते हुए यह सख्या बहुत ही अपर्याप्त है। वर्तमान समय मे नगरीय क्षेत्र मे 10, गगापार क्षेत्र मे 13, जमुनापार क्षेत्र मे 11 तथा द्वाबा क्षेत्र मे 11 शाखाए है। जनपद की विशालता को देखते हुए शाखाओ की यह एक असन्तोष-जनक स्थिति है।

तालिका 5 4— इलाहाबाद जिला सहकारी बैंक लि० की विभिन्न वर्षों की जमा-ऋण प्रगति का विवरण

(धनराशि लाख रूपयें में)

क्रमांक	वर्ष	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात प्रतिशत में
1	2	3	4	5
1	1985 (30 जून)	1289 10	1743 35	135 2
2	1986 (30 जून)	1587 52	1756 61	110 7
3	1987 (30 जून)	1937 48	1995 80	103 0
4	1988 (30 जून)	2357 20	2304 98	97 8
5	1989 (30 जून)	3248 60	2757 43	84 9
6	1990 (30 जून)	3764 66	3343 01	88 8
7	1991 (30 जून)	4513 56	2532 37	56 1
8	1992 (31 मार्च)	4891 72	3632 46	74 3
9	1993 (31 मार्च)	5370 84	4387 94	81 7
10	1994 (31 मार्च)	5673 37	4637 71	81 7
11	1995 (31 मार्च)	6460 23	5206 44	80 6
12	1996 (31 मार्च)	7572 88	5833 92	77 0
योग इलाहाबाद जनपद		48667 16	40132 02	82 5

स्रोत - विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

इलाहाबाद जिलासहकारी बैंक लि० इलाहाबाद

तालिका 5 4 से परिलक्षित होता है कि बैंक की जमाओ में निरन्तर वृद्धि हुई जो कि 1985 में 1289 10 लाख रुपये से बढ़कर 31 मार्च 1996 तक 7572 88 लाख रु० हो गयी। इस प्रकार जमाओ में 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई। इसी प्रकार ऋणों में भी 1985 की तुलना में 1996 में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई। ऋण-जमा अनुपात न्यूनतम 1991 में 56 1 प्रतिशत तथा अधिकतम 1985 में 135 2 प्रतिशत रहा। ऋण-जमा अनुपात से स्पष्ट है कि बैंक जमा के अनुसार अच्छा ऋण वितरण किया है, लेकिन ये ऋण अधिकतर इनके सदस्यों को प्राप्त हुआ तथा इनका कार्य बहुत कुछ साहूकारों की भोंति रहा। इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने में इनका योगदान नकारात्मक सिद्ध हुआ ।

इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना :

प्रस्तावना:-

इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 23 08 1980 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा (3) के अन्तर्गत प्रवर्तक बैंक, बैंक आफ बडौदा, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम से स्थापित हुआ, पूँजी में अंशदान का क्रमशः अनुपात 35 50.15 था।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि, व्यापार उद्योग एवं अन्य उत्पादक कार्यों

के विकास में लगे विशेषतया लघु एवं सीमान्त कृषक, खेतिहर मजदूर, शिल्पकार, लघुउद्योग धन्धे आदि को आर्थिक सहायता व अन्य बैंकिंग सुविधायें प्रदान करना है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त इलाहाबाद जनपद में इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद की स्थापना दिनांक 23 अगस्त, 1980 को हुई।

कार्यक्षेत्र :-

बैंक का कार्यक्षेत्र जनपद इलाहाबाद है, जिसमें 9 तहसीले और 28 विकास खण्ड हैं। सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र को भूमि संरचना, भूमि की किस्म, कृषि एवं जलवायु के आधार पर तीन खण्डों में विभाजित किया गया है, जिनको साधारणतया गंगापार, यमुनापार एवं द्वाबा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक खण्ड में तीन तहसीले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 83 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जनपद की औसत वर्षा 100 मि० मी० है। जनपद की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 47 प्रतिशत जोत 2 हेक्टेयर से नीचे है जिन पर लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा खेती की जाती है और जिनकी संख्या जनपद की कृषक आबादी का 69 प्रतिशत है।

बैंक ने कृषकों मुख्यतः लघु एवं सीमान्त श्रेणी के लिए कृषि उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, यथा उनके नजदीक क्षेत्रों में शाखाएं खोलकर कृषि उत्पादन हेतु वित्त पोषण एवं कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों द्वारा आय को बढ़ाना है।

निदेशक मण्डल .-

भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा (9) के अन्तर्गत निदेशक मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति करती है। इसके अन्तर्गत अध्यक्ष सहित, केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं। वर्तमान में बैंक के अध्यक्ष डा० पी० के० खन्ना हैं।

अंश पूँजी:-

बैंक की अधिकृत पूँजी 1 करोड़ रु० है तथा प्रदत्त पूँजी में विभिन्न वर्षों में परिवर्तन होता रहा है। प्रदत्त समस्त अशपूँजी का अंशदान भारत सरकार, बैंक आफ बड़ौदा एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः 50 35 15 के अनुपात में किया गया है। निम्न तालिका से अंश पूँजी तथा प्रदत्त पूँजी द्रष्टव्य हैं।

तालिका 5 5— इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अंश पूँजी का विवरण

क्रमांक	वर्ष	अधिकृत पूँजी रूपया	प्रदत्त पूँजी रूपया
1	2	3	4
1	1980-1988-89	10000000 00	2500000 00
2	1989-90 1991-92	10000000 00	5000000 00
3	1992-93	10000000 00	6250000 00
4	1993-94	10000000 00	6625000 00
5	1994-95	10000000 00	7500000 00
6	1995-96	10000000 00	7500000 00
7	1996-97	10000000 00	10000000 00

स्रोत- विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इलाहाबाद)

तालिका 5 5 से स्पष्ट है कि बैंक की अधिकृत पूँजी 1 करोड रू० है। प्रदत्त पूँजी 1980 से 1988-89 तक 25 लाख रू० तथा 1989-90 से 1991-92 तक 50 लाख रू० रही है। इसी प्रकार भावी वित्तीय वर्षों में भी वृद्धि हुई है। 1995-96 में प्रदत्त पूँजी बढ़कर 75 लाख हो गयी तथा दिनांक 31 03 97 को बैंक की प्रदत्त पूँजी बढ़ाकर 1 करोड किया गया क्योंकि सभी अंश धारकों से उनके अनुपात के अनुसार 25 लाख की अतिरिक्त पूँजी प्राप्त हो गयी। विभिन्न वर्षों में बैंक के व्ययों को पूरा करने के लिए प्रदत्त पूँजी में परिवर्धन किया गया है।

तालिका 5.6— इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रगति का क्रमवार विवरण

(धनराशि हजार रु० में)

क्र०	विवरण	1980	1982	1984	1986	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	जमा धनराशि (क) खाता सख्या (ख) धनराशि	248 749	15770 15334	49236 49504	93625 107536	138865 215771	162372 310797	183338 417509	206233 469480	227038 579470	255973 730607	249866 898110	258974 1100730	302813 1455568
2	अग्रिम (क) खाता सख्या (ख) धनराशि	- -	2752 7575	13527 29711	31975 79808	54223 151376	61434 204989	73745 279878	74356 324356	75585 354890	75935 396644	75555 475479	75579 562163	73929 579283
3	प्रति खाता जमा धनराशि	3	0.972	1.005	1.148	1.553	1.914	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5
4	प्रति खाता अग्रिम धनराशि	-	2.752	2.196	2.495	2.902	3.336	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8
5	शाखाओं की संख्या	1	28	53	76	85	92	92	92	92	92	92	92	92
6	प्रतिशाखा अग्रिम धनराशि	749	547.64	934.04	1414.95	2538.48	3378.23	4538	5103	6298	7941	9762	11964	15821
7	प्रति शाखा अग्रिम धनराशि		270.53	560.58	1050.11	1851.48	2228.14	3042	3526	3858	4311	5168	5702	6296
8	अग्रिम जमा अनुपात		49.4 प्रतिशत	60.0 प्रतिशत	74.2 प्रतिशत	72.9 प्रतिशत	65.9 प्रतिशत	67.0 प्रतिशत	69.0 प्रतिशत	61.24 प्रतिशत	54.28 प्रतिशत	52.94 प्रतिशत	51.07 प्रतिशत	39.79 प्रतिशत

स्रोत - विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इलाहाबाद

जमा संवृद्धि.-

तालिका से स्पष्ट है कि 1980 में बैंक की स्थापना वर्ष होने के कारण सबसे कम 7 49 लाख रू० जमा हुआ। इसके पश्चात के वर्षों में जमा धनराशि में निरन्तर सवृद्धि हुई। विगत कुछ वर्षों में जमा सग्रह में वृद्धि इस प्रकार है।

(अवशेष ३१ मार्च का)

(रूपये करोड में)

क्रमांक		90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97
1	जमा राशि	41 75	46 95	57 95	73 06	89 81	110 07	145 56
2	विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि	34 3%	12 5%	23 4%	26 1%	22 9%	22 6%	32 2%

उपरोक्त प्रतिशत वृद्धि से यह स्पष्ट है कि 1990-91 में सर्वाधिक 34 3

प्रतिशत की वृद्धि तथा न्यूनतम 12 5 प्रतिशत की वृद्धि 1991-92 में रही है। इससे

निक्षेप में उतार चढ़ाव परिलक्षित होता है।

जमा खाता संख्या :-

बैंक के जमा खातों की संख्या में स्थापना वर्ष को छोड़कर भावी वित्तीय वर्षों में निरन्तर वृद्धि हुई है विगत कुछ वर्षों का विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	विवरण	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97
1	खाता संख्या	183338	206233	227038	255973	249866	258974	302813
2	विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि	12.91%	12.48%	10.08%	12.74%	(-) 2.4%	3.64%	16.92%

उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि 1994-95 में वृद्धि ऋणात्मक रही तथा अन्य वर्षों में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

अग्रिम :-

तालिका से स्पष्ट है कि बैंक ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुदृढता लाने के लिए लक्ष्य के अनुकूल ऋण प्रदान किया है।

31.03.1997 को बैंक अग्रिमों की अदत्त राशि 57.93 करोड़ थी जबकि लक्ष्य 58 करोड़ निर्धारित था इस प्रकार लक्ष्य से 7.00 लाख की भिन्नता रही। गत 3 वर्षों में अग्रिम अदत्त राशि की प्रगति निम्नवत् है।

(रु० करोड में)

क्र० सं०	विवरण	अदत्त राशि		
		31.03.95	31.03.96	31.03.97
1	खातों की संख्या	75555	75579	73929
2	अदत्त राशि	50 62	56 22	57 93
3	विगत वर्ष दर प्रतिशत	20 50 %	11 06%	3 04 %

साख- जमा अनुपात.-

तालिका से परिलक्षित होता है कि प्रारम्भिक वर्षों में साख-जमा अनुपात में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा बाद के वर्षों में ऋणों में अत्यधिक सतर्कता बरतने से यह अनुपात कम हुआ है।

साख जमा अनुपात की विगत 6 वर्षों की प्रगति निम्नवत है।

1	वर्ष	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97
2	साख-जमा अनुपात	69 00 %	61 24 %	54 28 %	52 94 %	51 07	39 79 %

बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने में सतर्कता की प्रवृत्ति के कारण साख जमा अनुपात गिरे है साथ ही अग्रिमों में वृद्धि, जमा वृद्धि की अपेक्षा कम रही है।

शाखा विस्तार:-

दिनांक 31.03 1997 को बैंक में 91 शाखाएँ एक उपशाखा तथा दो विस्तार पत्र कार्यरत थीं इस वर्ष बैंक ने दो विस्तार पटल विकास भवन इलाहाबाद एवं

कोरॉव तहसील मे स्थापित की तथा अपनी पथरा शाखा को कोहडार घाट शाखा की उपशाखा मे परिवर्तित किया ।

बैंक अपनी 92 शाखाओ (उपशाखा सहित) एव दो विस्तार पटलो द्वारा इलाहाबाद जिलो के 28 विकास खण्डो एव 1653 ग्रामो म बैंककारी सुविधाये उपलब्ध कराने हेतु समर्पित है।

शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण :-

क्रमांक	क्षेत्रवार वर्गीकरण	शाखाओं की सख्या	विस्तार पटल की सख्या
1	शहरी शाखाये	1	1
2	अर्द्धशहरी शाखाये	-	-
3	ग्रामीण शाखाये (उपशाखा सहित)	91	1
	योग	92	2

बैंक की शाखायें तीनों क्षेत्रों में इस प्रकार हैं ।

क्रमांक	क्षेत्र	शाखा
1	गगापार	40
2	यमुनापार	26
3	द्वाबा	26
	योग	92

तालिका से स्पष्ट है कि 1990 से 1997 (31 मार्च) तक बैंक की शाखा 92 पर अपरिवर्तित रहीं। नयी अनुज्ञानीति के अन्तर्गत अभी तक बैंक को शाखा विस्तारण के लिए कोई नयी अनुज्ञा नहीं गयी है।¹

प्रति खाता जमा तथा अग्रिम धनराशि :-

तालिका से स्पष्ट है कि प्रति खाता जमा धनराशि प्रति खाता अग्रिम धनराशि से कम है इसका कारण है कि प्रति खाते पर जमा धनराशि से अधिक ऋण प्रदान करना ।

विगत 5 वर्षों की स्थिति इस प्रकार है।

(धनराशि हजार रूप में)

वर्ष	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
प्रति खाता जमा	02	03	03	04	05
प्रति खाता अग्रिम	05	05	06	07	08

प्रति शाखा जमा तथा अग्रिम धनराशि:-

तालिका से परिलक्षित होता है कि प्रति शाखा जमा राशि प्रति शाखा अग्रिम राशि से अधिक तथा दोनों में आगामी वर्षों में निरन्तर वृद्धि हुई है। इस प्रकार एक

शाखा पर जमा धनराशि से कम ऋण प्रदान किया गया है जो कि बैकिंग व्यवस्था की कुशलता की परिचायक है।

विगत 5 वर्षों की स्थिति इस प्रकार है।

(धनराशि हजार रूप में)

वर्ष	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996 97
प्रति शाखा जमा	6298	7941	9762	11964	15821
प्रति शाखा अग्रिम	3858	4311	5168	5702	6296

गंगापार क्षेत्र :

तालिका 5.7— इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विकास खण्ड-वार जमा-ऋण प्रगति का विवरण (31 मार्च की स्थिति)

(धनराशि हजार रूप में)

क्रमांक	विकास खण्ड	1993-94			1994-95			1995-96			1996-97		
		जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	हडिया	29699	15100	50 84	37071	13830	37 30	40379	21409	53 02	51063	21978	43 04
2	धनुपुर	25213	13440	53 30	27599	17535	63 53	34587	19971	57 74	41765	20521	49 13
3	प्रताप पुर	41124	13805	33 56	47480	16963	35 72	59572	17838	29 94	69821	18334	26 25
4	सैदाबाद	23701	14735	62 17	27367	18722	68 41	36813	19825	53 85	43458	20812	47 88
5	बहादुर पुर	51014	25111	49 22	60132	24286	40 38	7699	32043	41 61	94405	33111	35 07
6	बहरिया	28055	12592	44 88	34425	16321	47 41	44554	18236	40 93	52274	18506	35 40
7	फूलपुर	12805	4936	38 54	14520	6954	47 89	19411	7202	37 10	21916	6904	31 50
8	कौडिहार	58238	14579	25 03	71601	17932	25 04	92167	20117	21 82	118129	19722	16 69
9	होलागढ	12461	5105	40 96	15008	5571	37 12	21220	5663	26 68	27053	6286	23 23
10	सोराव	20083	8768	43 65	24201	10324	42 65	33395	11106	33 25	40723	10968	26 93
11	मउ आइमा	28563	10721	37 53	34469	12509	36 29	44867	13280	29 59	55635	13832	24 86
12	योग (गंगापार)	330956	138892	41 96	393873	160947	40 86	503960	186690	37 04	616242	190974	30 99

स्रोत : विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इलाहाबाद

तालिका 5 7 गगापार क्षेत्र से सम्बन्धित विकास खण्डो की जमा ऋण प्रगति दर्शाती है। तालिका से स्पष्ट है कि कौडिहार विकास खण्ड की जमा धनराशि सभी विकास खण्डो की जमा राशि सभी विकास खण्डो से अधिक है। तथा होलागढ और फूलपुर विकास खण्डो की जमा राशि अन्य विकास खण्डो से कम है। ऋण जमा अनुपात सबसे कम कौडिहार विकास खण्ड का (25 03 प्रतिशत, 25 04 प्रतिशत, 21 82 प्रतिशत, 16 69 प्रतिशत) रहा है। इसका कारण यह है कि इस विकास खण्ड के अन्तर्गत जमा पर ऋण कम वितरित किया गया है। गगापार क्षेत्र की निक्षेपो मे निरन्तर वृद्धि हुई तथा 1993-94 मे 330956 हजार रूपये से बढकर 1996-97 मे 616242 हजार रूपये हो गया है जो 1993 की तुलना मे 86 2 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है ।

यमुनापार क्षेत्र :

तालिका 5.8— इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विकास खण्ड-वार जमा-ऋण प्रगति का विवरण (31 मार्च की स्थिति)
(धनराशि हजार रूप में)

क्रमांक	विकास खण्ड	1993-94			1994-95			1995-96			1996-97		
		जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रुरुवा	38917	18991	48-79	48367	21848	45-17	52780	23085	43-73	67936	24751	36-40
2	कोराव	24856	23055	92-75	28861	23722	82-19	36361	32869	90-39	48270	31829	65-93
3	माण्डा	32025	9998	31-21	35980	13516	37-56	41797	14068	33-65	53611	14153	26-39
4	मेजा	6210	3485	56-11	6754	5455	80-76	9555	6644	69-46	11127	7450	66-95
5	शकरगढ	24948	11879	47-61	29890	16439	54-99	40245	20312	50-47	52593	20574	39-11
6	जसरा	18529	14412	77-78	24522	17870	72-87	30984	19141	61-77	37889	19974	52-71
7	चाका	8095	5607	69-26	10513	8114	77-18	14238	9484	66-61	19204	10716	55-80
8	कोधियारा	15673	15826	100-97	20944	20937	99-96	27583	24758	89-75	32774	25259	77-07
9	करछना	23930	40969	171-20	31172	42250	135-53	40624	45028	110-84	51579	50246	97-41
10	योग यमुनापार	193183	144222	74-65	237003	170151	71-79	294167	195389	66-42	378983	204932	54-65

स्रोत- विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इलाहाबाद

तालिका से स्पष्ट है कि यमुनापार क्षेत्र की उरुवा विकास खण्ड की जमा के सन्दर्भ में स्थिति अधिक सुदृढ़ है। चारों वित्तीय वर्षों में जमा राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है। तथा 1993-94 की तुलना में 1996-97 में जमा राशि में 74.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऋण जमा अनुपात करछना विकास खण्ड का प्रारम्भ के तीन वर्षों में शत प्रतिशत से अधिक (171.20%, 135.53%, 110.84%) रहा है इसका कारण है जमा से अधिक अग्रिम प्रदान करना। शाखाएँ जमा से अधिक अग्रिम मुख्य शाखा से उधार लेकर देती हैं। इसी प्रकार सबसे कम ऋण जमा अनुपात माण्डा विकास खण्ड का (31.21 प्रतिशत, 37.56 प्रतिशत, 33.65 प्रतिशत, 26.39 प्रतिशत) रहा है, इससे प्रतीत होता है कि माण्डा विकास खण्ड में जमा की अपेक्षा ऋण अन्य विकास खण्डों से कम प्रदान किया गया है। यमुनापार क्षेत्र की जमा धनराशि 1993-94 में 193183 हजार रुपये थी तथा 1996-97 में 374983 हजार जो गयी। इस प्रकार 1993-94 की अपेक्षा 1996-97 की जमा राशि में 94.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

झाबा क्षेत्र:

तालिका 5.9— इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विकास खण्ड-वार जमा-ऋण प्रगति का विवरण (31 मार्च की स्थिति)

(धनराशि हजार रूप में)

क्रमांक	विकास खण्ड	1993-94			1994-95			1995-96			1996-97		
		जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	इलाहा नगर	5780	15054	26 00	73698	28961	39 29	56544	36863	65 19	163279	40013	24 50
2	मुरत गज	13613	8872	65 17	19704	11435	58 05	23193	12821	55 27	27685	12928	46 69
3	चायल	45339	34496	76 11	57781	41475	71 77	70536	52556	74 50	90732	55203	60 84
4	नेवादा	9488	16460	173 48	13908	14115	101 48	21717	25295	116 47	25171	22474	89 28
5	सिराथू	18182	10983	60 40	21626	14202	65 67	30373	16103	53 01	36941	17035	46 11
6	कड़ा	24725	15322	61 96	32923	19227	58 39	38389	19959	51 99	46684	18683	40 02
7	मझन पुर	23791	6381	26 82	29156	8530	29 25	37807	9781	25 87	43449	10330	23 77
8	कौशाम्बी	10906	4653	42 66	14810	4947	33 40	18834	5100	27 07	22947	5237	22 82
9	सरसवा	2564	1309	51 05	3628	1489	41 04	5210	1606	30 82	7455	1474	19 77
10	योग (झाबा)	206468	113530	54 98	267234	144381	54 02	302603	180084	59 51	464343	183377	39 49

स्रोत - विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इलाहाबाद

तालिका 5 9 से स्पष्ट है कि इलाहाबाद नगर की जमा राशि में अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा निरन्तर वृद्धि हुई है तथा 1993-94 की तुलना में 1996-97 में 182 09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। 1993-94 में इलाहाबाद नगर की जमा 57880 हजार रुपये थी जो 1996-97 में बढ़कर 163279 हजार हो गयी। 182 09 की वृद्धि विकास भवन में विस्तार पटल खोलने के कारण हुई है जिसमें बहुत सी सरकारी जमाएँ आती हैं । सबसे कम जमा धनराशि सरसवा विकास खण्ड का रहा है। सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात नेवादा विकास खण्ड का रहा है। तथा प्रारम्भ में तीन वर्षों में शत प्रतिशत से अधिक रहा है द्वाबा क्षेत्र की जमाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा 1993-94 की तुलना में 1996-97 में 124 89 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 5.10— इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तहसील-वार जमा-ऋण प्रगति का विवरण (31 मार्च की स्थिति)

(धनराशि हजार रूप में)

क्रमांक	विकास खण्ड	1993-94				1994-95				1995-96				1996-97			
		जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	हडिया	119737	58080	48.50	136517	67050	49.11	171351	79043	46.12	206107	81645	39.61				
2	फूलपुर	90874	42639	46.92	110077	50561	45.93	141670	57481	40.57	168595	58521	34.71				
3	सोराव	120345	38173	31.71	147279	43336	29.42	190939	50166	26.27	241540	50808	21.03				
4	करछना	39603	50795	128.26	57116	63842	111.77	68207	71963	105.50	84353	75505	89.51				
5	मेजा	101008	58529	57.94	114962	64541	56.14	140493	74489	53.01	180944	78163	43.19				
6	बारा	52572	34898	66.38	64925	41768	64.33	85467	48937	57.25	109686	51264	46.73				
7	चायल	125543	80882	64.42	165732	95986	57.91	171990	127535	74.15	306867	130618	42.50				
8	सिराथू	42907	20305	47.32	54549	33429	61.28	68762	36062	52.44	83625	35718	42.71				
9	मझनपुर	38018	12343	32.46	46953	14966	31.87	61851	16487	26.65	73851	17041	23.07				
10	योग इला० जनपद	730607	396644	54.28	898110	475479	52.94	1100730	562163	51.07	1455568	579283	39.79				

स्रोत - तालिका 7.8 एव 9

तालिका 5 10 से स्पष्ट है कि जनपद की चायल तहसील का प्रारम्भ के दो वर्षों में जमा राशि अन्य तहसीलों से अधिक रहा । 1995-96 में सोराव का सर्वाधिक रहा तथा 1996-97 में पुन चायल का हो गया। सर्वाधिक कम जमा राशि चारों वर्षों में मझनपुर तहसील का रहा है। सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपात करछना तहसील का रहा तथा प्रारम्भ के तीन वर्षों में शत-प्रतिशत से अधिक रहा है। इसका आशय यह हुआ है जमा से अधिक अग्रिम प्रदान किया गया है। ऐसी दशा में मुख्य शाखा से उधार प्राप्त किया जाता है। 1993-94 में इलाहाबाद जनपद की कुल जमा राशि 730607 हजार रुपये थी जो 1996-97 में बढ़कर 1455568 हजार रुपये हो गयी इस प्रकार 99 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

तालिका 5.11— इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की क्षेत्र-वार जमा-ऋण प्रगति का विवरण (31 मार्च की स्थिति)

(धनराशि हजार रूप में)

क्रमांक	विकास खण्ड	1993-94			1994-95			1995-96			1996-97		
		जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	ऋण	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गंगापार	330956 (45.3)	138892 (35.0)	41.96	393873 (43.9)	160947 (33.8)	40.86	503960 (45.8)	186690 (33.3)	37.04	616242 (42.3)	190974	30.99
2	यमुनापार	193183 (26.4)	144222 (36.4)	74.65	237003 (26.4)	170151 (35.8)	71.79	294167 (26.7)	195389 (34.8)	66.42	374983 (25.8)	204932 (35.4)	54.65
3	दाबा	206468 (28.3)	113530 (28.6)	54.98	267234 (29.7)	144381 (30.4)	54.02	302603 (27.5)	180084 (32.0)	59.51	464343 (31.9)	183377 (31.6)	39.49
4	इलाहाबाद	730607	396644	54.28	898110	475479	52.94	1100730	562163	51.07	1455568	579283	39.79
	जनपद												

स्रोत:- तालिका 7.8, एवं 9

नोट:- (कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।)

तालिका 5-11 से स्पष्ट है कि गंगापार क्षेत्र की जमा राशि में संवृद्धि चारों वर्षों में सर्वाधिक रही तथा यमुनापार में सबसे कम रही। जनपद के कुल जमा में गंगापार का भाग सर्वाधिक (45.3%, 43.9%, 45.8% तथा 42.3%) है। ऋणों का सबसे कम प्रतिशत दाबा का (28.6%, 30.4%, 32.0% तथा 31.6%) है। ऋण-जमा अनुपात तीनों क्षेत्रों में सर्वाधिक यमुनापार क्षेत्र का (74.65%, 71.79%, 66.42% तथा 54.65%) है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यमुनापार क्षेत्र में जमा की अपेक्षा ऋण अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक दिया गया है।

गंगापार क्षेत्र :

तालिका 5.12 — इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विकास खण्डवार जमा प्रगति का विवरण (प्रतिशत वृद्धि में) 31 मार्च की स्थिति

(धनराशि हजार रूपये में)

क्रम सं०	विकास खण्ड	वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95	वर्ष 1995-96	वर्ष 1996-97
1	2	3	4	5	6
1.	हंडिया	29699	37071 (24.82)	40379 (8.92)	51063 (26.45)
2.	धनूपुर	25213	27599 (9.46)	34587 (25.31)	41765 (20.75)
3.	प्रतापपुर	41124	47480 (15.45)	59572 (25.46)	69821 (17.20)
4.	सैदाबाद	23701	27367 (15.46)	36813 (34.51)	43458 (18.05)
5.	बहादुर पुर	51014	60132 (17.87)	76995 (28.04)	94405 (22.61)
6.	बहरिया	28055	34425 (22.70)	44554 (29.42)	52274 (17.32)
7.	फूलपुर	12805	14520 (13.39)	19411 (33.68)	21916 (12.90)
8.	कौड़िहार	58238	71601 (22.95)	92167 (28.72)	118129 (28.16)
9.	होलागढ़	12461	15008 (20.43)	21220 (41.39)	27053 (27.48)
10.	सोरांव	20083	24201 (20.50)	33395 (37.99)	40723 (21.94)
11.	मउ-आइमा	28563	34469 (20.67)	44867 (30.16)	55635 (23.99)
	(योग गंगापार)	330956	393873 (19.01)	503960 (27.94)	616242 (22.27)

स्रोत : इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इलाहाबाद

नोट : कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि हैं।

तालिका 5.12 से स्पष्ट है कि विकास खण्ड स्तर पर भी ग्रामीण बैंक के निक्षेपो में विगत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है। वृद्धि की दर कम या अधिक हो सकती है लेकिन किसी भी स्थिति में ऋणात्मक नहीं है। हड़िया विकास-खण्ड में वर्ष 1995-96 में विगत वर्ष की तुलना में निक्षेपो में सबसे कम वृद्धि 8.92 प्रतिशत की रही जबकि सबसे अधिक 41.39 प्रतिशत की वृद्धि होलागढ विकास खण्ड में रही है। इसी प्रकार सभी विकास खण्डों में निक्षेपो में विगत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप गंगापार क्षेत्र के निक्षेपो में विगत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 19.01%, 27.94% तथा 22.27% की वृद्धि हुई है।

यमुनापार क्षेत्र:

तालिका 5.13— इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विकास खण्डवार जमा

प्रगति का विवरण (प्रतिशत वृद्धि में) 31 मार्च की स्थिति

(धनराशि हजार रुपये में)

क्रम सं०	विकास खण्ड	वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95	वर्ष 1995-96	वर्ष 1996-97
1	2	3	4	5	6
1	उरूवा	38917	48367 (24 28)	52780 (9 12)	67936 (28 71)
2	कोराव	24856	28861 (16 11)	36361 (25 98)	48270 (32 75)
3	माण्डा	32025	35980 (12 34)	41797 (16 16)	53611 (28 26)
4	मेजा	6210	6754 (8 76)	9555 (41 47)	11127 (16 45)
5	शकर गढ	24948	29890 (19 80)	40245 (34 64)	52593 (30.68)
6	जसर।	18529	24522 (32 34)	30984 (26 35)	37889 (22 28)
7	चाका	8095	10513 (29 87)	14238 (35 43)	19204 (34 87)
8	कौधियारा	15673	20944 (33 63)	27583 (31 69)	32774 (18 81)
9	करछना	23930	31172 (30 26)	40624 (30 32)	51579 (26 96)
10.	योग (यमुना पार)	193183	237003 (22.68)	294167 (24.11)	374983 (27.47)

स्रोत इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इलाहाबाद नोट (कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि हैं।)

गगापार क्षेत्र के विकास खण्डो की भौति यमुनापार क्षेत्र के विकास खण्डो के निक्षेपो मे सन्तोषजनक वृद्धि हुई है। उरूवा विकास खण्ड मे सबसे कम 9 12 प्रतिशत की वृद्धि रही जबकि अन्य वर्षो मे अच्छी वृद्धि रही है। कोराव तथा माण्डा विकास खण्ड मे निक्षेपो की वृद्धि वर्धमान दन से रही है। सर्वाधिक वृद्धि दर 41 47 प्रतिशत 1995-96 मे मेजा विकास खण्ड का रहा। अन्य विकास खण्डो क्रमश शकरगढ, जसरा, चाका, कौधियारा तथा करछना के निक्षेपो मे वृद्धि उतार चढाव के साथ सन्तोष जनक रही। इसके परिणाम स्वरूप समस्त यमुनापार क्षेत्र के निक्षेपो मे क्रमश 22 68 %, 24 11 % तथा 27 47 प्रतिशत की वृद्धि रही।

द्वारा क्षेत्र :

तालिका 5.14— इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विकास खण्डवार जमा प्रगति का विवरण (प्रतिशत वृद्धि में) 31 मार्च की स्थिति

(धनराशि हजार रुपये में)

क्रम सं०	विकास खण्ड	वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95	वर्ष 1995-96	वर्ष 1996-97
1	2	3	4	5	6
1	इलाहाबाद नगर	57880	73698 (27 32)	56544 - (23 27)	163279 (188 76)
2	मूरतगज	13613	19704 (44 74)	23193 (17 70)	27865 (19 37)
3	चायल	45319	57781 (27 49)	70536 (22 07)	90732 (28 63)
4	नेवादा	9488	13908 (46 58)	21717 (56 14)	25171 (15 90)
5	सिराथू	18182	21626 (18 94)	30373 (40 44)	36941 (21 62)
6	कडा	24725	32923 (33 15)	38389 (16 60)	46684 (21 60)
7	मझनपुर	23791	29156 (22 55)	37807 (29 67)	43449 (14 91)
8	कौशान्बी	10906	14810 (35 79)	18834 (27 17)	22947 (21 83)
9	सरसवा	2564	3628 (41 49)	5210 (43 60)	7455 (30 11)
10	योग (द्वारा)		267234 (29.43)	302603 (13.23)	464343 (53.44)

स्रोत इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इलाहाबाद

नोट (कोष्ठको में दिये गये आँकड़े विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि हैं।)

द्वारा क्षेत्र की तालिका से यह स्पष्ट है कि निक्षेपो में वृद्धि विगत तालिकाओ की भाँति ही है। इसके अर्न्तगत एक मुख्य विशेषता यह है कि 1995-96 में इलाहाबाद नगर के निक्षेपो में ऋणात्मक कमी आयी तथा इसके पश्चात 1996-97 में 188 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई अन्य विकास खण्डो में उतार चढाव की दर बनी रही। इस प्रकार समस्त द्वारा क्षेत्र के निक्षेपो में क्रमश 29 43%, 13 23 %, तथा 53 44 की प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका 5.15— इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तहसील वार जमा प्रगति का विवरण (प्रतिशत वृद्धि में) 31 मार्च की स्थिति

(धनराशि हजार रुपये में)

क्रम सं०	विकास खण्ड	वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95	वर्ष 1995-96	वर्ष 1996-97
1	2	3	4	5	6
1	इलाहाबाद नगर	119737	136517 (14 01)	171351 (25 51)	206107 (20 28)
2	फूलपुर	90874	110077 (21 13)	401670 (28 70)	168595 (19 00)
3	सोराव	120345	147279 (22 38)	190939 (29 64)	241540 (26 50)
4	मेजा	39603	57116 (44 22)	68207 (19 41)	84353 (23 67)
5	बारा	101008	114962 (13 81)	140493 (22 00)	180944 (28 79)
6	बारा	52575	64925 (23 49)	85467 (31 63)	109686 (28 33)
7	चायल	125543	165732 (32 01)	171990 (3 77)	306867 (78 42)
8	सिराथू	42907	54549 (27 13)	68762 (26 05)	83625 (21 61)
9	मझनपुर	38018	46953 (23 50)	61851 (31 72)	73851 (19.40)
10	योग (इलाहाबाद जनपद)	730607	898110 (22.92)	1100730 (22.56)	73851 (32.23)

स्रोत - इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इलाहाबाद

नोट (कोष्ठको में दिये गये आँकड़े विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि हैं।)

तालिका 5.15 से परिलक्षित होता है कि समस्त तहसीलो के निक्षेपो में सन्तोषजनक वृद्धि रही है। वर्ष 1995-96 में सबसे कम वृद्धि दर 3.77 प्रतिशत चायल तहसील का तथा सबसे अधिक वृद्धिदर 78.42 प्रतिशत इसी तहसील का रहा है। समस्त तहसीलो के निक्षेपो में उतार चढ़ाव के साथ विगत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है। इस प्रकार समस्त इलाहाबाद जनपद के निक्षेपो में क्रमशः 22.92%, 22.56%, तथा 32.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका 5.16— इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की क्षेत्रवार जमा प्रगति का विवरण (प्रतिशत वृद्धि में) 31 मार्च की स्थिति

(धनराशि हजार रुपये में)

क्रम सं०	क्षेत्र	वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95	वर्ष 1995-96	वर्ष 1996-97
1	2	3	4	5	6
1	गगापार	330956	393873 (19 01)	503960 (27 94)	616242 (22 27)
2	यमुनापार	193183	237003 (22 68)	294167 (24 11)	374983 (27 47)
3	द्वाबा	206468	267234 (29 43)	302603 (13 23)	464343 (53 44)
4	योग इलाहाबाद जनपद	730607	898110	1100730	1455568

सं त इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इलाहाबाद

नोट (कोष्ठको में दिये गये आँकड़े विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि हैं।)

तालिका संख्या 5 16 से स्पष्ट है कि इलाहाबाद जनपद के तीनों क्षेत्रों गगापार, यमुनापार तथा द्वाबा के निक्षेपो में वृद्धि हुई है। वर्ष 1994-95 में विगत वर्ष की तुलना में सबसे कम वृद्धि दर 19.01% प्रतिशत गगापार क्षेत्र का रहा है तथा सबसे अधिक वृद्धिदर 29 43%, प्रतिशत द्वाबा क्षेत्र का रहा। इसी प्रकार 1995-96 में सबसे अधिक 27 94 प्रतिशत वृद्धि गगापार क्षेत्र का रहा। वर्ष 1996-97 में गगापार, यमुनापार तथा द्वाबा क्षेत्र की वृद्धि क्रमशः 22.27%, 27.47% तथा 53 44 प्रतिशत रही। इस प्रकार इलाहाबाद जनपद के निक्षेपो में

क्रमशः 22.92%, 22.56% तथा 32.23 प्रतिशत की वृद्धि रही। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि निक्षेपों में उतार चढ़ाव के साथ वृद्धि सदैव रही है।

तालिका 5.17 — इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कार्मिक आय-व्यय तथा लाभ-हानि का विवरण

(धनराशि हजार में)

क्र.सं.	विवरण	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कार्मिक						
	(अ) प्रायोजक बैंक के कार्मिक	2	2	2	2	2	2
	(ब) अपने बैंक के कार्मिक	421	422	420	418	419	413
2	प्रति कार्मिक जमा	992	1113	1380	1748	2143	2665
3	प्रति कार्मिक अग्रिम	665	769	845	949	1134	1361
4	प्रति कार्मिक कुल व्यवसाय	1657	1882	2225	2697	3277	4026
5	कुल आय	36023	43424	51250	58587	80448	77765
6	कुल व्यय	47537	79294	86955	103019	112197	128975
7.	कुल लाभ/ हानि	(-) 11514	(-) 35870	(-) 35705	(-) 44432	(-) 31749	(-) 51210

स्रोत:- विभिन्न वार्षिक प्रगति

इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इलाहाबाद

तालिका 5 17 से परिलक्षित होता है कि बैंक में प्रायोजक बैंक के कर्मचारी 1990-91 से 1995-96 तक रहे। अपने बैंक के कार्मिकों की संख्या 1990-91 में 421 थी जो 1995-96 में घटकर 413 पर आ गयी। प्रति कार्मिक जमा तथा अग्रिम में निरन्तर सवृद्धि हुई है। प्रति कार्मिक जमा 1990-91 में 992 हजार रुपये थी जो 1995-96 में 168 64 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2665 हजार रुपये हो गयी। इसी प्रकार अग्रिम में भी 1990-91 की तुलना में 1995-96 में 104 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रति कार्मिक कुल व्यवसाय में भी वृद्धि हुई है। बैंक को स्थापना के प्रारम्भिक दो वर्षों में लाभ प्राप्त हुआ इसके पश्चात लगातार बैंक हानि पर चल रहा है।

तालिका 5 18— इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का तुलन पत्र यथा
31 मार्च 1997

(धनराशि हजार रुपये में)

पूँजी एव देयतायें	यथा 31 3 97 चालू वर्ष रूपया	यथा 31 3 97 गतवर्ष रूपया	आस्तियों	यथा 31 3 97 चालू वर्ष रूपया	यथा 31 3 96 गतवर्ष रूपया
पूँजी	10000 00	7500	नगद तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अवशेष	64767 00	49476 00
प्रारक्षित निधि एव अधिशेष			बैंक में अवशेष एव माग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदय राशियाँ	441604 00	321208 00
जमा राशिया	1455568 00	1100730 00		284208 00	136700 00
उधार	82934 00	101379 00	निवेश ऋण	4987622 00	524625 00
अन्य देयताएँ एव प्रावधान	130808 00	94973 00	अचल आस्तियाँ	3072 00	2660 00
			अन्य आस्तियाँ	398037 00	269913 00
	1679310 00	1304582 00		1679310 00	1304582 00

सं. वार्षिक प्रतिवेदन 1996-97

तालिका 5 18 से स्पष्ट है कि इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सम्पत्तियों तथा दायित्वों में विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में वृद्धि हुई है। मार्च 1996 में कुल सम्पत्तिया तथा दायित्व 1304582 00 हजार रुपये थी जबकि मार्च 1997 में बढ़कर 167931 00 हजार रुपये हो गयी। इस प्रकार सम्पत्तियों तथा दायित्वों में विगत वर्ष की अपेक्षा 28 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नकद तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अवशेष में विगत वर्ष पर 30.91 प्रतिशत

की वृद्धि हुई। बैंक की पूँजी, प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष, जमा राशियाँ, अन्य देयताएँ एवं प्रावधान एवं आस्तियों में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है जबकि उधार धनराशि में कमी आयी है।

निःसन्देह इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने समस्याओं के होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने में अभूतपूर्व योगदान देकर अपनी स्थापना में निहित उद्देश्यों को पूरा करने की भरसक कोशिश की है, कारण यह है कि हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्ग के लिए जितनी भी योजनाएँ बनाई हैं, इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उन्हें पूरा करने में समर्पण की भावना से लगा हुआ है। फिर भी बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य बैंकों की तरह समान सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाय और बैंक में कार्यरत कर्मचारी भी बैंक क्रियाकलापों के संचालन में तत्परता और रूचि के साथ सहयोग करें तभी बैंक अपनी स्थापना में निहित उद्देश्यों को और खूबसूरती के साथ पूरा कर पाएगा ।

अध्याय : 6

निष्कर्ष एवं परामर्श

“बिना अनुशासन के ऋण, दान के अलावा
और कुछ नहीं है”

प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो० मोहम्मद युनुस
चटगाँव विश्वविद्यालय
बांग्लादेश

उपलब्धियाँ:

ग्रामीण बैंको के मन्दर्भ मे यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि जिन उद्देश्यो को लेकर इसकी स्थापना की गयी उसके लाभदायक परिणाम प्राप्त हुए। सीमान्त कृषक, लघु कृषक, भूमिहीन एव ग्रामीण दस्तकारो को पूँजीगत सहायता प्रदान की गयी, उनके लिए रोजगार के साधन सुलभ कराकर आचलिक अर्थव्यवस्था को आर्थिक स्वराज और स्वावलम्बन की ओर उन्मुख किया गया। ग्रामीण स्तर पर देशी महाजनो द्वारा ऋणग्रस्तता के दुश्चक्र से लघु किसानो एव दस्तकारो को बचाया जा सका। छोटी-छोटी बचतो को एकत्रित किया गया, तथा ग्रामीण क्षेत्र की अशिक्षित, एव साक्षर जनता को बचत करने के लिए प्रेरणा दी गयी। प्रदत्त ऋण सुविधाओ का समुचित उपयोग करने के लिए लोगो को प्रेरित किया गया। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पडा। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैंकिंग सुविधा तथा सरकार की नग्ननतम् नीतियो से परिचित हो सके।

फलत यह देखा गया कि कम लागत अवधारणा सरकार की पूरी नहीं हुई, अतः ग्रामीण बैंको को भी अपनी कार्यपद्धति व्यावसायिक बैंको के समान अपनाना पडा, और वे काफी हद तक इसमे सफल रहे। निम्नलिखित से स्पष्ट है कि ग्रामीण बैंक निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

(1) जमा संग्रहण:-

इन बैंको ने ग्रामीण जमा संग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई है। अनुमानत इनमें से 75 प्रतिशत जमा इन बैंको के अभाव में किसी भी बैंक को प्राप्त नहीं होती और या तो बेकार पड़ी रहती या अनुत्पादक कार्यों में लगाई जाती है। अपने कमान क्षेत्र की ग्रामीण जमाओं को संग्रह कर इन बैंको द्वारा क्षेत्र के विकास में लगाया जा रहा है। जून 1997 तक 196 ग्रामीण बैंको की कुल जमा धनराशि 17327,40 लाख रुपये थी जिनमें से 71 85 प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित थी। अध्याय 3 और अध्याय 5 से परिलक्षित होता है कि ग्रामीण बैंको की जमाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है। इससे यह इंगित होता है कि ये बैंक छोटे एवं गरीब व्यक्तियों के बैंक हैं जो कि ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग को जमा संग्रह करने में गहन प्रयास करते हैं।

सेवा क्षेत्र योजना में ऋणी द्वारा ऋण के लिए शाखा चुनने की स्वतंत्रता समाप्त होने से वह एक निश्चित शाखा से ऋण लेने के लिए बाध्य है लेकिन जमाओं के मामले में वह स्वतन्त्र है, वह किसी भी शाखा में जमा कर सकता है तथा ऋण दूसरी शाखा से ले सकता है। इस योजना में इन बैंको को पूर्णतः लक्षित निर्बल वर्ग तक सीमित कर दिए जाने के कारण सपन्न ग्रामीणों का सहयोग जमा के रूप में नहीं मिल पाता है।

(2) अग्रिम राशि:-

जहाँ व्यापारिक बैंक एवं सहकारी बैंक दूर-दराज के ग्रामीण अंचलों में साख प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं, वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण समाज के गरीब लोगों के लिए मददगार साबित हुए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा उचित मात्रा में कृषि, कृषि आश्रित धंधों, दस्तकार, लघु उद्योग और लघु व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। जून 1997 तक कुल अग्रिम राशि 865241 लाख रुपये थी जिसमें से 75 82 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित थी। अध्याय 3 और अध्याय 5 से स्पष्ट है कि ग्रामीण बैंक के ऋणों में निरन्तर वृद्धि हुई है।

(3) खराब आर्थिक स्थिति:-

इन उपलब्धियों के बावजूद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने लक्ष्यों को पूरा करने में अधिक सफल नहीं हुए हैं। अधिकतर बैंको की आर्थिक स्थिति खराब है और वे भारी घाटे में चल रहे हैं। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। 31 मार्च 1995 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में 10958 करोड़ रुपये जमा थे जबकि उनका 6226 करोड़ रुपया कर्जदारों की तरफ बकाया था। मार्च 1996 तक 196 ग्रामीण बैंको में से 44 ग्रामीण बैंक लाभ पर थे। कुल घाटे की राशि 42558 31 लाख रुपये थी। घाटे की राशि में निरन्तर वृद्धि हो रही है, इसका प्रमुख कारण है कि उनके द्वारा जो कर्ज दिये जाते हैं, उनकी वापसी नहीं

होती। इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के पास नये ऋण देने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं रहता। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लक्ष्य से गठित ये बैंक खुद सरकार पर एक बड़ा आर्थिक बोझ बन गये हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनुसंधान और विकास निधि:

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को तकनीकी निगरानी और मूल्यांकन कक्षों की स्थापना करने के लिए अनुसंधान और विकास निधि में अपना योगदान जारी रखा। इन कक्षों का उद्देश्य परियोजना ऋण प्रणाली के अन्तर्गत योजनाएँ तैयार करना और उनका मूल्यांकन करना है। इस सम्बन्ध में योजना का लाभ 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में से वित्तीय वर्ष 1987-88 में 53, 1988-89 में 65, 1989-90 में 74, 1990-91 में 87, 1991-92 में 96 और 1992-93 के दौरान 103 बैंको ने इस योजना का लाभ उठाया।

The underlying assumptions of such a mindset could be summarised as follows

Future goals	Just to carry on
Business	Whatever walks in
Customer	One who is in dire need of the bank's services
Growth	Measured by deposits
Competition	Does not exist
Profit	Not a must for RRBs
Performance Monitoring	To be done by others
Reasons for weaknesses	Due to external factors only
Stakeholders	Employees
Survival	Assured a noble institution Serving the poor can not be closed down

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की समस्याएं:

- 1 ग्रामीण बैंको की शाखाओ मे वृद्धि तो हुई लेकिन जरूरत मन्द ग्रामीणो के लिए ऋण उपलब्धता की स्थिति मे अभी और सुधार होना चाहिए।
- 2 इन बैंको मे प्राय ऐसे कर्मचारियो की नियुक्ति की गयी जो पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं थे तथा उन्हे ग्रामीण समस्याओ का कोई ज्ञान नहीं था ।
- 3 व्यावसायिक बैंको के समान वेतन तथा अन्य सुविधाए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियो को प्रदान नहीं किया जाता हे।
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको मे जमा राशि पर दी जाने वाली ब्याजदर, व्यावसायिक बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणो पर लिये जाने वाली ब्याज दर से अधिक है।
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का स्वामित्व केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के हाथो होता है अर्थात वित्तीय स्रोतो के लिए ग्रामीण बैंको की सरकार पर निर्भरता होती है।
- 6 कृषि विस्तार एजेसियो और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको मे तालमेल का अभाव पाया जाता है।

- 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और उनके प्रायोजक बैंको के पास जमा धनराशि 2500 करोड रूपये है। प्रायोजक बैंक अपने ग्रामीण बैंको को 10 प्रतिशत की दर से ब्याज देते है जबकि प्रायोजक बैंक उसी धनराशि को पूँजी बाजार मे ऋण देकर 24 प्रतिशत तक का ब्याज अर्जित करते है। इससे ग्रामीण बैंको को ब्याज मे प्रतिवर्ष 250 करोड रूपये की हानि हो रही है ।
- 8 यह कहना सही है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने सफलता प्राप्त की है, परन्तु यह समुचित नहीं है। व्यापक सुविधा देने की दिशा मे जो प्रयास किये गये है वे पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण जनता आज भी अपनी बचतो को घरों मे रखती है और उधार के लिए जमीदारों व साहूकारों पर निर्भर है।
- 9 इन बैंको को आज भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। सबसे बडी समस्या आधार भूत ढाँचे की समस्या है। इन ग्रामीण बैंको को ऐसी जगह अपनी शाखाएँ खोलनी पडती है जहाँ यातायात, डाकतार तथा भवन जैसी सुविधाएँ नहीं होती । साथ ही वहाँ शिक्षा व चिकित्सा की सुविधा न होने से क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान रखने वाले प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारी नहीं मिल पाते, जिसके कारण ग्रामीणों से सम्पर्क बनाये रखना अपेक्षाकृत कठिन होता है। इसके अतिरिक्त शहरों से गये कर्मचारी क्षेत्रीय समस्याओं से पूरी

तरह परिचित न होने के कारण वास्तव में जरूरत मन्द ग्रामीणों के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाते। अधिकांश शहरी व्यक्ति गाँवों में जाना पसंद ही नहीं करते।

10. ऋण वसूली न होना और समय पर ऋणों की अदायगी न हो पाने से बैंकों को भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारतीय किसान गरीब व ऋणग्रस्त होने के कारण समय पर ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं।

11. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम के अर्न्तगत ग्रामीण इलाकों में अन्य व्यापारिक बैंक भी अपनी शाखाएँ खोल रहे हैं जिससे इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिचालन लागत अधिक होने के कारण इनमें से अधिकांश बैंकों को हानि उठानी पड़ रही है।

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नौकरी पाने के बाद व्यक्ति बैंक का रेलवे के प्रतीक्षालय की तरह उपयोग करते हैं, अर्थात् मनपसंद नौकरी मिलने तक यहाँ समय काटना उनका मुख्य उद्देश्य रह जाता है।

13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, केन्द्र सरकार, प्रयोजक बैंक एवं सम्बन्धित राज्य सरकार के स्वामित्व में होते हैं। इनकी अधिकृत पूँजी एक करोड़ रुपये होती है, जिसमें से 25 लाख रुपया निर्गमित एवं प्रदत्त पूँजी के रूप में होता है। इन बैंकों की पूँजी में केन्द्र सरकार, प्रयोजक बैंक एवं राज्य सरकार का योगदान क्रमशः 50 प्रतिशत, 35 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत होता है। अर्थात् वित्तीय स्रोतों के लिए ग्रामीण बैंकों की निर्भरता सबसे अधिक (65 प्रतिशत) सरकार पर होती है।
14. ऋण वसूली कार्यक्रम राजनीति से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष एवं निदेशक मण्डल द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं के अनुरूप कोई उपयोगी निर्णय नहीं लिया जा सकता तथा इन्हीं कारणों से बैंकों द्वारा वसूली कैम्प लगाने में भी कठिनाई आती है।
15. प्रायः जिन उद्देश्यों से ऋण दिये जाते हैं उनका प्रयोग उसी में न होकर अन्यत्र किया जाता है। यद्यपि प्रत्येक जिला प्रशासन को निर्देश है कि स्वयं जिला विकास आयुक्त या उनकी कोई एजेन्सी समय-समय पर इस सदर्भ में जाँच करें, परन्तु इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रायः इस तरह के निरीक्षण कागजों तक ही सिमट कर रह जाते हैं।

- 16 ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने योग्य प्रस्तावों के मूल्यांकन की समस्या गम्भीर है। ऋण वितरण के सन्दर्भ में बैंकों पर यह दबाव होता है कि वे निश्चित रामयावधि में ही निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें। ऐसी स्थिति में ऋण पाने योग्य लोगों के चुनाव में जो सतर्कता एवं सावधानी बरतनी चाहिये, वह कर पाना सम्भव नहीं होता। ऐसे में निरीक्षण एवं नियन्त्रण मात्र नियमों तक सीमित रह जाते हैं। राजनीतिक दबावों के कारण ऋण वितरण प्रक्रिया में स्थापित मानकों की भी अवहेलना प्रायः की जाती है।
- 17 समय-समय पर सरकारी प्रचार के साथ वितरित किये जाने वाले ऋण तथा उनमें दी जाने वाली सब्सिडी की अत्यधिक मात्रा के कारण कमजोर तथा जरूरतमन्द लोगों को न्यूनधिक मात्रा में ही ऋण मिल पाता है, ऐसे में अवाञ्छित लोगों को ऋण प्राप्त होते अधिक देखा जाता है।
- 18 बैंकों का कृषि विस्तार एजेंसियों के साथ आवश्यक तालमेल का अभाव पाया जाता है। यदि दोनों में सामंजस्य होगा तो ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दिये गये ऋणों का प्रयोग ऐसे कार्यों में हो जिनसे कर्जदारों की आय बढ़ती हो।

- 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की दयनीय वित्तीय स्थिति के लिये नाबार्ड की पुनर्वित्त सुविधा की नीति भी जिम्मेदार है। सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी कार्यक्रमो तथा उन्हें लागू करने के लिये ऋण वितरण की प्रतिबद्धता के कारण ग्रामीण बैंको की ऋण वसूली शून्य होती जा रही है। ऐसे में नाबार्ड की पुनर्वित्त सुविधा नीति में आवश्यक परिवर्तन करके ग्रामीण बैंको की वित्तीय स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है।
20. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबो को दिये जाने वाले ऋणो की वापसी लगभग शून्य है। कृषको को कृषि सयत्रो के लिए दिये जाने वाले ऋण की नियमित वापसी का प्रावधान किया गया था, जिसे धीरे-धीरे अब शिथिल कर दिया गया है।
- 21 बैंक का कार्यभार उनके कर्मचारियो की सख्या के अनुपात में बहुत अधिक बढ़ता गया है। कई ग्रामीण बैंक शाखाओ में तो स्थिति की दयनीयता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनमें केवल एक कर्मचारी हैं तथा नियन्त्रण की कोई व्यवस्था नहीं है।
- 22 मात्र सरकारी लक्ष्यो को पूरा करने की दृष्टि से तेजी से शाखाओ के विस्तार को बैंको का सगठन उचित ढंग से विनियमित नहीं कर पाया। इन बैंकों में

प्रायः ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति हो गयी जो पूरी तरह से या तो प्रशिक्षित नहीं थे या उन्हें ग्रामीण समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं था। इस प्रकार के बेलगाम विस्तार के कारण ऋणों के आवेदन पत्रों की जाँच, ऋणों की स्वीकृति एवं भुगतान ऋणों के भुगतान के पश्चात् की कार्यवाही विस्तार के कारण ऋणों के आवेदन पत्रों की जाँच, ऋणों की स्वीकृति एवं भुगतान, ऋणों के भुगतान के पश्चात् की कार्यवाही निगरानी तथा ऋणों की वापसी आदि के मामलों में बैंकों की कार्यक्षमता के स्तर में भारी गिरावट आयी है।

23. अब तक उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर मार्च 1996 के अन्त तक 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14497 शाखाओं में से अधिकांश शाखाएँ मुख्य रूप से कुछ ही राज्यों, यथा- उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में ही थीं, शेष अन्य राज्यों में इनका विस्तार बहुत ही कम हुआ है अतः इनके विस्तार में क्षेत्रीय असमानताएँ व्याप्त हैं जो उचित नहीं हैं।

24. आज देश के अन्दर कार्य कर रहे अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटे पर चल रहे हैं जबकि यह आशा की जाती है कि अपनी स्थापना के 23 वर्षों के पश्चात् वे अपना एक सशक्त आधार तैयार कर लेंगे। अब तक कार्य कर रहे बैंकों में लगभग 90 प्रतिशत बैंकों को हानि उठानी पड़ रही है। इन बैंकों को

जीवन-क्षम बनाने की अबिलम्ब आवश्यकता है। इस दिशा में व्यापारिक बैंको एव नाबार्ड के मदद की आवश्यकता है तथा कुशल प्रबन्ध प्रशासन एव मितव्ययिता की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।

- 25 प्रारम्भ में इन बैंको के संचालन के लिए प्रतिनियुक्त प्रवर्तक बैंको के अनुभवहीन अधिकारियों तथा ग्रामीण बैंको के अल्प प्रशिक्षित अधीनस्थों द्वारा कोष प्रबन्धन की खामियों के कारण इन्हें कोष का उचित लाभ नहीं मिला पाया।

परिचलना की पुष्टि:

इस प्रकार विभिन्न अध्यायों के समग्र अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि ग्रामीण बैंक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहे हैं। ग्रामीण बैंक की स्थापना बैंक विहीन क्षेत्रों में हुई है। बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान निष्क्रिय पूँजी को गतिशील बनाने में सक्षम हुए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा साहूकारों, सहकारी बैंको तथा अन्य व्यापारिक बैंको के कामियों को दूर किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारा परिकल्पना की पुष्टि हुई है।

सुझाव :

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यदि इन कारकों के प्रति सवेदनशील हो तो आर्थिक विकास और तेजी से होगा। इस दिशा में प्रयास प्रारम्भ करने हेतु निम्न सुझाव हैं -

- 1 केवल सस्थागत स्रोतों से ही ऋण उपलब्ध होना चाहिए, गैर सस्थागत स्रोतों पर ऋण सबंधी निर्भरता पूर्णतया समाप्त होनी चाहिए। सस्थागत ऋणों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि धनी और निर्धन दोनों प्रकार के किसान इससे लाभान्वित हो सकें। इसके द्वारा कृषि की कुशलता व उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए।
- 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबंध व संचालन प्रशिक्षित, निष्ठावान व वचनबद्ध व्यक्तियों द्वारा होनी चाहिए, जिससे सस्थागत वित्त को सफल बनाया जा सके।
3. बैंकों द्वारा कृषि ऋण पर ब्याज की दरें कम होनी चाहिए और किसानों के विभिन्न वर्गों के लिए ब्याज की अलग-2 दरें होनी चाहिए। छोटे-छोटे किसानों को नई तकनीकी व अच्छी खेती के तौर तरीकों आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- 4 छोटे व सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए अनुत्पादक ऋण भी आवश्यक है। इसलिए इस स्तर पर इस प्रकार की ऋण सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए ताकि लोगों को बन्धुवा मजदूर बनने से रोका जा सके।
5. ग्रामीण बैंकों को भी व्यावसायिक बैंकों की तरह सभी प्रकार के बैंकिंग व्यवसाय में शामिल होने की छूट होनी चाहिए।
- 6 बैंकों को छोटे किसानों को ऋण देते समय जमानत देने में अधिक जोर न दिया जाए बल्कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि कृषकों की ऋण चुकाने की क्षमता कैसी है।
- 7 इन बैंकों का शाखा विस्तार कुछ ही क्षेत्रों/प्रान्तों में केन्द्रित न करके सम्पूर्ण देश में किया जाना चाहिए जिससे कि क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या को कम किया जा सके।
- 8 वित्तीय समस्या के सम्बन्ध में इन बैंकों को रिजर्व बैंक तथा अन्य प्रायोजक बैंकों से रियायती दरों पर आवश्यकतानुसार वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऋणों की वसूली की समस्या के निदान हेतु ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही दिये जायें और ऋणों के प्रयोग व वापसी पर कठोर

नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। लाभार्थियों का चयन करते समय इनकी ऋण वापसी प्रवृत्ति का भी आकलन कर लेना चाहिए।

- 9 कृषको, कृषि श्रमिकों, सीमान्त कृषको एव दस्तकारों आदि से ग्रामीण बैंको को सतत सम्पर्क बनाये रखना चाहिए जिससे कि उन पर एक दबाव बना रहे कि उन्हें ऋण वापसी भी करना है। इसके साथ ही साथ ऋण सम्बन्धी नीति के सही निर्धारण एव संचालन में अन्य वित्तीय अभिकरणों से जो कि इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, समन्वय रखना चाहिए।
10. इन बैंको की शाखाओं को चाहिए कि जहाँ वे काम कर रहे हैं, वहाँ पर अधिक से अधिक बचतों को अपनी ओर आकर्षित करें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें पुरस्कार आदि प्रोत्साहन के लिए देने की भी व्यवस्था करें।
- 11 बैंक कर्मचारियों को लगन, निष्ठा एव ईमानदारी से कार्य करने के लिए उनकी वेतन विसंगतियों, सुविधाओं एव प्रोन्नति सम्बन्धी समस्याओं का निदान करना चाहिए जिससे कि वे सही दिशा में कार्य करें एव जनता में बैंक की प्रतिष्ठा को बनाये रख सकें। इसका यह भी प्रभाव होगा कि अधिक कुशल कर्मचारी इस ओर आकर्षित होंगे।

- 12 इन बैंकों को अपनी लागत घटाकर एवं कार्य कुशलता बढ़ाकर हानियों को कम करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि इनकी जीवन क्षमता बनी रह सके। इनको चाहिए कि लाभार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर सेवाएँ प्रदान करे एवं समय-समय पर उनकी समस्याओं का निदान करते रहना चाहिए जिससे कि बाढ़ से ऋण आदायगी में कोई असुविधा न हो।
- 13 इन बैंकों की ब्याज दरें डाकघरों की ब्याज दरों के नजदीक होनी चाहिए जिसमें प्रतियोगिता कम हो सके। इन्हें अपने घरेलू बचत खातों पर लाटरी द्वारा पुरस्कार देने एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार विशेष सावधि बचत योजनाओं के राद्यालन की छूट दी जानी चाहिए।
- 14 ऋण प्राप्त करने की कठिनाइयों को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे किसानों की साहूकारों पर निर्भरता समाप्त हो सके।

विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनना और बने रहना दुर्जेय कार्य है। समर्पण, पूर्ण गंभीरता, समस्याओं के समाधान के प्रयास के बिना यह संभव नहीं है। भारत में नियोजित ग्रामीण विकास नीति अपनाये जाने के कारण इनका विकास व विस्तार का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन बैंकों के पूर्णतया सफल होने में समस्या इन बैंकों के कार्यों के ठीक प्रकार से क्रियान्वयन न होने की है। जिन

उद्देश्यो व लक्ष्यो को लेकर इन बैंको की स्थापना की गयी है, एव जिन तरीको व प्रक्रियाओ को अपनाया गया है, वह उचित होते हुए भी उचित क्रियान्वयन के अभाव म पूरे नहीं हो पा रहे है। क्रियान्वयन पक्ष को मजबूत व निष्पक्ष बनाया जाये और साथ ही ग्रामीण जनता की मानसिकता मे परिवर्तन किया जाये तो सम्भव है कि ये बैंक ग्रामीण इलाको का नक्शा ही बदल दे, और भारतीय ग्राम व ग्रामीण आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हा जाये ।

नीतिगत उपाय:

1 वसूली की खराब दर की स्थानीय समस्या के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुद्ध-मालियत और जमाराशियो मे आयी कमी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से वर्ष 1993-94 के दौरान कई नीतिगत उपाय किये। इसमें अन्य बातो के साथ-साथ निम्न लिखित उपाय भी शामिल है।

(क) हानि में चल रही शाखाओ के स्थान परिवर्तन की अनुमति ।

(ख) वर्ष 92-93 के दौरान जिन 70 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सवितरण दो करोड रूपये से कम था उन्हें सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के उत्तरदायित्वों से मुक्त करना और

(ग) वर्तमान 40 प्रतिशत की सीमा में से गैर- लक्ष्यगत समूह के उधारकर्ताओं को 60 प्रतिशत तक नए ऋण प्रदान करने की अनुमति।

2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को 22 अक्टूबर, 1997 से 25,000 रुपये से 2 लाख तक की उधारियों पर ब्याज दर स्वयं निर्धारित करने की छूट प्रदान कर दी गई है, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 13.5 प्रतिशत वार्षिक होगी, 3 वर्ष से अधिक अवधि के सावधि ऋणों के लिए बैंको को अलग से प्राइम लैण्डिंग रेट (PLR) निर्धारित करने की छूट दी गयी है। अभी तक इन बैंको द्वारा प्रदत्त 25000 रुपये तक 12 प्रतिशत तथा 25,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक के उधार पर 13.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज निर्धारित था तथा 2 लाख से अधिक के ऋणों पर ब्याज दर निर्धारित करने को वे स्वतन्त्र थे।

3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की इस संरचना को फिर से ठीक करने की प्रक्रिया के रूप में केन्द्र सरकार के 1996-97 के बजट में 200 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी और 1997-98 के उनके बजट में इसके लिए 269.86 करोड़ रुपये की और व्यवस्था की गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना प्रक्रिया को स्थायी बनाने के लिए आय निर्धारण का विवेकपूर्ण मानदंड तथा

1995-96 से लागू परिसपत्ति वर्गीकरण और 1996-97 से व्यवस्था मानदंडों की बात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको पर भी लागू कर दी गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को नयी शाखाएँ खोलने की अनुमति प्रदान की गयी। इसके लिए जिन केन्द्रों में उनके कारोबार की अच्छी गुंजाइश है उन केन्द्रों के वर्तमान कर्मचारियों को ऐसी शाखाओं में काम पर लगाया जा सकता है।²

इस समय सारी दुनिया जबरदस्त आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नयी नीतियाँ और कार्यक्रम बनाये तथा चलाये जा रहे हैं। आर्थिक पुनर्गठन के इस दौर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को भी अपने काम काज के तौर तरीकों में परिवर्तन करना होगा। उन्हें आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद सस्थाओं के रूप में अपने आपको स्थापित करना होगा। इधर सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण साख प्रणाली में सुधार के लिए पहल की है। आशा करनी चाहिए कि इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की वर्तमान स्थिति में बदलाव आयेगा और वे ग्रामीण विकास में बेहतर भूमिका निभा सकेंगे।

आज पूरे विश्व में ज्यादा अर्थशास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक जैसे ढांचे की मदद के बिना ग्रामीण वित्तीय जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता (बांग्लादेश) के ग्रामीण बैंको की सफलता का अंदाज केवल

इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इनमे आज तक ऋण वसूली 98 फीसदी तक है। वहाँ की सरकार का मानना है कि विनीय प्रबन्धन के मामले मे महिलाएँ पुरुषों की तुलना मे कहीं अधिक गभीर होती हैं।

अतः भारत सरकार को भी बांग्लादेश की तर्ज पर ऋण कार्यक्रम बनाना चाहिए तथा महिलाओं को अत्यधिक ऋण प्रदान करना चाहिए क्योंकि वह वित्तीय प्रबन्धन मे पुरुषों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। ग्रामीण बैंको को अधिक आर्थिक अवलम्बन प्रदान करना उनके लिए अहितकर होगा। अतः उन्हें स्वयं आर्थिक रूप से शक्तिशाली होने देना चाहिए तथा वित्तीय अनुशासन का पूर्णतया पालन कराना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

BIBLIOGRAPHY

<i>AUTHOR</i>	<i>BOOKS TITLE</i>
Agarwal, B.P.	“Commercial Banking in India after Nationalisation”, Classical Publishing Company, New Delhi, 1982
ANAND, S.C.	Handbook on Regional Rural Banks Birla Institute of Scientific Research, New Delhi (Ed) “Banks Since Nationalisation” Allied Publishers Private Limited, New Delhi, 1981
BHANDARI, M.C.	Report of the Committee on Restructuring of RRBs (Summary of Report)
Chaubey, B.N.	“Principles and Practices of cooperative Banking in India”, Asia Publishing House, 1968.
Conant, Charles A.	“A History of Modern Banks of Issues”
Datta, S.K.	Service conditions and Discipline Code in RRBs.
Desai, Vasant	Indian Banking . “Nature and Problems” Himalaya Publishing House, Bombay, 1979

- Datta, S.K.** Service conditions and discipline Code in RRBs
- Dutt, V.** "Banks Nationalisation in Perspective" Publications Division, GOI, New Delhi, 1970.
- Desai, S.S.M.** "Rural Banking in India" Himalaya Publishing House, Bombay, 1983
- Desai, V. K.** "Rural Economics" Himalaya Publications Bombay
- Elias, A.H.** "Operational problems of Rural Banking" Vora & Co Publishers Bombay, 1967
- Eastern Book Co.** Regional Rural Banks Act 1976
- Ghosh, D.N.** "Banking Policy in India" Allied publishers, Pvt Ltd , New Delhi, 1979.
- Horne, H. Oliver** "A History of Savings Banks" Oxford, University Press, London, 1947.
- Joshi, N.C.** "Indian Banking" Ashish Publishing House, New Delhi, 1978.
- Jain, L.C. :** "Indigenous Banking in India" Macmillan London, 1929

- Kamble, N.D.** "Poverty within poverty" Sterling Publishers Pvt Ltd , New Delhi, 1979
- Kalkundrikar, A.B.** RRB & Economic Development
- Kabra, K.N. and Suresh R.R.** "Public Sector Banking in India" People's Publishing House, New Delhi, 1970
- Krishnaswamy, O.R.** "Fundamentals of Cooperation"
- Kripashankar :** "Economic Development of Uttar Pradesh" Arthik Ahusandhan Kendra, Allahabad, 1970.
- Mathur, B.S.** "Cooperative in India" Sahitya Bhawan, Agra, 1977.
- Misra, R.P. Sundaram, K.V.** "Multi-level. Planning and Integrated Rural Development" Heritage Publishers, New Delhi, 1980
- Mathur, O.P.** "Public Sector Banks in India's Economy" Sterling Publishers Pvt. Ltd , New Delhi, 1978
- Muranjan, S.K.** "Modern Banking in India", New Book Company Kumala Publishing House, Bombay, 1952

- Nigam, B.M.L.** "Banking Law and Practice" Vanī Educational Books, Ghaziabad, 1985
- Nigam B.M.L.** "Financial Analysis Techniques for Banking Division" Somaiya Publication Ltd Bombay, 1979
- Nigam B.M.L.** "Banking and Economic Growth" Vora & Company, Bombay, 1967
- NABARD** "Statistics and Regional Rural Banks March, 1996.
- NABARD** "Development Through Credit" 1982
- Naidu, L.K.** "Bank Finance and Rural Development" 1985
- Panandikar, S.G. & Nithanji, D.M.** "Banking in India" Orient Longman Ltd Bombay 12th Edn 1975
- Plumpre, A.F.W.** "Central. Banking in the British Divisions".
- Pandey, K.L.** "Development of Banking in India Since 1949-1968" Scientific Book Agency, Delhi, 1970
- Panda, R.K.** "Agricultural Indebtedness and Institutional Finance" Chugh Publications, Allahabad, 1985.

- Pany, R.K.** "Institutional Credit of Agriculture, in India", Chugh Publications, Allahabad, 1985
- Rao, b. Ramchandra** "Current Trends in Indian Banking" Deep & Deep Publications, New Delhi, 1984
- Rao, M.K.** "Management of Central Co-operative Banks"
- Reddy, A.G.N.** "Rural Dynamics Development" Chugh Publications, "Allahabad.
- Singh, Prabhu, N.** "Role of Development Banks in Planned Economy". Vikas Publishing House Ltd. Delhi, 1974
- Sunil Kumar** Regional Rural Banks & Rural Development
- Shylendra, H.S.** Institutional Reforms and Rural Poor . A case of Regional Rural Banks
- Shekhar, K.C.** "Banking Theory and Practice" Vikas Publishing House Pvt Ltd. New Delhi, 1974.
- Singh, S. and Chauhan, V.S.** "Regionalisation for Rural Development in India" Shree Publishing House, Delhi, 1984.

- Sharma, H.C.** "Growth of Banking in a Developing Economy" Sahitya Bhawan, Agra, 1969
- Simha, S.L.N.** "Reforms of the Indian Banking System" Orient Longman Ltd Madras 1973
- Sharma H.C.** "Nationalisation of Banks in India" Sahitya Bhavan, Agra, 1970
- Savage, D.T.** "Money and Banking"
- Sarkar, K.C.** "Cooperative Movement in United Provinces "
- Sharma, H.C.** "Banking Law & Practice" Sahitya Bhavan
Sharma R.K. Agra, 1993
- Singh, J.P.** "Supply of Demand for Agricultural credit", Chugh Publications, Allahabad 1985
- Shankar, K.** "Socialisation of Bank in India" Lokbharati Publications, Allahabad, 1968
- Sayers, R.S.** "Lloyds Bank in the History of Monetary System"
- Thingalaya, N.K.** "On Bankers and Economists" Macmillan India Ltd. New Delhi, 1981
- Trescott, P.B.** "Money Banking and Economic Welfare"

- Thomas, Rollin, G.** “Our Modern Banking and Monetary System”
- Varde, S.D.** “Management Studies in Banks” National Institute of Bank Management, Bombay, 1976
- Vashya, M.C.** “Money Banking and Public Finance” Ratan Prakashan Mandir” Agra 1989
- Vyas, M.R.** Evaluation and Management of RRBs
- White, Horace** “Money and Banking”

REPORTS :

GOVERNMENT OF INDIA

- (1) Report of the Rural Banking Enquiry Committee (1950)
- (2) Report of the Banking Commission (1972)
- (3) Report of the Working Group on Regional Rural Banks (1975)

RESERVE BANK OF INDIA :-

- (1) Annual Reports on Currency and Finance.
- (2) Annual Reports on Trend and Progress of Banking in India”
- (3) Banking Statistics

- (4) Reserve Bank of India Bulletin
- (5) Report of the All India Rural Credit Review Committee (1969)
- (6) Reviews of the Cooperative Movement in India
- (7) Report of the Review Committee (Dantawala Committee (1979)

ACTS AND RULES :

- (1) National Bank for Agriculture & Rural Development Act 1981
with 82 & 84 Regulation
- (2) Regional Rural Banks Act, 1976
- (3) Reserve Bank of India Act, 1934
- (4) U P. Agricultural Credit Act, 1973 with Rules

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT :

- (1) Statistics on Regional Rural Banks
- (2) Report on the Committee in Control over Branches of RRB
(1983)

OTHER REPORT AND PATRIKAS :

- (1) Socio-economic Patrikas Allahabad

ANNUAL REPORT :

- (2) Allahabad Kshertiya Gramin, Bank, Annual report
- (3) Annual Report of District-Cooperative Bank Allahabad
- (4) Statistical Diary
(Economic and Statistical Department State Planning
Commission U P Lucknow)
- (5) Yojana
- (6) Kurukshetra
- (7) Birds View
- (8) I.B A. Bulletin.

JOURNALS AND PERIODICALS :

- (1) Business India, Bombay
- (2) Commerce Bombay
- (3) Journals of the Indian Bankers Association, Bombay.
- (4) The Banker, New Delhi
- (5) National Bank News Review, Nabard, Bombay

NEWS PAPERS :

- (1) The Economic Times, New Delhi
- (2) The Hindustan Times, New Delhi

**THESIS SUBMITTED FOR D. PHIL, IN
UNIVERSITY OF ALLAHABAD.**

- | | |
|------------------------|--|
| (1) Swaroop, L | Resource Mobilisation for Economic
Development in Uttar Pradesh |
| (2) Mehrotra, P N. | Role of Financial Institutions in
Economic Development. |
| (3) Srivastava, A P | A study of Cooperative Credit in U P
Since Independence |
| (4) Ansari Mohd Salman | Working of the Regional Rural Banks
in Eastern Uttar Pradesh |

c.॥लकयं

STATEMENT No 1 - PROGRESS OF REGIONAL RURAL BANKS

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

Sl No	AS AT THE END OF	NO OF RRBs	DISTRICTS COVERED	NO OF BRANCHES	DEPOSITS (AMOUNT)	OUTSTANDING ADVANCES (AMOUNT)	C D RATIO	AVERAGE PER RRB		AVERAGE PER BRANCH	
								DEPOSITS (AMOUNT)	O/S ADVANCES (AMOUNT)	DEPOSITS (AMOUNT)	O/S ADVANCES (AMOUNT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DEC. 75	6	12	17	20	10	50	3.33	1.67	1.18	0.59
2	JUN. 76	19	31	112	120	150	125	6.32	7.89	1.07	1.34
3	DEC. 76	40	84	489	772	702	91	19.30	17.55	1.58	1.44
4	JUN. 77	48	99	767	1566	1958	125	32.63	40.79	2.04	2.55
5	DEC. 77	48	99	1187	3304	4235	128	68.83	88.23	2.78	3.57
6	JUN. 78	48	99	1424	6597	6597	100	137.44	137.44	4.63	4.63
7	DEC. 78	51	102	1753	7411	12202	165	145.31	239.25	4.23	6.96
8	JUN. 79	56	107	1990	9825	17305	176	175.45	309.02	4.94	8.70
9	DEC. 79	60	111	2420	12322	16741	136	205.37	279.02	5.09	6.92
10	JUN. 80	73	130	2735	16367	18116	111	224.21	248.16	5.98	6.62
11	DEC. 80	85	144	3279	19983	24338	122	235.09	286.33	6.09	7.42
12	JUN. 81	102	167	3784	25285	30245	120	247.89	296.52	6.68	7.99
13	DEC. 81	107	182	4795	33600	40659	121	314.02	379.99	7.01	8.48
14	JUN. 82	121	207	5393	38223	46259	121	315.89	382.31	7.09	8.58
15	DEC. 82	124	214	6191	50226	57711	115	405.05	465.41	8.11	9.32
16	JUN. 83	142	249	6812	53487	62370	117	376.67	439.23	7.85	9.16
17	DEC. 83	150	265	7795	67785	75084	111	451.90	500.56	8.70	9.63
18	JUN. 84	162	286	8727	77434	85997	111	477.99	530.85	8.87	9.85
19	DEC. 84	173	307	10245	95997	108077	113	554.90	624.72	9.37	10.55
20	JUN. 85	183	322	12139	105704	118835	112	577.62	649.37	8.71	9.79
21	DEC. 85	188	333	12606	128582	140767	109	683.95	748.76	10.20	11.17
22	JUN. 86	194	343	12755	144351	154034	107	744.08	793.99	11.32	12.08
23	DEC. 86	194	351	12838	171494	178484	104	883.99	920.02	13.36	13.90
24	JUN. 87	196	362	13076	190968	193353	101	974.33	986.49	14.60	14.79
25	DEC. 87	196	363	13353	230582	223226	97	1176.44	1138.91	17.27	16.72
26	JUN. 88	196	365	13586	245591	242864	95	1253.02	1239.10	18.08	17.88
27	DEC. 88	196	369	13920	296588	280429	95	1513.20	1430.76	21.31	20.15
28	MAR. 89	196	369	14079	311858	291825	94	1591.11	1488.90	22.15	20.73
29	SEP. 89	196	370	14279	346799	315493	91	1769.38	1609.66	24.29	22.09
30	MAR. 90	196	372	14443	415052	355404	86	2117.61	1813.29	28.74	24.61
31	SEP. 90	196	380	14511	426752	355517	83	2177.31	1813.86	29.41	24.50
32	MAR. 91	196	381	14527	498924	360927	72	2545.53	1841.46	34.34	24.85
33	SEP. 91	196	385	14531	514133	380360	74	2623.13	1940.61	35.38	26.18
34	MAR. 92	196	392	14539	586783	409086	70	2993.79	2087.17	40.36	28.14
36	MAR. 93	196	398	14543	693813	462673	67	3539.86	2360.58	47.71	31.81
38	MAR. 94	196	408	14542	882651	525302	60	4503.32	2680.11	60.70	36.12
40	MAR. 95	196	425	14509	1115001	629096	56	5688.78	3209.67	76.85	43.36
42	MAR. 96	196	427	14497	1418790	750502	53	7238.72	3829.09	97.87	51.77

STATEMENT NO.2 - REGION/STATE-WISE NO. OF RBBS, THEIR BRANCHES, MEMBERS, OUTSTANDING ADVANCES ETC.
(AS AT THE END OF 31 MARCH 1954)

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

NAME OF THE STATE / REGION	NO. OF RBBS	NO. OF DISTS. COVERED	NO. OF BRANCHES	ADVANCES (AMOUNT OUTSTANDING)						NABARD REFERENCE OUTSTANDING		
				MEMBERS	AGRICULTURAL ADVANCES	NON-AGRI CULTURAL ADVANCES	TOTAL ADVANCES	OVERDUE ADVANCES (AMOUNT)	C.D. RATIO	SHORT TERM (AMOUNT)	MT/LI TERM (AMOUNT)	TOTAL (AMOUNT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KARNATAKA	4	15	291	18500.14	11343.14	9631.48	20071.62	7786.14	43	893.00	4231.00	5127.00
BIHAR	2	4	129	17377.10	699.84	4048.39	4748.23	614.04	27	861.26	252.30	1113.56
JAMMU & KASHMIR	3	12	273	20155.18	1230.28	3909.45	5139.73	1547.16	26	152.00	531.43	663.43
PUNJAB	5	13	201	22815.12	6011.52	5739.32	11750.84	3088.20	51	823.00	2577.32	3400.32
RAJASTHAN	14	31	1065	19188.16	19764.05	17037.92	36801.97	8175.09	41	2160.49	6149.16	8309.65
NORTHERN REGION	28	75	1959	198116.10	39048.83	40366.56	79416.39	21210.63	40	4889.75	13721.21	18613.96
ARUNACHAL PRADESH	1	5	19	123.10	230.02	191.28	421.30	45.96	34	115.45		115.45
ASSAM	5	23	404	35915.13	6849.26	11626.26	18471.52	8214.10	51	565.36	2951.40	3518.76
KANTHUR	1	8	29	123.10	173.33	281.72	454.05	322.15	55	4.56	177.17	181.73
MEGHALAYA	1	4	51	623.10	746.78	440.10	1186.88	288.14	19	232.04	202.52	434.56
MIZORAM	1	3	54	213.12	311.02	698.23	1011.25	210.67	36	306.39		306.39
NAGALAND	1	7	8	14.58	8.74	76.24	84.98	29.82	35		12.18	12.18
TRIPURA	1	3	90	1203.90	2326.28	750.20	1576.48	7862.89	78	285.74	1809.20	2094.94
NORTH-EASTERN REGION	11	53	655	5904.24	10645.43	20564.03	31201.46	16973.73	52	1509.54	5154.47	6664.01
BIHAR	22	50	1185	16716.10	21406.38	44953.75	61311.13	24231.30	40	2385.92	5551.38	7937.30
ORISSA	9	29	819	6418.10	16692.67	22315.82	39011.49	7809.40	64	5449.86	8280.37	13730.23
WEST BENGAL	9	19	864	9617.58	11466.32	34672.65	46111.97	16659.69	48	1834.25	7450.31	9284.56
EASTERN REGION	40	98	3568	32451.46	49565.37	101942.22	151511.59	48700.39	47	9670.03	21282.06	30952.09
MADHYA PRADESH	24	44	1593	12111.34	26562.75	26708.14	53270.89	13617.66	44	1285.63	7590.87	8876.50
UTTAR PRADESH	40	66	3035	38406.34	73233.92	82822.23	156015.15	32617.57	41	16522.40	29497.09	46019.49
CENTRAL REGION	64	110	4628	50277.69	99796.67	109530.37	209317.04	46235.23	42	17808.03	37087.96	54895.99
GUJARAT	9	17	425	3188.49	11644.43	5657.66	17342.09	3545.68	56	3071.42	3375.29	6446.71
MAHARASHTRA	10	17	588	46773.15	14602.43	12247.47	16819.90	4972.65	58	2709.05	4855.49	7564.54
WESTERN REGION	19	34	1013	7154.08	26216.86	17905.13	14111.99	8518.33	57	5780.47	8230.78	14011.25
ANDHRA PRADESH	6	23	1123	11112.26	52104.44	41208.31	93322.75	21162.20	83	21403.51	8476.14	29879.65
KARNATAKA	3	20	1774	9141.80	49094.69	39978.07	19072.76	2190.74	92	18749.43	15503.11	34252.54
KERALA	2	6	269	2151.00	15270.00	19648.00	14418.00	5695.00	131	10316.00	3477.00	13743.00
TAMILNADU	3	8	208	3631.80	4879.01	9708.55	14417.56	2431.08	88	2456.99	1212.01	3669.00
SOUTHERN REGION	34	57	2674	25022.86	121348.14	111542.93	214811.07	51159.02	92	52925.93	28418.26	81544.19
ALL INDIA	196	427	14697	1411779.32	346651.30	403851.21	750002.54	192797.33	53	92581.75	114097.74	206681.49

**STATEMENT No. 3 - SPONSOR BANK-WISE DISTRIBUTION OF DEPOSITS, ADVANCES, BORROWINGS, STAFF DEPUTED, ETC.
OF REGIONAL RURAL BANKS (AS AT THE END OF MARCH 1996)**

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

NAME OF THE SPONSOR BANK	NO. OF RRBs	NO. OF DISTRICTS COVERED	NO. OF BRANCHES	DEPOSITS (AMOUNTS)	ADVANCES (O/S OF SP. RRBs) (AMOUNTS)	BORROWINGS FROM SPON. BANKS (AMOUNTS)	% OF SP. BANK'S FINANCE TO O/S ADV. OF ITS SP. RRB	STAFF DEPUTED BY SPONSOR BANKS		
								OFFICERS	OTHERS	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ALLAHABAD	7	10	504	56867.64	21886.15	583.83	2.67	19	-	19
ANDHRA	3	5	153	12908.09	10195.65	1404.39	13.77	14	-	14
B.O.B	19	31	1249	119844.32	58443.72	1423.82	2.44	26	-	26
B.O.I	16	30	991	94414.67	33434.10	1121.87	3.36	53	-	53
B.O.M	3	8	312	28306.39	16787.89	1314.81	7.83	6	-	6
B.O.RAJ.	1	2	61	4451.00	1519.00	32.00	2.11	3	-	3
CANARA	8	12	693	69310.75	60580.18	6442.70	10.63	20	-	20
CORPN	1	2	44	3527.45	3342.90	609.90	18.24	3	-	3
C.B.I	23	43	1791	135744.97	63432.72	869.40	1.37	29	-	29
DENA	4	7	253	21005.81	11212.38	321.62	2.87	8	-	8
INDIAN	4	5	145	12468.26	11506.13	2338.51	20.32	14	-	14
I.O.B	3	9	309	24698.72	18728.62	2470.42	13.19	8	-	8
J&K BANK	2	6	188	16567.18	3567.73	88.25	2.47	6	-	6
P.H.B	19	45	1273	145019.12	62215.17	1491.22	2.40	47	-	47
P&S BK	1	3	22	3127.74	1576.00	50.42	3.20	6	-	6
SYNDICATE	10	20	1039	135759.22	119399.75	12033.89	10.08	24	-	24
S.B.B.J	3	5	208	19932.73	5341.91	108.89	2.04	12	-	12
S.B.H	4	4	164	16973.27	12846.39	1258.49	9.80	15	-	15
S.B.I	30	84	2378	210448.34	97027.48	6364.94	6.56	139	-	139
S.B.IND	1	2	23	1804.00	871.18	0.00	00.00	3	-	3
S.B.M	2	5	202	15746.38	11765.60	1022.68	8.69	12	-	12
S.B.P	1	3	41	3471.66	2434.78	244.55	10.04	6	-	6
S.B.S	3	6	136	8436.70	3909.95	513.42	13.13	13	-	13
UNION	4	9	403	69459.84	23109.57	267.00	1.16	15	-	15
U.B.I	11	43	1019	107500.64	56937.18	939.96	1.65	17	-	17
U.C.O	11	25	802	74702.15	35006.89	507.51	1.45	36	-	36
U.P.S.C.B	1	2	69	3997.00	2377.00	50.00	2.10	0	-	0
VIJAYA	1	1	25	1496.28	1046.52	34.10	3.26	2	-	2
ALL INDIA	196	427	14497	1418790.32	750502.54	43908.59	5.85	556	-	556

**STATEMENT NO. 4 - REGION/STATE/BANK-WISE DISTRIBUTION OF OFFICERS, DEPOSITS,
OUTSTANDING ADVANCES AND OVERDUES OF REGIONAL RURAL BANKS
(AS AT THE END OF MARCH 1996)**

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

SR. NO.	NAME OF THE RRB/STATE/REGION	DATE OF ESTABLISHMENT	NO. OF DIST. COVD.	NO. OF BRANCHES	DEPOSITS		OUTSTANDING CREDIT		OVERDUE ADVANCES		% OF O/Ds TO ADV.	CD RATIO (%)	
					NO. OF A/Cs	AMOUNT	NO. OF A/Cs	AMOUNT	NO. OF A/Cs	AMOUNT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	HARYANA KSH GR BANK	02/10/75	5	90	226414	12071.84	58970	5548.62	26945	2003.88	36.1	46	
2	GURGAON GRAMIN BANK	28/03/76	4	118	552281	28256.00	111001	9984.00	82828	5200.00	52.1	35	
3	HISSAR-SIRSA KSH CR BK	02/10/84	2	44	63140	3986.00	19883	2927.00	10175	326.00	11.1	73	
4	AMBALA KURUKSHETRA GR BK	18/01/85	4	39	67611	4276.30	19116	2515.00	9874	256.26	10.2	59	
HARYANA				15	291	909446	48590.14	208970	20974.62	129822	7786.14	37.1	43
5	HIMACHAL GRAMIN BANK	23/12/76	3	102	309358	14955.55	40664	3936.50	10166	548.28	13.9	26	
6	PARVATIYA GRAMIN BANK	02/11/85	1	27	40343	2371.95	7349	811.73	3223	65.76	8.1	34	
HIMACHAL PRADESH				4	129	349701	17327.50	48013	4748.23	13389	614.04	12.9	27
7	JAMMU RURAL BANK	12/03/76	4	94	215933	10102.00	25908	2385.00	13066	611.00	25.6	24	
8	ELLAQUI DEHATI BANK	16/07/79	6	85	144700	3558.00	36860	1572.00	9215	393.00	25.0	44	
9	KAMRAJ RURAL BANK	16/06/81	2	94	121240	6465.18	14073	1182.73	9763	543.16	45.9	18	
JAMMU & KASHMIR				12	273	481873	20125.18	76841	5139.73	32044	1547.16	30.1	26
10	SHIVALIK KSH GR BK	31/03/83	3	41	105868	5654.65	28744	2133.00	17051	468.63	22.0	38	
11	KAPURTHALA-PEROZPUR KSH GR B	30/03/83	2	43	80761	4205.27	28352	2534.68	23777	1222.21	48.2	60	
12	GURDASPUR-AMRITSAR KSH GR BK	30/03/83	2	54	127673	6436.00	35967	3072.38	8515	1066.63	34.7	48	
13	MALWA GRAMIN BANK	?? 02/86	3	41	45004	3471.66	20660	2434.78	2040	55.21	2.3	70	
14	PARINKOT-BHATINDA KSH GR BK	22/03/86	3	22	36171	3127.74	9763	1576.00	5468	275.52	17.5	50	
PUNJAB				13	201	395477	22895.32	123486	11750.84	56851	3088.20	26.3	51
15	JAIPUR MAGAUR AMCH GR BANK	02/10/75	3	143	230120	15300.00	53861	3711.34	40310	1134.19	30.6	24	
16	MARWAR GRAMIN BANK	06/09/76	3	136	300913	16276.34	49436	3746.09	26228	611.23	16.3	23	
17	SHEKHAWATI GR BANK	07/10/76	2	100	253376	11449.00	81077	6731.00	53778	1219.00	18.1	59	
18	MARUDHAR KSH GR BK	29/03/79	1	60	94684	3231.95	16678	988.88	13593	341.57	34.5	31	
19	ALWAR-BHARATPUR AMCH GR BK	28/02/81	3	90	118481	7020.21	48753	2649.31	12188	971.01	36.7	38	
20	ARAVALI KSH GR BK	02/10/81	3	64	108392	4299.12	31570	2292.22	21960	566.83	24.7	53	
21	HADOPI KSH GR BANK	14/10/82	3	102	113268	8712.00	51373	4259.00	28094	1029.00	24.2	49	
22	MEWAR AMCH GR BANK	25/01/83	2	61	77416	4451.00	24484	1519.00	14652	276.00	18.2	34	
23	THAR AMCH GR BANK	31/01/83	3	71	72670	3537.38	23197	1351.18	18301	504.27	37.3	38	
24	BUNDI-CHEPPORGARH KSH GR BK	23/03/84	2	69	115618	4100.18	32869	3192.06	10580	247.00	7.7	78	
25	BHILWARA-AJMER KSH GR BK	24/03/84	2	53	87788	4748.12	38567	3610.51	18788	541.48	15.0	76	
26	DUNGARPUR-BANSWARA KSH GR BK	25/03/84	2	44	58107	2386.77	20874	1155.56	5219	288.89	25.0	48	
27	SRIGANGANAGAR KSH GR BK	31/03/84	1	44	46671	2817.07	12220	1324.82	6096	280.50	21.2	47	
28	BIKANER KSH GR BK	25/03/85	1	28	26286	839.32	5827	271.00	5432	164.12	60.6	32	
RAJASTHAN				31	1065	1703790	89168.46	490786	36801.97	275219	8175.09	22.2	41
NORTHERN REGION				75	1959	3840287	198106.60	948096	79415.39	507325	21210.63	26.7	40
29	ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK	30/11/83	5	19	33116	1223.60	9341	421.30	1101	45.96	10.9	34	

**STATEMENT NO. 4 - REGION/STATE/BANK-WISE DISTRIBUTION OF OFFICES, DEPOSITS,
OUTSTANDING ADVANCES AND OVERDUES OF REGIONAL RURAL BANKS
(AS AT THE END OF MARCH 1996)**

---CONTD

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

SR. NO.	NAME OF THE RRB/STATE/REGION	DATE OF ESTABLISHMENT	NO. OF DISTRICTS	NO. OF BRANCHES	DEPOSITS		OUTSTANDING CREDIT		OVERDUE ADVANCES		% OF O/Ds TO CD RATIO (%)		
					NO. OF A/Cs	AMOUNT	NO. OF A/Cs	AMOUNT	NO. OF A/Cs	AMOUNT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ARUNACHAL PRADESH			5	19	33116	1223.60	9341	421.30	1101	45.96	10.9	34
30	PRAGJYOTISH GAONLIA BANK	06/07/76	9	172	764165	20374.54	149752	11933.16	122573	5747.53	48.2	59	
31	LAKHIMI GAONLIA BANK	29/07/80	5	100	411825	8400.52	69756	3587.42	49356	1101.50	30.7	43	
32	CACHAR GRAMIN BANK	31/03/81	3	44	99390	2360.76	20870	980.05	16276	546.69	55.8	42	
33	LANGPI DEBANGI RURAL BANK	27/01/82	2	43	74899	1883.19	21585	832.09	6205	136.46	16.4	44	
34	SUBANSIRI GAONLIA BANK	30/03/82	4	45	129577	2936.02	19645	1142.80	15244	681.92	59.7	39	
	ASSAM			23	404	1479856	35955.03	281608	18475.52	209654	8214.10	44.5	51
35	MANIPUR RURAL BANK	28/05/81	8	29	44733	821.31	7835	455.05	7351	322.15	70.8	55	
	MANIPUR			8	29	44733	821.31	7835	455.05	7351	322.15	70.8	55
36	KEASI JAINTIA RURAL KA BANK	29/12/81	4	51	90430	6223.10	20767	1186.88	7920	288.14	24.3	19	
	MIZORAM			4	51	90430	6223.10	20767	1186.88	7920	288.14	24.3	19
37	MIZORAM RURAL BANK	27/09/83	3	54	41418	2833.12	10393	1009.25	5457	210.67	20.9	36	
	MIZORAM			3	54	41418	2833.12	10393	1009.25	5457	210.67	20.9	36
38	MAGALAND RURAL BANK	30/03/83	7	8	3546	244.58	1188	84.98	483	29.82	35.1	35	
	MAGALAND			7	8	3546	244.58	1188	84.98	483	29.82	35.1	35
39	TRIPURA GRAMIN BANK	21/12/76	3	90	357601	12203.50	208187	9576.48	192126	7862.89	82.1	78	
	TRIPURA			3	90	357601	12203.50	208187	9576.48	192126	7862.89	82.1	78
	NORTH-EASTERN REGION			53	655	2050700	59504.24	539319	31209.46	424092	16973.73	54.4	52
40	BHOJPUR BOHTAS GR BK	26/12/75	4	157	591486	24252.00	178135	9319.00	123069	2738.00	29.4	38	
41	CHAMPARAM KSH GR BK	21/03/76	2	148	272939	9182.00	95956	3454.00	71939	1071.00	31.0	38	
42	MAGADH GRAMIN BANK	10/11/76	4	165	402991	20324.11	193027	8195.70	93857	2889.60	35.3	40	
43	KOSI KSH GRAMIN BK	23/12/76	7	164	251910	9628.33	128739	3748.58	19170	556.40	14.8	39	
44	VAISHALI KSH GR BK	10/03/77	3	189	384265	13949.24	191612	7048.69	144840	1614.00	22.9	51	
45	MONGHYR KSH GR BK	12/03/77	3	104	217727	10203.16	116976	5246.22	108518	3891.34	74.2	51	
46	SANTHAL PARGANAS GR BK	30/03/77	5	101	246278	10752.41	169699	3446.56	87094	1036.17	30.1	32	
47	MADHUBANI KSH GR BK	31/03/79	1	89	134292	4149.71	43394	2065.04	40997	1736.61	84.1	50	
48	KALANDA GRAMIN BANK	31/03/79	1	66	169091	5912.00	64174	2894.00	55004	1523.00	52.6	49	
49	SENGHURH KSH GR BK	31/03/79	1	77	166152	6477.00	81710	2375.00	71054	1439.00	60.6	37	
50	MITHILA KSH GR BANK	14/03/80	1	80	120550	4847.75	50348	2416.64	17848	349.00	14.4	50	
51	SANASTIPUR KSH GR BK	12/05/80	1	73	102745	5627.69	40256	1712.93	37277	648.44	37.9	30	
52	PALAMAU KSH GR BANK	15/05/80	2	75	109273	7061.00	103126	3099.00	59358	1864.00	60.1	44	
53	RANCHI KSH GR BANK	21/06/80	3	81	130923	5953.57	48331	1805.33	20833	215.80	12.0	30	
54	GOPALGANJ KSH GR BK	27/03/81	1	59	130470	6454.00	43321	1868.00	34251	739.00	39.6	29	

**STATEMENT NO. 4 - REGION/STATE/BANK-WISE DISTRIBUTION OF OFFICES, DEPOSITS,
OUTSTANDING ADVANCES AND OVERDUES OF REGIONAL RURAL BANKS
(AS AT THE END OF MARCH 1996)**

-----CONTD.

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

SR. NO.	NAME OF THE RRB/STATE/REGION	DATE OF ESTABLISHMENT	NO. OF DISTS. COVD.	NO. OF BRANCHES	DEPOSITS		OUTSTANDING CREDIT		OVERDUE ADVANCES		% OF O/Ds TO ADV.	CD RATIO (%)	
					NO. OF A/Cs	AMOUNT	NO. OF A/Cs	AMOUNT	NO. OF A/Cs	AMOUNT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
55	SARAN KSH GRAMIN BK	28/03/81	1	64	136517	5158.00	55165	2218.00	13791	554.50	25.0	43	
56	SINAH KSH GRAMIN BK	31/03/81	1	69	150747	7702.92	51820	2390.00	30019	519.16	21.7	31	
57	GIRIDIH KSH GR BANK	30/06/84	2	27	43356	1898.00	13347	705.00	10229	329.34	46.7	37	
58	HAIARIBAGH KSH GR BK	19/11/84	3	31	51634	3086.00	15681	730.00	3298	56.00	7.7	24	
59	PATALIPUTRA GR BANK	27/11/84	1	21	23882	1280.04	6477	410.82	5086	165.92	40.4	32	
60	BHAGALPUR-BANKA KSH GR BK	22/03/85	2	24	40093	1889.50	10914	717.64	2729	179.41	25.0	38	
61	BEGUSARAI KSH GR BK	23/03/85	1	21	25012	1262.37	9149	493.98	5172	115.53	23.4	39	
Bihar				50	1885	3902333	167050.80	1711357	66360.13	1055433	24231.30	36.5	40
62	PURI GRAMIN BANK	25/02/76	3	100	225770	7454.96	118338	4998.62	20315	733.25	14.7	67	
63	BOLANGIR ANCH GR BK	10/04/76	7	155	389192	9862.14	158270	5499.39	131029	1427.07	25.9	56	
64	CUTTACK GRAMIN BANK	11/10/76	4	121	421972	11712.27	195584	9083.29	81728	1949.80	21.5	78	
65	KORAPUT PANCHABAYI GR BK	13/11/76	4	90	218715	8161.00	196278	4856.00	52877	1021.00	21.0	60	
66	KALAHANDI ANCH GR BK	26/05/80	4	77	121576	3865.00	99248	2504.00	40094	206.20	8.2	65	
67	BAJARANI GR BANK	23/06/80	2	90	216973	6284.96	86946	2778.71	33236	173.04	6.2	44	
68	BALASORE GR BANK	06/08/80	2	63	191475	3409.73	40674	3076.84	10169	828.79	26.9	90	
69	BHUSHIKULYA GR BK	14/02/81	2	75	161060	5787.43	82705	3340.53	29846	733.42	22.0	58	
70	DHENKANAL GR BK	12/08/81	1	48	110837	3950.51	58028	2871.11	20412	736.83	25.7	73	
ORISSA				29	819	2057570	60488.00	1036071	39008.49	419706	7809.40	20.0	64
71	GAOR GRAMIN BANK	02/10/75	4	143	399971	15108.00	248248	8373.00	162926	3962.00	47.3	55	
72	MALLABHUM GR BK	09/04/76	3	176	743869	21498.00	265112	10029.00	92885	2882.00	28.7	47	
73	MAYURAKSHI GR BK	16/08/76	1	65	263011	7771.57	94718	3546.55	48592	771.48	21.8	46	
74	UTTAR BANGA KSH GR BK	07/03/77	3	111	308019	10863.00	215670	6286.79	174623	2954.58	47.0	58	
75	NADIA GRAMIN BANK	27/08/80	1	65	172782	6104.35	70166	2836.83	19998	930.04	32.8	46	
76	SAGAR GRAMIN BANK	24/09/80	2	115	408087	14437.64	133385	5540.39	65544	2600.77	46.9	38	
77	BARDHAMAN GR BANK	25/11/80	2	90	255217	10783.26	111394	4358.39	37643	689.15	15.8	40	
78	KHURDA GRAMIN BANK	12/06/82	2	59	159611	7154.00	59310	2685.02	33370	1120.42	41.7	38	
79	MURSHIDABAD GR BK	17/11/84	1	40	102871	3256.00	44832	2483.00	30380	749.25	30.2	76	
WEST BENGAL				19	864	2813438	96975.82	1242835	46138.97	665961	16659.69	36.1	48
EASTERN REGION				98	3568	8773341	324514.62	3990263	151507.59	2141099	48700.39	32.1	47
80	KSHETRIYA GR BK BISHNUPUR	20/01/76	2	92	128700	7479.00	64204	4402.00	16051	1184.00	26.9	59	
81	BILASPUR-RAIPUR KSH GR BK	20/10/76	2	150	212224	10160.00	76960	3314.00	21178	480.00	14.5	33	
82	REWA-SIDHAI GR BANK	20/12/76	2	83	229508	12040.75	60455	5365.45	26365	1045.46	19.5	45	
83	BUNDELKHAND KSH GR BK	26/03/77	2	83	159735	7077.00	67665	2880.00	51658	1311.00	45.5	41	
84	SHARDA GRAMIN BANK	31/03/79	1	59	176124	5444.55	37845	1837.31	9782	419.36	22.8	34	
85	SURGUJA KSH GR BK	24/10/79	1	83	150415	6476.15	53724	2429.84	41550	1506.64	62.0	38	
86	BASTAR KSH GR BK	15/12/79	1	62	89783	4035.00	32683	888.16	6286	30.79	3.5	22	
87	DURG-KAJHANGACH GR BK	12/03/80	2	107	205441	10427.74	107385	5842.73	52838	872.88	14.9	56	
88	JHABUA-BHAR KSH GR BK	20/06/80	2	86	184896	6545.91	60528	4035.53	44417	1408.00	34.9	62	
89	RAIGANI KSH GR BK	31/01/81	1	67	91561	3913.40	33426	1384.53	19333	539.75	39.0	35	
90	SHIVPURI-GUNA KSH GR BK	28/03/81	2	59	83719	5318.00	25725	1764.00	6431	947.33	53.7	33	

STATEMENT NO. 4 - REGION/STATE/BANK-WISE DISTRIBUTION OF OFFICERS, DEPOSITS,
OUTSTANDING ADVANCES AND OVERDUES OF REGIONAL RURAL BANKS
(AS AT THE END OF MARCH 1996)

-----CONTD.

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

SR. NO.	NAME OF THE RB/STATE/REGION	DATE OF ESTABLISHMENT	NO. OF DISTRS. COVD.	NO. OF BRANCHES	DEPOSITS		OUTSTANDING CREDIT		OVERDUE ADVANCES		% OF O/Ds TO ADV		CD RATIO (%)
					NO. OF A/Cs	AMOUNT	NO. OF A/Cs	AMOUNT	NO. OF A/Cs	AMOUNT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
91	DAMOH-PANNA-SAGAR KSH GR BK	30/03/81	3	77	105935	4394.6	31612	1513.00	23221	787.70	52.1	34	
92	DEWAS-SHAJAPUR KSH GR BK	30/03/82	2	59	94430	4953.0	23100	1649.07	2907	103.89	6.3	33	
93	NIWAR KSH GR BANK	26/06/82	2	75	102173	6373.45	56487	3495.79	5164	224.76	6.4	55	
94	MANDLA-BALAGHAT KSH GR BK	14/11/82	2	57	137930	3055.14	21021	781.03	12117	320.95	41.1	26	
95	CHHINDWARA-SBONI KSH GR BK	20/01/83	2	71	100159	4353.14	38810	2187.17	7599	326.49	14.9	50	
96	RAJGARH-SEHORE KSH GR BK	23/03/83	2	46	54344	3162.00	21879	1352.76	2617	95.61	7.1	43	
97	SHAHOL KSH GR BK	23/06/83	1	46	82994	2739.46	16268	890.11	4067	535.60	60.2	32	
98	RATLAM-MANDSAUR KSH GR BK	14/11/83	2	45	76205	3706.01	22732	1801.08	8128	168.04	9.3	49	
99	CHAMBAL KSH GR BK	11/02/84	2	51	45407	2233.64	24684	1550.16	812	60.84	3.9	69	
100	MAHAKAUSHAL KSH GR BK	01/04/84	2	41	69014	1678.91	14868	736.44	14099	435.06	59.1	44	
101	INDORE-UJJAIN KSH GR BK	19/11/84	2	39	55244	2207.19	16110	1145.55	10864	421.15	36.8	52	
102	GWALIOR-DATIA KSH GR BK	19/09/85	2	-32	34296	2236.00	14263	1154.00	8929	233.00	20.2	52	
103	VIDISHA-BHOPAL KSH GR BK	31/03/86	2	23	23838	1804.00	6358	871.18	2931	160.36	18.4	48	
MADHYA PRADESH				44	1593	2694075	121813.44	928792	53270.89	399344	13617.66	25.6	44
104	PRATHAMA BANK	02/10/75	2	164	788105	29676.00	207749	20641.00	60165	3241.00	15.7	81	
105	GORAKHPUR KSH GR BK	02/10/75	4	200	962343	35317.00	207063	11579.00	55487	1584.00	13.7	33	
106	SAMYUT KSH GR BK	06/01/76	3	160	728963	33404.00	107989	7845.00	38939	1150.00	14.7	23	
107	BARABANKI GR BK	27/03/76	1	90	358142	12541.00	67309	3062.00	16827	765.50	25.0	24	
108	RAJBARELI KSH GR BK	29/03/76	1	74	291210	9201.47	56654	2704.38	14164	775.00	28.7	29	
109	FARRUKHABAD GR BK	29/03/76	1	84	243771	12436.00	72470	3956.00	57398	822.00	20.8	32	
110	BHAGIRATH GR BK	19/09/76	1	108	717326	17563.80	88035	4660.69	18256	1037.97	22.3	27	
111	BALLIA KSH GR BK	25/12/76	2	89	265722	11500.22	80489	5257.99	57056	1814.56	34.5	46	
112	SULTANPUR KSH GR BK	08/02/77	1	93	490724	14682.00	102027	6645.00	40225	1444.00	21.7	45	
113	AVADH GRAMIN BANK	07/05/77	3	113	569920	17531.00	96027	4847.48	44354	542.69	11.2	28	
114	KANPUR KSH GR BK	27/02/80	2	104	295182	13122.00	85083	5974.00	61134	1010.90	16.9	46	
115	SRAVASTI GR BK	04/03/80	1	88	336031	9457.07	78664	4874.00	19666	354.60	7.3	52	
116	ETAWAH KSH GR BK	18/03/80	1	53	111836	4564.00	42749	2694.00	25342	453.14	16.8	59	
117	KISAN GRAMIN BANK	19/05/80	1	58	113350	3832.97	33419	1795.69	17990	405.00	22.6	47	
118	KSHETRIYA KISAN GR BK	20/05/80	2	69	159781	3997.00	39650	2377.00	9913	539.00	22.7	59	
119	KASHI GRAMIN BANK	28/07/80	2	79	235802	11088.35	69454	4883.69	49565	1415.87	29.0	44	
120	BASTI GRAMIN BANK	01/08/80	2	104	390098	11204.00	123037	4192.00	36920	1027.75	24.5	37	
121	ALLAHABAD KSH GR BK	23/08/80	1	92	258974	11007.00	75613	5622.00	68051	2749.00	48.9	51	
122	PRAYAGRAH KSH GR BK	25/08/80	1	71	286181	8724.08	43014	2971.34	34998	862.96	29.0	34	
123	FALGABAD KSH GR BK	05/09/80	1	67	285116	8580.10	40022	2743.14	23046	681.73	24.9	32	
124	PATEPUR KSH GR BK	06/09/80	1	55	122721	4598.00	30610	1860.00	7653	465.00	25.0	40	
125	BAREILLY KSH GR BK	27/09/80	2	82	175481	6435.62	42651	2788.76	13550	772.00	27.7	43	
126	DEVI PATAN KSH GR BK	17/01/81	1	72	211794	8539.00	50727	2490.00	12682	476.72	19.1	29	
127	ALIGARH KSH GR BK	22/03/81	1	91	276632	11961.80	58377	6578.68	14594	1644.67	25.0	55	
128	FULSI GRAMIN BANK	23/03/81	1	79	230238	7325.55	51877	2877.48	41316	983.90	34.2	39	
129	ETAH GRAMIN BANK	29/03/81	1	58	191694	5608.76	45469	3385.74	14637	363.00	10.7	60	
130	GOWTI GRAMIN BANK	30/03/81	2	81	346855	12926.74	61943	5015.43	25890	893.63	17.8	39	
131	CHHATRASAL GR BANK	30/03/82	3	82	190458	6861.31	51739	2862.81	31958	661.17	23.1	42	
132	BANI LAKSHMI BAI KSH GR BK	31/03/82	2	46	90746	3212.92	29686	1688.27	7422	311.45	18.4	53	
133	VIDER GRAMIN BANK	18/01/83	2	38	85158	3359.44	22354	1530.17	5589	426.50	27.9	46	
134	SHARJAHANPUR KSH GR BK	24/03/83	1	35	69224	2821.09	16307	1441.55	4077	360.39	25.0	51	

**STATEMENT NO. 4 - REGION/STATE/BANK-WISE DISTRIBUTION OF OFFICERS, DEPOSITS,
OUTSTANDING ADVANCES AND OVERDUES OF REGIONAL RURAL BANKS
(AS AT THE END OF MARCH 1996)**

---CONTD.

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

SR. NO.	NAME OF THE RRB/STATE/REGION	DATE OF ESTABLISHMENT	NO. OF DISTRICTS	NO OF BRANCHES	DEPOSITS		OUTSTANDING CREDIT		OVERDUE ADVANCES		% OF O/Ds TO ADV.	CD RATIO (%)	
					NO. OF A/Cs	AMOUNT	NO. OF A/Cs	AMOUNT	NO. OF A/Cs	AMOUNT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
135	NAHWAL-ALMORA KSH GR BK	26 03, 83	2	57	88011	4090.75	23155	2396 30	5789	376.69	15.7	59	
136	VINDHYAVASINI GR BK	30, 03 83	2	42	153118	5350 00	43683	3093.00	10921	567.14	18.3	58	
137	SARAYU GRAMIN BANK	09 08 83	1	46	178010	4865 36	25378	1680.86	8542	349.67	20.8	35	
138	JAMUNA GRAMIN BANK	02 12 83	2	46	114751	4733 13	30801	2515.10	22292	581.59	23.1	53	
139	MULAFFARNAGAR KSH GR BK	27 07 84	1	25	58068	2480 14	15924	1241.45	3981	153.20	12.3	50	
140	PITHORAGARH KSH GR BK	27 03 85	1	25	40800	3049 54	7024	1057.94	1935	53.92	5.1	35	
141	GANGA-YAMUNA GR BK	29 03 85	3	42	66911	2822 00	13223	1048.00	7803	159.00	15.2	37	
142	ALAKNANDA GR BANK	31 08 85	2	51	55905	2821 59	9286	576.63	4254	102.89	17.8	20	
143	HINDON GRAMIN BANK	28 03 87	2	22	44030	1771 08	9285	602.58	6323	238.37	39.6	34	
UTTAR PRADESH				66	3035	10679182	380963.48	2356016	156056.15	1000701	32617.57	20.9	41
CENTRAL REGION				110	4628	13373257	502776.92	3284808	209327.04	1400045	46235.23	22.1	42
144	KUTCH GRAMIN BANK	26, 12, 78	1	43	53951	4137 00	14621	1271.00	9822	353.84	27.8	31	
145	JAMNAGAR GRAMIN BK	26 12 78	2	53	78875	4259 52	28418	1981 87	9370	320.27	16.2	47	
146	BANASKANTHA-MEHSANA GR BK	29, 11, 81	2	73	119971	4384.00	46805	2679.00	17462	450.37	16.8	61	
147	PANCHMAL GR BANK	30, 03, 82	2	63	149323	4233.81	42346	3288 27	10587	822.07	25.0	78	
148	SUREDRANAGAR-BHAINAGAR GR B	15 12, 83	2	42	37515	1996.00	14755	1113.00	3835	165.00	14 8	56	
149	VALSAD-DANGS GR BK	23 02, 84	2	40	83259	3410 52	32040	2091.06	14347	394.79	18 9	61	
150	SURAT-BHARUCH GR BK	28, 02 84	2	40	78702	3625 83	30639	2643 16	14622	293.59	11.1	73	
151	SABARKANTHA-GANDHINAGAR GR B	09 08, 84	2	30	54795	2857 07	15916	1419 65	8582	249.62	17.6	50	
152	JUNAGADH-AMRELI GR BK	02 11 84	2	41	37823	2181 18	11431	815 08	6522	496 13	60 9	37	
GUJARAT				17	425	694214	31084.93	236971	17302.09	95149	3545.68	20.5	56
153	MARATHWADA GR BANK	26, 03 76	5	233	391124	20343 78	153957	12394 62	50561	2601.07	21 0	61	
154	AURANGABAD-JALNA GR BK	07 12 82	2	53	140678	5313 00	35423	3878 00	7762	416.00	10 7	73	
155	CHANDRAPUR-GADCHIROLI CR BK	04 02 83	2	60	136466	4279 86	33675	1591 22	17087	450 78	28 3	37	
156	AKOLA GRAMIN BANK	16 10 83	1	47	75766	2704 80	25646	1701 49	13023	447 46	26.3	63	
157	RATNAGIRI-SINDHODURG GR BK	19 11, 83	2	39	85848	2701.52	17103	1299 94	6552	155 40	12.0	48	
158	SOLAPUR GRAMIN BANK	21 01 84	1	35	67817	2021 18	13862	1575 19	5018	235.24	14 9	78	
159	BRANDARA GRAMIN BANK	06 02, 84	1	45	104938	2508 94	21552	1065 06	7358	163.89	15.4	42	
160	YAVATMAL GRAMIN BANK	29 01 85	1	24	34882	2609.40	15587	1593 41	11373	247.62	15.5	61	
161	BULDHANA GRAMIN BANK	17 10, 85	1	26	38507	1441 06	12765	1235 70	4784	180.48	14.6	86	
162	THANE GRAMIN BANK	30 03 86	1	26	40582	2649.61	9988	515 27	3611	74.71	14.5	19	
MAHARASHTRA				17	588	1116708	46573.15	339558	26849.90	127129	4972.65	18.5	58
WESTERN REGION				34	1013	1810922	77658.08	576529	44151.99	222278	8518.33	19.3	57
163	NAGARJUNA GR BK	30, 04 76	2	148	405412	14142 91	129490	6511 54	32373	880.48	13.5	46	
164	RAYALSEEDA GR BK	06, 08, 76	3	142	670178	18043 41	248480	19439 87	116335	6896.64	35.5	108	
165	SRI VISAKHA GR BK	30 09, 76	3	168	667411	19640 00	395575	12637 00	126043	2128.00	16.8	64	
166	SREE ANANTHA GR BK	01, 11, 79	1	70	276028	10272.18	82730	8216.48	14926	957.65	11.7	80	
167	SREE VENKATESWARA GR BK	22, 03, 81	1	71	276246	6431.40	76263	5354.57	44908	1483.15	27.7	83	
168	SRI SARASWATHI GR BK	30, 03, 82	1	71	116969	7915.51	82229	4818 37	27760	944.08	19.6	61	

STATEMENT NO. 4 - REGION/STATE/BANK-WISE DISTRIBUTION OF OFFICES, DEPOSITS,
OUTSTANDING ADVANCES AND OVERDUES OF REGIONAL RURAL BANKS
(AS AT THE END OF MARCH 1996)

---CONTD.

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

SR. NO.	NAME OF THE RRB/STATE/REGION	DATE OF ESTABLISHMENT	NO. OF DISTRICTS	NO. OF BRANCHES	DEPOSITS		OUTSTANDING CREDIT		OVERDUE ADVANCES		% OF TO ADV.	CD RATIO (%)
					NO. OF A/Cs	AMOUNT	NO. OF A/Cs	AMOUNT	NO. OF A/Cs	AMOUNT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	SANGAMESHWRA GR BK	31/03/82	1	65	115359	5498 00	82516	5168 00	27598	1065 00	20 6	94
170	MANJIRA GR BK	31/03/82	1	64	171415	5460 04	112799	6879 59	20699	802 10	11 7	126
171	PINAKINI GR BK	11/06/82	2	83	287122	7273 00	100627	247 32	17259	1110.85	15 3	100
172	KAKATHIYA GR BK	28/06/82	1	43	75280	2552 08	61870	2733 98	28744	1100 08	40 2	107
173	CHAITANYA GR BK	25/03/83	1	45	132392	4435 83	41790	3462 58	21040	1067.55	30 8	78
174	SRI SATEVAHANA GR BK	28/03/83	1	46	83129	4600.26	68285	4119 58	34014	1242.61	30 2	90
175	GOLCONDA GR BK	15/02/85	1	22	28889	2031 50	20610	1139 44	5153	284.86	25.0	56
176	SRIRAMA GR BK	21/02/85	1	25	64702	2426 00	33007	2769 00	12910	451.00	16 3	114
177	KAMAKADUGRA GR BK	28/03/86	1	27	51570	2715.31	26802	2422 89	6723	346.48	14 3	89
178	GODAVARI GRAMIN BANK	11/04/87	2	33	75268	2684 83	28240	3392.54	7060	401.67	11 8	126
ANDHRA PRADESH			23	1123	3497370	116122.26	1591313	96312.75	543544	21162.20	22.0	83
179	TUNGABHADRA GR BK	25/01/76	2	161	682550	19249 00	194125	17218 00	91811	3449 00	20 0	89
180	MALAPRABHA GR BK	16/08/76	2	209	773049	21929 99	233773	25444 12	117636	8107 54	31 9	116
181	CAUVERY GR BK	02/10/76	2	115	295707	8552 00	105469	7185 00	51943	2824 00	39 3	84
182	KRISHNA GR BK	01/12/78	2	112	237641	9377.00	90845	5864.00	25280	754 00	12 9	63
183	CHITRADRUGA GR BK	05/08/81	1	96	213798	5721 44	68888	5236 35	40263	2084 94	39 8	92
184	KALPATEARU GR BK	31/03/82	3	87	228403	7194 38	65918	4580 60	54432	1210 39	26 4	64
185	KOLAR GR BK	16/02/83	1	66	208611	5602.00	58200	4485.00	14550	713.00	15 9	80
186	BIJAPUR GR BK	31/03/83	1	84	335295	8756 00	71557	9338 00	23995	1252 00	13.4	107
187	CHICKMAGALUR-KODAGU GR BK	28/04/84	2	44	65418	3527.45	24262	3342 90	9630	401.09	12.0	95
188	SANYADRI GR BK	06/09/84	1	28	75826	2086.62	17383	2163 31	8826	460 43	21.3	104
189	NETRAVATI GR BK	11/10/84	1	22	50366	1115.86	10490	844 32	2512	74 06	8.8	76
190	VARADA GR BK	12/10/84	1	25	58623	2134 78	12167	2324 64	3865	170 79	7.3	109
191	VISVESHWARAYA GR BK	27/03/85	1	25	54560	1496 28	15369	1046 52	7706	379 50	36 3	70
KARNATAKA			20	1074	3279847	96742.80	968446	89072.76	452449	21880.74	24.6	92
192	SOUTH MALABAR GR BK	11/12/76	3	147	1073594	14348.00	302719	18998 00	64293	3776 00	19.9	132
193	NORTH MALABAR GR BK	12/12/76	3	122	660707	12402.00	228960	15920 00	47977	1909.00	12 0	128
KERALA			6	269	1734301	26750.00	531679	34918.00	112270	5685.00	16.3	131
194	PANDYAN GR BK	09/03/77	5	161	370589	13293.25	176515	10858 89	67548	2016.67	18.6	82
195	ADHIYAMAN GR BK	27/12/85	1	25	67370	1739.91	28803	1868.99	7269	274.46	14.7	107
196	VALLALAR GR BK	19/06/86	2	22	59732	1581.64	23594	1859.68	3505	139.95	7.5	118
TAMILNADU			8	208	497691	16614.80	228912	14587.56	78322	2431.08	16.7	88
SOUTHERN REGION			57	2674	9009209	256229.86	3320350	234891.07	1186585	51159.02	21.8	92
ALL INDIA			427	14497	38857716	1418790.32	12659365	750502.54	5881424	192797.33	25.7	53

STATEMENT No. 5 - REGION/STATE/BANK-WISE CLASSIFICATION OF DEPOSITS
(AS AT THE END OF MARCH 1996)

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

SR. No.	NAME OF THE RRB/STATE/REGION	CURRENT		SAVINGS		TERM		TOTAL	
		ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	HARYANA KSH GR BANK	1594	115.92	172577	4637.66	52243	7318.26	226414	12071.84
2	GURGAON GRAMIN BANK	3258	192.00	493334	10146.00	55689	17918.00	552281	28256.00
3	HISSAR-SIRSA KSH GR BK	404	176.00	50033	1112.00	12703	2698.00	63140	3986.00
4	AMBALA KURUKSHETRA GR BK	311	25.40	51856	1282.12	15444	2968.78	67611	4276.30
	HARYANA	5567	509.32	767800	17177.78	136079	30903.04	909446	48590.14
5	HIMACHAL GRAMIN BANK	1521	101.59	201067	4443.83	106770	10410.13	309358	14955.55
6	PARVATIYA GRAMIN BANK	348	119.62	23658	753.87	16337	1498.46	40343	2371.95
	HIMACHAL PRADESH	1869	221.21	224725	5197.70	123107	11908.59	349701	17327.50
7	JAMMU RURAL BANK	6402	329.00	164494	4141.00	45037	5632.00	215933	10102.00
8	ELLAQCI DEHATI BANK	3312	136.00	65133	1640.00	76255	1782.00	144700	3558.00
9	KAMRAJ RURAL BANK	9045	942.81	86176	3407.03	26019	2115.34	121240	6465.18
	JAMMU & KASHMIR	18759	1407.81	315803	9188.03	147311	9529.34	481873	20125.18
10	SHIVALIK KSH GR BK	696	154.67	92357	2608.31	12815	2891.67	105868	5654.65
11	KAPURTHALA-PEROZPUR KSH GR BK	736	198.92	71915	1603.93	8110	2402.42	80761	4205.27
12	GURDASPUR-AMRITSAR KSH GR BK	846	400.00	109390	2898.00	17437	3138.00	127673	6436.00
13	MALWA GRAMIN BANK	502	281.01	33793	1322.88	10709	1867.77	45004	3471.66
14	PARIDKOT-BHATINDA KSH GR BK	488	197.90	31032	781.01	4651	2148.83	36171	3127.74
	PUNJAB	3268	1232.50	338487	9214.13	53722	12448.69	395477	22895.32
15	JAIPOUR MGAUR ANCH GR BANK	8348	853.63	165297	5675.26	56475	8771.11	230120	15300.00
16	MARNAR GRAMIN BANK	2509	1225.22	210288	4682.33	88116	10368.79	300913	16276.34
17	SHEKHAWATI GR BANK	2374	70.00	206446	4430.00	44556	6949.00	253376	11449.00
18	MARUDHAR KSH GR BK	6331	167.54	68031	839.13	20322	2225.28	94684	3231.95
19	ALWAR-BHARATPUR ANCH GR BK	1837	325.76	89734	2784.13	26910	3910.32	118481	7020.21
20	ARAVALI KSH GR BK	2332	250.45	85435	1424.31	20625	2624.36	108392	4299.12
21	HADOYI KSH GR BANK	2648	772.00	82949	3747.00	27671	4193.00	113268	8712.00
22	MENAR ANCH GR BANK	1578	91.00	53428	1188.00	22410	3172.00	77416	4451.00
23	THAR ANCH GR BANK	2760	147.57	48750	1446.24	21160	1943.57	72670	3537.38
24	BUNDI-CHITTORGARH KSH GR BK	1507	151.51	95975	1162.24	18136	2786.43	115618	4100.18
25	BHILWARA-AJMER KSH GR BK	3302	304.70	61666	1340.59	22820	3102.83	87788	4748.12
26	DUNGARPUR-BANSWARA KSH GR BK	1655	67.87	44474	934.26	11978	1385.04	58107	2386.77
27	SRIGANGANAGAR KSH GR BK	286	294.53	33733	647.46	12652	1875.08	46671	2817.07
28	BIKANER KSH GR BK	103	16.02	20225	241.81	5958	581.49	26286	839.32
	RAJASTHAN	37570	4737.40	1266481	30542.76	399789	53888.30	1703790	89168.46
	NORTHERN REG.	67033	8108.24	2913246	71320.40	860008	118677.96	3840287	198106.60
29	ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK	229	52.45	23537	774.98	9350	396.17	33116	1223.60

STATEMENT No. 5 - REGION/STATE/BANK-WISE CLASSIFICATION OF DEPOSITS ---CONTD.
(AS AT THE END OF MARCH 1996)

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

SR. No.	NAME OF THE RB/STATE/REGION	CURRENT		SAVINGS		TERM		TOTAL	
		ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ARUNACHAL PRADESH	229	52.45	23537	774.98	9350	396.17	33116	1223.60
30	PRAGJYOTISH GAONLIA BANK	102918	2507.46	521198	10902.90	140049	6964.18	764165	20374.54
31	LAKHIMI GAONLIA BANK	38997	658.52	293527	4182.28	79301	3559.72	411825	8400.52
32	CACHAR GRAMIN BANK	406	95.85	78886	1132.49	20098	1132.42	99390	2360.76
33	LANGPI DEHANGI RURAL BANK	688	190.20	62104	996.63	12107	696.36	74899	1883.19
34	SUBANSIRI GAONLIA BANK	12134	272.85	91874	1559.21	25569	1103.96	129577	2936.02
	ASSAM	155143	3724.88	1047589	18773.51	277124	13456.64	1479856	35955.03
35	MANIPUR RURAL BANK	1464	78.70	40382	268.90	2887	473.71	44733	821.31
	MANIPUR	1464	78.70	40382	268.90	2887	473.71	44733	821.31
36	KHASI JAINTIA RURAL KA BANK	964	1659.75	74435	2446.73	15031	2116.62	90430	6223.10
	MIZORAM	964	1659.75	74435	2446.73	15031	2116.62	90430	6223.10
37	MIZORAM RURAL BANK	199	379.24	39130	1638.96	2089	814.92	41418	2833.12
	MIZORAM	199	379.24	39130	1638.96	2089	814.92	41418	2833.12
38	MAGALAND RURAL BANK	113	30.66	2971	139.05	462	74.87	3546	244.58
	MAGALAND	113	30.66	2971	139.05	462	74.87	3546	244.58
39	TRIPURA GRAMIN BANK	26090	2679.86	276599	4212.82	54912	5310.82	357601	12203.50
	TRIPURA	26090	2679.86	276599	4212.82	54912	5310.82	357601	12203.50
	NORTH-EASTERN REGION	184202	8605.54	1504643	28254.95	361855	22643.75	2050700	59504.24
40	BHOJPUR BOHTAS GR BK	4023	1316.00	476858	11317.00	110605	11619.00	591486	24252.00
41	CHAMPARAN KSH GR BK	1001	207.00	206997	4156.00	64941	4819.00	272939	9182.00
42	MAGADH GRAMIN BANK	1911	505.67	309980	10785.35	91100	9033.09	402991	20324.11
43	KOSI KSH GRAMIN BK	1540	632.11	180650	4030.05	69720	4966.17	251910	9628.33
44	VAISHALI KSH GR BK	783	261.80	296451	6320.11	87031	7367.33	384265	13949.24
45	MONGHYR KSH GR BK	821	564.68	178028	5411.18	38878	4227.30	217727	10203.16
46	SANTEAL PARGANAS GR BK	788	898.07	184732	6423.62	60758	3430.72	246278	10752.41
47	MADHUBANI KSH GR BK	572	127.73	106453	1667.30	27267	2354.68	134292	4149.71
48	HALANDA GRAMIN BANK	3558	250.00	144968	2607.00	20565	3055.00	169091	5912.00
49	SINGHDHON KSH GR BK	672	510.00	147406	3075.00	18074	2892.00	166152	6477.00
50	MITHILA KSH GR BANK	490	150.71	97679	2259.84	22381	2437.20	120550	4847.75
51	SANASTIPUR KSH GR BK	908	399.64	81339	3095.67	20498	2132.38	102745	5627.69
52	PALANSHU KSH GR BANK	875	228.00	81678	4505.00	26720	2328.00	109273	7061.00
53	RANCHI KSH GR BANK	581	435.49	105059	2992.94	25283	2525.14	130923	5953.57
54	GOPALGANJ KSH GR BK	325	196.00	107692	3704.00	22453	2554.00	130470	6454.00

STATEMENT No. 5 - REGION/STATE/BANK-WISE CLASSIFICATION OF DEPOSITS ---CONTD.
(AS AT THE END OF MARCH 1996)

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

SR. No.	NAME OF THE BRB/STATE/REGION	CURRENT		SAVINGS		TERM		TOTAL	
		ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	SARAN KSH GRAMIN BK	289	27.00	109941	2294.00	26287	2837.00	136517	5158.00
56	SINAN KSH GRAMIN BK	569	174.87	113380	3370.97	36798	4157.08	150747	7702.92
57	GIRIDIN KSH GR BANK	205	40.00	35485	914.00	7666	944.00	43356	1898.00
58	HARARIBAGH KSH GR BK	159	234.00	41235	1648.00	10240	1204.00	51634	3086.00
59	PATLIPUTRA GR BANK	209	21.62	18993	490.71	4680	767.71	23882	1280.04
60	BHAGALPUR-BANKA KSH GR BK	463	190.12	32146	903.94	7484	795.44	40093	1889.50
61	BEGUSARAI KSH GR BK	167	24.69	19949	582.00	4896	655.68	25012	1262.37
	BIHAR	20909	7395.20	3077099	82553.68	804325	77101.92	3902333	167050.80
62	PURI GRAMIN BANK	3645	203.16	182557	2820.68	39568	4431.12	225770	7454.96
63	BOLANGIR ANCH GR BK	2801	920.03	334528	5213.87	51863	3728.24	389192	2862.14
64	CUTTACK GRAMIN BANK	4642	282.10	337053	4979.70	80277	6450.47	421972	11712.27
65	KORAPUT PANCHABATI GR BK	1714	2245.00	184465	3506.00	32536	2410.00	218715	8161.00
66	KALAHANDI ANCH GR BK	1190	1046.00	106492	1719.00	13894	1100.00	121576	3865.00
67	BAITARAMI GR BANK	314	44.05	178699	2747.96	37960	3492.95	216973	6284.96
68	BALASORE GR BANK	866	77.87	156968	1283.74	33641	2048.12	191475	3409.73
69	RUSHIKULYA GR BK	2861	129.36	120434	1635.18	37765	4022.89	161060	5787.43
70	DEHUKANAL GR BK	265	41.40	85087	1156.59	25485	2752.52	110837	3950.51
	ORISSA	18298	4988.97	1686283	25062.72	352989	30436.31	2057570	60488.00
71	GAUR GRAMIN BANK	34406	287.00	234109	6457.00	131456	8364.00	399971	15108.00
72	NALLABEN GR BK	1465	138.00	567866	9514.00	174538	11846.00	743869	21498.00
73	NAYORAKSHI GR BK	758	137.78	194843	3074.15	67410	4559.64	263011	7771.57
74	UTTAR BANGA KSH GR BK	4156	308.00	220902	5348.00	82961	5207.00	308019	10863.00
75	NADIA GRAMIN BANK	54	100.79	94128	3095.89	78600	2907.67	172782	6104.35
76	SAGAR GRAMIN BANK	2180	95.58	322646	6943.50	83261	7398.56	408087	14437.64
77	BAJENDRA GR BANK	1217	75.96	189190	4887.95	64810	5819.35	255217	10783.26
78	KONRAH GRAMIN BANK	1479	94.00	120426	3455.00	37706	3605.00	159611	7154.00
79	MUSHEIDABAD GR BK	562	34.00	67690	1291.00	34619	1931.00	102871	3256.00
	WEST BENGAL	46277	1271.11	2011800	44066.49	755361	51638.22	2813438	96975.82
	EASTERN REGION	85484	13655.28	6775182	151682.89	1912675	159176.45	8773341	324514.62
80	KSHETRIYA GR BK BOSHARABAD	3867	277.00	97569	3230.00	27264	3972.00	128700	7479.00
81	BILASPUR-RANPUR KSH GR BK	5198	1124.00	160081	3890.00	46945	5146.00	212224	10160.00
82	REMA-SIDDI GR BANK	1756	494.13	180584	5379.22	47168	6167.40	229508	12040.75
83	BUGDILKHAND KSH GR BK	6329	596.00	112808	2503.00	40598	3978.00	159735	7077.00
84	SHARDA GRAMIN BANK	2946	172.09	143018	1882.25	30160	3390.21	176124	5444.55
85	SURGUDA KSH GR BK	3189	448.03	110766	2988.82	36460	3039.30	150415	6476.15
86	BASTAR KSH GR BK	3505	258.00	63471	2271.00	22807	1506.00	89783	4035.00
87	DURG-RAJNANDGACH GR BK	4503	399.08	162282	5256.44	38656	4772.22	205441	10427.74
88	JHABUA-DEAR KSH GR BK	10592	323.75	145155	2540.18	29149	3681.98	184896	6545.91
89	RAIGARH KSH GR BK	4501	306.03	62044	1810.41	25016	1796.96	91561	3913.40
90	SHIVPURI-GUNA KSH GR BK	3312	448.00	55605	1785.00	24802	3085.00	83719	5318.00

STATEMENT No. 5 - REGION/STATE/BANK-WISE CLASSIFICATION OF DEPOSITS ---CONTD.
(AS AT THE END OF MARCH 1996)

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

SR. No.	NAME OF THE RRB/STATE/REGION	CURRENT		SAVINGS		TERM		TOTAL	
		ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	DAMOH-PANNA-SAGAR KSH GR BK	2533	198.00	80771	1497.00	22631	2699.00	105935	4394.00
92	DENAS-SHAJAPUR KSH GR BK	614	119.00	77176	1780.00	16640	3054.00	94430	4953.00
93	NINAR KSH GR BANK	3194	409.66	78909	2652.45	20070	3311.34	102173	6373.45
94	MANDLA-BALAGHAT KSH GR BK	2663	590.29	115565	1124.92	19702	1339.93	137930	3055.14
95	CHHINDWARA-SIONI KSH GR BK	3342	549.23	77937	1577.71	18880	2226.20	100159	4353.14
96	RAJGARH-SIBORE KSH GR BK	3916	178.00	33916	1178.00	16512	1806.00	54344	3162.00
97	SHARDOL KSH GR BK	1029	152.14	68930	1171.85	13035	1415.47	82994	2739.46
98	RATLAM-MANDSAUR KSH GR BK	1501	151.89	55252	1225.53	19452	2328.59	76205	3706.01
99	CHAMBAL KSH GR BK	714	103.02	33598	771.64	11095	1358.98	45407	2233.64
100	MAHAKAUSHAL KSH GR BK	780	83.93	60066	661.46	8168	933.52	69014	1678.91
101	INDORE-UJJAIN KSH GR BK	708	170.72	46326	827.63	8210	1208.84	55244	2207.19
102	GWALIOR-DATIA KSH GR BK	788	155.00	25258	757.00	8250	1324.00	34296	2236.00
103	VIDISHA-BHOPAL KSH GR BK	500	98.49	18555	667.36	4783	1038.15	23838	1804.00
	MADHYA PRADESH	71900	7805.48	2065642	49428.87	556453	64579.09	2694075	121813.44
104	PRATHAMA BANK	47240	892.00	639160	15611.00	101705	9073.00	788105	25576.00
105	GORAKHPUR KSH GR BK	8743	932.00	766846	19703.00	186754	14682.00	962343	35317.00
106	SAMVUT KSH GR BK	2002	1777.00	586486	16251.00	140475	15376.00	728963	33404.00
107	BARABANKI GR BK	3440	523.00	304956	6934.00	49746	5084.00	358142	12541.00
108	RAEBARELI KSH GR BK	51683	292.23	237074	4384.27	2453	4524.97	291210	9201.47
109	FARROKHABAD GR BK	2562	1286.00	203223	6214.00	37986	4936.00	243771	12436.00
110	BHAGIRATH GR BK	2674	1236.42	633663	9937.75	80989	6389.63	717326	17563.80
111	BALLIA KSH GR BK	1919	108.20	197803	5569.58	66000	5822.44	265722	11500.22
112	SULTANPUR KSH GR BK	8630	287.00	454360	7154.00	27734	7241.00	490724	14682.00
113	AVADI GRAMIN BANK	4077	859.00	485911	9201.00	79932	7471.00	569920	17531.00
114	KAMPUR KSH GR BK	1688	518.00	235650	6401.00	57844	6203.00	295182	13122.00
115	SRAVASTI GR BK	1860	449.48	295282	5325.33	38889	3682.26	336031	9457.07
116	ETAWAH KSH GR BK	746	55.00	90987	2180.00	20103	2329.00	111836	4564.00
117	KISAN GRAMIN BANK	1103	80.98	98735	2079.17	13512	1672.82	113350	3832.97
118	KSHETRIYA KISAN GR BK	2258	79.26	13114	1861.18	144409	2056.56	159781	3997.00
119	KASHI GRAMIN BANK	768	608.60	188819	4787.30	46215	5692.45	235802	11088.35
120	BASTI GRAMIN BANK	1926	314.00	266793	6913.00	121379	3977.00	390098	11204.00
121	ALLAHABAD KSH GR BK	1049	490.00	216547	5472.00	41378	5045.00	258974	11007.00
122	PRATAPGARH KSH GR BK	1126	241.62	242745	4578.35	42310	3904.11	286181	8724.08
123	FATTAHABAD KSH GR BK	1736	204.87	241399	4619.92	41981	3755.31	285116	8580.10
124	FATEHPUR KSH GR BK	850	157.00	97876	2536.00	23995	1905.00	122721	4598.00
125	BAREILLY KSH GR BK	1149	193.10	154569	3315.15	19763	2927.37	175481	6435.62
126	DEVI PATAN KSH GR BK	2287	808.00	183590	5090.00	25917	2641.00	211794	8539.00
127	ALIGARH KSH GR BK	1636	180.06	232266	4645.33	42730	7136.41	276632	11961.80
128	TULSI GRAMIN BANK	2057	644.72	188171	3751.21	40010	2929.62	230238	7325.55
129	ETAH GRAMIN BANK	1639	131.38	168559	2411.43	21496	3065.95	191694	5608.76
130	GONTI GRAMIN BANK	1425	460.70	292598	5710.21	52832	6755.83	346855	12926.74
131	CHHATRASAL GR BANK	3503	638.28	183521	3656.01	23434	2567.02	190458	6861.31
132	RANI LAKSHMI BAI KSH GR BK	850	129.40	73473	1432.49	16423	1651.03	90746	3212.92
133	VIDUR GRAMIN BANK	13955	215.45	60428	1933.58	10775	1210.41	85158	3359.44
134	SHAJAHANPUR KSH GR BK	1066	55.28	58467	1583.49	9691	1182.32	69224	2821.09

STATEMENT No. 5 - REGION/STATE/BANK-WISE CLASSIFICATION OF DEPOSITS ---CONTD.
(AS AT THE END OF MARCH 1996)

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

SR. No.	NAME OF THE RB/STATE/REGION	CURRENT		SAVINGS		TERM		TOTAL	
		ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	MAINITAL-ALMORA KSH GR BK	1070	136.08	66805	1566.07	20136	2388.60	88011	4090.75
136	VINDHYAVASINI GR BK	3046	571.00	126453	2153.00	23619	2626.00	153118	5350.00
137	SARAYU GRAMIN BANK	1168	156.52	157112	3038.56	19730	1670.28	178010	4865.36
138	JAMUNA GRAMIN BANK	1517	118.76	93630	1594.57	19604	3019.80	114751	4733.13
139	MUZAPPANAGAR KSH GR BK	262	12.95	50360	1453.16	7446	1014.03	58068	2480.14
140	PITHORAGARH KSH GR BK	200	80.32	29831	1351.90	10769	1617.32	40800	3049.54
141	GANGA-YAMUNA GR BK	1335	184.00	51303	901.00	14273	1737.00	66911	2822.00
142	ALAKHANDA GR BANK	503	100.32	40573	1271.50	14829	1449.77	55905	2821.59
143	HINDON GRAMIN BANK	435	58.89	35377	976.44	8218	736.35	44030	1771.68
	UTTAR PRADESH	187183	16266.87	8724515	195547.95	1767484	169148.66	10679182	380963.48
	CENTRAL REGION	259163	24072.35	10790157	244976.82	2323937	233727.75	13373257	502776.92
144	KUTCH GRAMIN BANK	793	50.00	39329	1371.00	13829	2716.00	53951	4137.00
145	JAMNAGAR GRAMIN BK	216	24.60	62711	1558.07	15948	2676.85	78875	4259.52
146	BANASKANTHA-MERSANA GR BK	21239	76.95	97718	1765.47	1014	2541.58	119971	4384.00
147	PANCHANAL GR BANK	1069	42.35	124801	1769.13	23453	2422.33	149323	4233.81
148	SUREDRANAGAR-BHAVNAGAR GR BK	345	74.00	27730	668.00	9440	1254.00	37515	1996.00
149	VALSAD-DANGS GR BK	597	165.32	70266	1830.12	12396	1415.08	83259	3410.52
150	SURAT-BEARUCH GR BK	691	70.43	66578	1898.34	11433	1657.06	78702	3625.83
151	SABARKANTHA-GANDHINAGAR GR BK	714	150.24	43062	1092.00	11019	1614.83	54795	2857.07
152	JUNAGADH-ANRELI GR BK	239	47.39	29189	681.73	8395	1452.06	37823	2181.18
	GUJARAT	25903	701.28	561384	12633.86	106927	17749.79	694214	31084.93
153	MARATHWADA GR BANK	10317	1547.14	320493	11611.11	60314	7185.53	391124	20343.78
154	AURANGABAD-JALMA GR BK	2111	274.00	127341	3608.00	11226	1431.00	140678	5313.00
155	CHANDRAPUR-GADCHIBOLI GR BK	958	89.09	114038	2287.33	21470	1903.44	136466	4279.86
156	AKOLA GRAMIN BANK	720	136.61	65270	1614.02	9776	954.17	75766	2704.80
157	BATNAGIRI-SINDHURDURG GR BK	494	102.50	71144	1050.21	14210	1548.81	85848	2701.52
158	SOLAPUR GRAMIN BANK	660	122.20	57549	756.58	9608	1142.40	67817	2021.18
159	BHANDARA GRAMIN BANK	703	37.81	87967	1037.04	16268	1434.09	104938	2508.94
160	YAVATMAL GRAMIN BANK	952	92.29	27244	1620.13	6686	896.98	34882	2609.40
161	BULDHANA GRAMIN BANK	925	29.19	29922	797.41	7660	614.46	38507	1441.06
162	THANE GRAMIN BANK	866	135.88	33715	1764.73	6101	749.00	40682	2649.61
	MAHARASHTRA	18706	2566.71	934683	26146.56	163319	17859.88	1116708	46573.15
	WESTERN REGION	44609	3267.99	1496067	38780.42	270246	35609.67	1810922	77658.08
163	NAGARJUNA GR BK	76568	3096.32	296284	5326.02	32560	5720.57	405412	14142.91
164	RAYALSEEMA GR BK	3068	499.46	440062	5070.47	227048	12473.48	630178	28043.41
165	SRI VISAKHA GR BK	4823	2277.00	557120	5394.00	105468	11969.00	667411	19640.00
166	SREE AMANTHA GR BK	918	98.88	186624	2899.53	88486	7293.77	276028	10272.18
167	SRI VENKATESWARA GR BK	4262	177.80	235947	1671.60	36037	4582.00	276246	6431.40
168	SRI SARASWATHI GR BK	5816	401.43	74234	2639.38	36919	4874.70	116969	7915.51

STATEMENT No. 5 - REGION/STATE/BANK-WISE CLASSIFICATION OF DEPOSITS ---CONTD
(AS AT THE END OF MARCH 1996)

(AMOUNT IN LAKHS OF RUPEES)

SR. No.	NAME OF THE BRB/STATE/REGION	CURRENT		SAVINGS		TERM		TOTAL	
		ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT	ACCOUNTS	AMOUNT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	SANGAMESHWRA GR BK	1187	719.00	81370	1604.00	32802	3175.00	115359	5498.00
170	MANJIRA GR BK	1806	188.57	124072	1568.47	45537	3703.00	171415	5460.04
171	PINAKINI GR BK	1020	419.00	175002	2081.00	111100	4773.00	287122	7273.00
172	KAKATHIYA GR BK	930	407.74	57101	811.07	17249	1333.27	75280	2552.08
173	CHAITANYA GP BK	586	191.41	107159	1124.94	24647	3119.48	132392	4435.83
174	SHERI SATHAVAHANA GR BK	1375	464.84	64476	1291.97	17278	2843.45	83129	4600.26
175	GOLCONDA GP BK	488	181.64	22950	644.18	5451	1205.68	28889	2031.50
176	SRIRAMA GR BK	833	76.00	53145	670.00	10724	1680.00	64702	2426.00
177	KANAKADOGRA GR BK	761	96.77	42452	795.33	8357	1823.21	51570	2715.31
178	GODAVARI GRAMIN BANK	221	46.01	60711	603.58	14336	2035.24	75268	2684.83
	ANDHRA PRADESH	104662	9341.87	2578709	34195.54	813999	72584.85	3497370	116122.26
179	TUNGABHADRA GR BK	54547	1327.00	438259	6147.00	189744	11775.00	682550	19249.00
180	MALAPRABHA GR BK	43043	364.53	497488	7961.41	232518	13604.05	773049	21929.95
181	CAUVERY GR BK	1723	1401.00	269433	2203.00	24551	4948.00	295707	8552.00
182	KRISHNA GR BK	4176	417.00	186124	3584.00	47341	5376.00	237641	9377.00
183	CHITRADURGA GR BK	3516	178.91	156751	1846.99	53531	3695.54	213798	5721.44
184	KALPATHURU GR BK	788	685.35	197077	2748.99	30538	3760.04	228403	7194.38
185	KOLAR GR BK	10494	172.00	154203	2086.00	43914	3344.00	208611	5602.00
186	BIJAPUR GR BK	277	28.00	217477	3182.00	117541	5546.00	335295	8756.00
187	CHICKMAGALUR-KODAGU GR BK	3185	100.68	48182	1422.11	14051	2004.66	65418	3527.45
188	SAHYADRI GR BK	486	99.24	61945	688.06	13395	1299.32	75826	2086.62
189	NETRAVATI GR BK	246	19.87	42605	371.66	7515	724.33	50366	1115.84
190	VARADA GR BK	6443	76.12	34735	429.83	17445	1628.83	58623	2134.78
191	VISVESHWARA'YA GR BK	2064	60.57	42854	538.20	9642	897.51	54560	1496.28
	KARNATAKA	130988	4930.27	2347133	33209.25	801726	58603.28	3279847	96742.80
192	SOUTH MALABAR GR BK	4408	951.00	954901	5676.00	114285	7721.00	1073594	14348.00
193	NORTH MALABAR GR BK	73800	605.00	494862	4372.00	92045	7425.00	660707	12402.00
	KERALA	78208	1556.00	1449763	10048.00	206330	15146.00	1734301	26750.00
194	PANDYAN GR BK	15274	325.85	277320	4153.96	77995	8813.44	370589	13293.25
195	ADHIYAMAN GR BK	1457	45.69	54607	697.78	11306	996.44	67370	1739.91
196	VALLALAR GR BK	343	81.83	47967	604.80	11422	895.01	59732	1581.64
	TAMILNADU	17074	453.37	379894	5456.54	100723	10704.89	497691	16614.80
	SOUTHERN REGION	330932	16281.51	6755499	82909.33	1922778	157039.02	9009209	256229.84
	A L L I N D I A	971423	73990.91	30234794	617924.81	7651499	726874.60	34857716	1418790.3